खण्ड-284, अंक-2
मंगलवार, 19 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(9 जून, 1970 ई0)

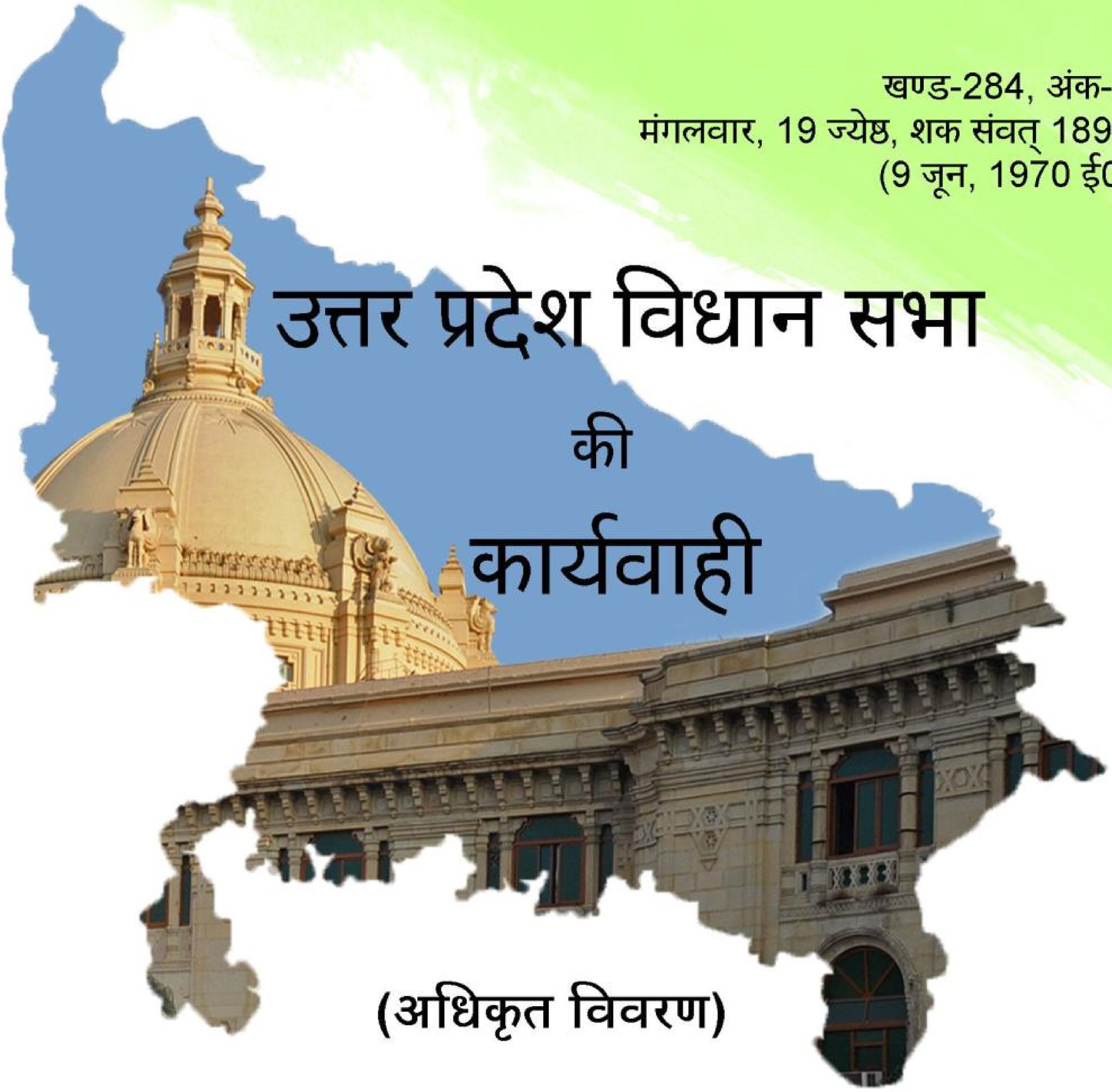

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११३–११७
प्रश्नोत्तर	११७–१५३
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें (जारी)	१५३–१६१
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में पूछ-तांछ	१६२
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	
यूनानी व आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में पूछ-तांछ ..	
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	१६३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में किया गया आनुषंगिक संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया)	१६३
उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया)	१६३
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१६३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१६३
उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१६४
फिरोजाबाद, जिला आगरा के थानाध्यक्ष, श्री सत्यपाल सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१६४
वित्त मंत्री के भाषण और उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में अन्तर के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१६५
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (स्वीकृत)	१६५–१८४
अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय तथा अनुदान संख्या १७—वैधानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत)	१८४–२१०
अनुदान संख्या १४—कारागार (स्वीकृत)	२१०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	२१०–२१४
वक्तव्य की प्रति पर सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर न होने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	२१५
गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर श्रीमती इन्द्रावती के गहने-कपड़े की लूट और उनके साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	२१६–२२५
थाना गजरौला, अमरोहा, जिला मुरादाबाद के इन्चार्ज द्वारा ३ व्यक्तियों को पकड़ कर ले जाने और गोली मार देने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा ..	२२५–२२९
नत्थियां	२३०–२४०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ९ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़-रामी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण अचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तिदेवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सन्तराम, श्री

सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ९ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जापान में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

**१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या विशेष ज्ञान वर्धन हेतु सरकार कृषक विधायकों की एक टोली को इसरायल और जापान भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई?

कृषि उपमंत्री (श्री शिववक्ष सिंह राठौर)—

शासन के पास एक सुझाव आया है कि जापान में हो रही अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एक्सपो-७० में शासन द्वारा प्रगतिशील किसानों, छोटे उद्योगपतियों, विशेषज्ञों तथा शासन के प्रतिनिधियों का एक दल कुछ दिनों के लिये भेजा जाय, जिससे जापान के कृषि, उद्योग तथा अन्य विकास संबंधी तीव्र प्रगति का अध्ययन करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिये नई दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। इस सुझाव पर शासन द्वारा अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इसरायल में टोली भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कृषक विधायकों के साथ छोटे उद्योग पति विधायकों को भी इसमें शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, जो प्रोपोजल सरकार के समक्ष आया है उसमें कृषक वर्ग से और छोटे उद्योगपतियों के वर्ग से डेलीगेशन में सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर भी सरकार विचार कर रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मंडल जापान जायेगा लेकिन इसराइल नहीं जायेगा, इस प्रकार का कोई सुझाव सरकार के पास आया है या ऐसा सरकार ने खुद सोचा है ?

श्री शिवराज सिंह—

वर्तमान अवस्था में इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विधायक कृषक भी हैं और छोटे उद्योगपति भी हैं उनको जाने में प्रायरिटी मिलेगी ?

श्री शिवराज सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व माननीय सदस्य के सुझाव पर भी विचार हो जायेगा।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण हैं जो यह शिष्ट मण्डल इसराइल नहीं जायेगा ?

श्री शिवराजसिंह—

मैंने वस्तुस्थिति बता दी कि क्या है। इस वक्त ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा सुझाव देंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस दल का जो व्यय होगा उसको केन्द्रीय सरकार वहन करेगी या प्रदेशीय सरकार वहन करेगी और यदि प्रदेशीय सरकार वहन करेगी तो खर्चे का कितना अनुमान है ?

श्री शिवराजसिंह—

ये सभी प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं। अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। सुझाव यह है कि स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन छोटे उद्योगपतियों की ओर से जो डेलीगेशन में हैं उनका भार वहन कर ले और एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन कृषकों की ओर से जो डेलीगेशन होगा उनका भार वहन कर ले।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह निर्णय कितने महीनों में या कितने दिनों में ले लिया जायेगा?

श्री शिवराज सिंह---

जो प्रदर्शनी हो रही है उसके कुछ ही महीने बाकी रह गये हैं। इसलिये यह निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई वार्ता हुई है और यदि हुई है तो क्या हुई है ?

श्री शिवराज सिंह---

अभी वार्ता नहीं हुई है।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि इसमें सभी दलों के विधायक लिये जायंगे या एक या दो पार्टी के ही लिये जायंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

जब विधायकों का चयन किया जायगा तो दलगत भावना से ऊपर उठ कर किया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

पिछली बार जो कृषि मंत्री, श्री जयराम वर्मा जी अमेरिका गये थे उनका जाना लाभप्रद बिलकुल नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष---

आप टीका न करें प्रश्न पूछें।

श्री बंशीधर पांडेय---

आपने सुना नहीं और कह दिया।

श्री अध्यक्ष---

आपने कहा कि उनका जाना लाभप्रद नहीं हुआ। आप प्रश्न पूछें।

श्री बंशीधर पांडेय---

पिछली बार कृषि मंत्री की अमेरिका यात्रा जनता के लिये लाभप्रद नहीं थी तो क्या इस बार इस प्रकार की यात्रा न करके आप इसको केवल भारत सरकार के ऊपर छोड़ देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

मान्यवर, आपने कोशिश की मान्यवर मित्र को रोकने के लिये लेकिन मैं आपकी इजाजत से उनको बतला देना चाहता हूं कि उनकी यात्रा पर सरकार का कोई खर्चा नहीं हुआ था। यू० एस० ए० में एक सोसाइटी है उसने इनवाइट किया था और उसी ने आने-जाने का खर्चा वहन किया था। तो उनका भ्रम दूर हो जाना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि इस प्रतिनिधि मंडल में कौन-कौन सदस्य होंगे, और उसका उद्देश्य क्या है ?

श्री चरण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सहयोगी जवाब दे चुके हैं कि अभी सारा मामला विचाराधीन है। यही नहीं कि वहां की कृषि की पद्धति को सीखने के लिये कुछ लोगों को भेजने पर विचार हो बल्कि साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योग चलाने की पद्धति को भी देखें। हमारा ख़याल यह भी है कि वहां की जो शिक्षा पद्धति है उस के भी अध्ययन के लिये जायं और एक-दो आदमी ऐसे जायं जो वहां की इंडस्ट्रियल और लेबर रिलेशन्स को भी स्टडी करें क्योंकि वहां स्ट्राइक वगैरह नहीं होतीं और लेबर वहां बहुत मेहनत करते हैं। आपकी इजाजत से मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है और विचार कर रहे हैं कि मौका मिला है और इससे फायदा उठावें क्योंकि यह बहुत बड़ी इग्जिबिशन है जो दुनिया में कभी नहीं हुई। उसको देखने से लाभ होगा और हमारा इरादा है कि भारत सरकार से जापान की सरकार को लिखवावें कि वह इस प्रतिनिधि मंडल को अपने यहां के सिस्टम के अध्ययन करने की सुविधा देने की कृपा करे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह प्रतिनिधि मंडल भारत से कब रवाना होगा ?

श्री अध्यक्ष—

अभी निर्णय नहीं हुआ है।

सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा मेसर्स सिंह आर्मरी स्टोर बरेली का निरीक्षण

**२—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि दिसम्बर, १९६९ में सिंह आर्मरी, बरेली का निरीक्षण सिटी मैजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा किया गया ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमिततायें पाई गयीं ?

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां, सिटी मैजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मेसर्स सिंह आर्मरी स्टोर का निरीक्षण दिनांक २२-१२-६९ को किया गया था, जिसमें निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईं :—

(१) स्टाक रजिस्ट्रर के अनुसार दूकान में दो राइफलें होनी चाहिए थीं, परन्तु एक ही राइफल पाई गई।

(२) मरम्मत के लाइसेन्स के बिना मरम्मत के औजार व मरम्मत के लिए शस्त्र पाए गए।

(३) एक बन्दूक बिना नम्बर व मेक के पाई गई।

(४) दूकान का लाइसेन्स श्री रामचन्द्र सिंह के नाम है, परन्तु उन्होंने दूकान में धन नहीं लगाया है और वे लाइसेंस के एवज में सर्वश्री हरवेन्द्र सिंह, बलवन्त सिंह व प्रतिपाल सिंह से १५० रु० प्रति माह ले रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अभी मंत्री जी ने बताया कि मरम्मत के लाइसेन्स के बिना मरम्मत के औजार व मरम्मत के लिए शस्त्र पाए गये । साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एक बन्दूक बिना नम्बर व मेक के पाई गई । यह बन्दूक और शस्त्र किसके थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जो बन्दूक बिना नम्बर व मेक के पाई गई वह श्री छदम्बी लाल जो जिला रामपुर के रहने वाले हैं उनकी थी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यह जो मरम्मत के लिए शस्त्र और मरम्मत के लिए औजार पाये गये यह किसी भले आदमी के थे या किसी बदमाश के थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

यह जो बिना मरम्मत के औजार और मरम्मत के लिए शस्त्र पाये गये हैं उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई थी । यह शिकायत भेजी थी कि यह बिना लाइसेन्स के आर्मरी पाई गई है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसका लाइसेन्स कैन्सिल क्यों नहीं किया, इसका क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

लाइसेन्स को कैन्सिल करने का अधिकार जिलाधीश को है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैंने यह पूछा था कि मरम्मत के लाइसेन्स के बिना मरम्मत के औजार व मरम्मत के लिए शस्त्र पाये गये । शस्त्र कौन-कौन से थे और उस पर क्या ऐक्शन लिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

उस पर तो मुकदमा चलेगा । एक ही बन्दूक पाई गई थी ।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

जो त्रुटि उसमें पाई गई है सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है अभी तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई है और दुकानदार का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

स्टाक रजिस्टर के अनुसार दुकान में दो राइफलें होनी चाहिए थीं परन्तु एक ही राइफल पाई गई । एक राइफल क्या हुई यह मालूम होना चाहिए ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दूसरी राइफल के बारे में दुकानदार ने यह बताया कि एक राइफल एक पुलिस इन्सपेक्टर ले गया था ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

**३—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो मुआविजा के सम्बन्ध में उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

उक्त समिति की रोपोर्ट शासन को १-६-१९७० को प्राप्त हो गयी है । रिपोर्ट अभी गोपनीय है तथा सरकार उस पर विचार कर रही है ।

श्री श्रीशचन्द्र—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अखबारों में प्रकाशित सूचना के आधार पर मुआवजे की रकम लगभग ७ करोड़ रुपये बनी है ? क्या यह सही है कि मुआवजा ७ करोड़ रुपये है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैं इसके विषय में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि वह रिपोर्ट गोपनीय है ।

हैंडलूम तथा पिट लूम की दिरियों को बिक्री कर से मुक्त करने की विज्ञप्ति

**४—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि हैन्डलूम और पिटलूम से बनी हुई दरियों के गृह उद्योग की उन्नति के लिए जो तत्कालीन सरकार ने हैन्डलूम और पिटलूम की दरियों को सेल्स टैक्स से मुक्त करने का आदेश दिया था उसका नोटीफिकेशन किन कारणों से वर्तमान सरकार ने स्थगित कर दिया ? क्या सरकार ऐसा नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करने का कष्ट करेगी ?

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

तत्कालीन सरकार ने हैन्डलूम और पिटलूम की दरियों को बिक्री-कर से मुक्त करने का अन्तिम निश्चय नहीं लिया था । अब यह निश्चय लिया गया है कि ऐसी दरियों पर लगे हुए बिक्री-कर की दर २ प्रतिशत से घटाकर १ प्रतिशत कर दी जाय । निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

श्रीमन्, पहले तो मैं व्यवस्था चाहता हूं और मुझको शिकायत है कि क्या इस सरकार ने यह परम्परा बनाली है कि सदन में जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिये जायं वह आमतौर से गलत हो, क्या यह बात उचित है और शोभा देती है ? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह गलत है और म उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध भी ।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछिए ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि तत्कालीन सरकार ने फरवरी के पहले सप्ताह में एक ऐसा प्रेस नोट जारी किया था जिसमें हैन्डलूम और पिटलूम की वस्तियों को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया था ?

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है, यह बात सही नहीं है कि इस तरह की कोई विज्ञप्ति जारी की गयी हो ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा कि इस किस्म की विज्ञप्ति जारी की गयी, न यह मेरा सवाल है । मेरा सवाल यह है कि जो नोटीफिकेशन जारी होने वाला था वह इस सरकार ने क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---

आप यह पूछें कि क्या वे जारी करने वाले थे ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

क्या तत्कालीन सरकार ऐसी विज्ञप्ति जारी करने वाली थी ?

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, तत्कालीन सरकार का जो मंत्रि-परिषद् था उसकी उद्योग उप समिति ने यह निर्णय अवश्य लिया था कि यह बिक्री कर समाप्त किया जाय परन्तु उसकी मंजूरी मंत्रि-परिषद् से होनी थी, वह नहीं हो पायी । उसके बाद जब नयी सरकार बनी और उसके सामने यह मामला आया तो उन्होंने उसे मंजूर नहीं किया, उन्होंने उसे घटा दिया है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, मैं यह सूचना देते हुए कि सचमुच इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी की गयी, अखबार में दी गयी और जो उद्योग उप समिति थी वह केबिनेट के रूप में ही कार्य करती थी क्योंकि वह कैबिनेट के उपांग के रूप में थी, उसके निर्णयों को केबिनेट में जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, ऐसी दशा में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञप्ति जो वाकई में जारी की गयी क्या उसको वापस किया गया ?

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक मुझे मालूम है, इन रिकार्ड्स को देखने से ऐसा साबित नहीं होता है कि विज्ञप्ति जारी की गई हो ।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बिक्री-कर के कारण यह व्यवसाय समाप्त होता जा रहा है और क्या इस विषय पर पुनः विचार करके वह इस व्यवसाय पर से बिक्री-कर हटाने के लिए सोचेंगे ?

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, अभी हाल में यह फैसला १ प्रतिशत का लिया गया है लेकिन इसमें अगर कोई विशेष कारण पाया जायगा तो कोई हठधर्मी की बात नहीं है, सरकार विचार करेगी अगर कोई ऐसी बात होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि यह सेल्स टैक्स प्रदेश की बहुत बड़ी बुनकर आबादी को प्रभावित करता है ? और यदि ऐसा है तो इस बात को मद्देनजर रखकर कि पिछली सरकार ने फैसला किया था तो इस मौजूदा सरकार को उस फैसले को बरकरार रखने में क्या दिक्कत है ? जब वह यदाकदा कहते हैं कि हम उन्हीं के फैसलों पर कायम हैं तो इस मामले में उनको क्या दिक्कत है ?

श्री बलबीर सिंह---

मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इसमें कोई जिद्द की बात नहीं है और कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, इस पर केवल १ परसेंट का सेल्स टैक्स है, कोई बड़ी रकम नहीं है जिस की वजह से ट्रेड खत्म होता हो ।

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हैंडलूम और पिटलूम पर बिक्रीकर किस तारीख से लगा था और तत्कालीन सरकार ने व्यापारियों की दिक्कतों को क्यों नहीं सोचा ?

श्री अध्यक्ष---

आप पहले हिस्से का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री बलबीर सिंह---

दरियों पर १-१०-६५ से २ प्रतिशत बिक्रीकर लगा था ।

श्री दीपनारायण मणि---

जब शासन की नीति है कि हाथ के बने हुए सामान पर इस तरह की सुविधा दी जायगी तो दरियों पर से बिक्रीकर माफ करने में क्या दिक्कत है ?

श्री बलबीर सिंह---

मैं तो कई बार उत्तर दे चुका हूं कि दिक्कत कुछ नहीं है, सवाल यह है कि बहुत बड़ा टैक्स तो लगाया नहीं गया है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब हैंडलूम से बने हुए कपड़ों और बेडशीट्स पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है तो वह दरियों पर ही क्यों लगाया गया है ?

श्री बलबीर सिंह---

यह दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, सन् ६५ में इस के मुताल्लिक सोचा गया और दरी पर कर लगाया गया था, यह दोनों एक ही चीज नहीं हैं ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि दोनों चीजें अलग हैं लेकिन यह दरियां जो बनाई जाती हैं वह तो मोटे सूत से बनती हैं और दरियों को देश के बाजार में दूसरी स्टैट्स से कम्पीट करना होता है, तो क्या इस सम्बन्ध में वह उस निर्णय पर जो तत्कालीन सरकार ने लिया था कि दरियों को सेल्स टैक्स से मुक्त कर दिया जाय, क्या वह उस अन्तिम निर्णय को बरकरार रखेंगे ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह राय का सवाल है । इसमें बहस का सवाल नहीं है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । मुख्य मंत्री ने यह फरमाया कि यह राय का सवाल है । यह समझ में नहीं आया कि इनमें राय का क्या सवाल है ?

श्री अध्यक्ष---

आपकी एक राय है, उनकी दूसरी राय है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बाल्मीकी, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लखनऊ में अनियमिततायें

*१---श्री दुलारे लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री राम रतन प्रसाद (जिला बलिया)---

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि १३ मार्च, १९७० को उत्तर प्रदेश सहकारिता समितियों के उप-निबन्धक (केन्द्रीय) द्वारा बाल्मीकी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, इरादत नगर, लखनऊ को उसके मन्त्री द्वारा बर्ती गई अनियमिततायें एवं भारी गबन के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है और सोसायटी का कार्य चलता रहे इस इरादे से एडीशनल जिला कोअपरेटिव आफिसर श्री क्यू० एच० काजमी को उसका प्रशासक नियुक्त किया ? यदि हां, तो सोसायटी के मन्त्री श्री अच्छेलाल बाल्मीकी से उसका चार्ज प्राप्त करने की क्या कार्यवाही की जा रही है और उसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता)—

जी हां ।

बहुत प्रयत्न करने पर प्रशासक को सोसायटी के मंत्री, श्री अच्छे लाल बाल्मीकी से केवल कुछ कागजात ही चार्ज में प्राप्त हो पाये । शेष चार्ज की प्राप्ति में कठिनाई होने के कारण प्रशासक ने सिटी मैजिस्ट्रेट लखनऊ से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १९६५ की धारा ३६ (२) के अन्तर्गत कार्यवाही करने एवं चार्ज दिलाने का अनुरोध किया । सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस की सहायता से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय बुलारेलाल को बुलाया है ।

श्री बुलारेलाल—

क्या माननीय मंत्री जी ने स्वयं जाकर निरीक्षण किया है और क्या वे यह अनुभव करते हैं कि इसमें गबन हुआ है ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता—

जो कागजात और जो रिपोर्ट देखने को मिली उसी से पता चला है, अभी पूरी तरह से जांच नहीं हो पायी है क्योंकि कुछ कागजात नहीं मिले हैं, इसीलिए पुलिस कार्यवाही कर रही है ।

श्री बुलारेलाल—

कौन-कौन से कागजात मिल गये हैं ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता—

इसके लिए सूचना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

जब मंत्री को आपने सस्पेंड किया और बोर्ड का सस्पेन्सन किया नहीं गया, तो नियमों के विरुद्ध आपने प्रशासक की नियुक्ति कैसे कर दी ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

वहां गलतियां थीं, कुप्रबन्ध पाया गया, कोई काम नहीं चल रहा था, गोलमाल का भी मामला था, इसी कारण प्रशासक की नियुक्ति की गयी ।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

इस सोसाइटी को कितना अनुदान कालोनी बनाने के लिए दिया गया था और कितना उस कार्य में खर्च किया गया तथा उस सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट क्या है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

कोआपरेटिव विभाग से कोई अनुदान नहीं दिया गया, यह चूंकि कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्तर्गत आती है इसलिए इस विभाग ने कार्यवाही की । पैसा तो हरिजन वेलफेयर विभाग ने दिया था । वैसे उसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री महरमसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना लोन दिया गया था क्योंकि अगर लोन नहीं दिया गया था तो फिर गबन कैसा ? गबन कैसे मालूम हुआ ? जो आडिट रिपोर्ट है वह क्या है ? उसे मंत्री जी कृपया बता दें ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जबतक पूरे कागजात नहीं मिलते तब तक कुछ भी बताना मुश्किल है ।

श्री दीपनारायण मणि—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अच्छेलाल जो उसके मंत्री थे, वह उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं और इसी प्रकार की लखनऊ की तमाम संस्थाओं के प्रधान हैं, इसलिए किसी राजनीतिक चाल की वजह से ये आरोप लगाए गये हैं या कोई खास गबन है ? इसको मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करें ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वहां गबन है, लेकिन जब तक सारे कागजात नहीं मिलते उसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया जा सकता, इस सम्बन्ध में बताना मुश्किल होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया बाल्मीकी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को कालोनी बसाने के लिए दिया गया है ? क्या उन्हें मालूम है कि उनके मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य ने घटनास्थल पर जाकर देखा है कि अब तक एक भी मुकम्मल क्वार्टर नहीं बना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जहां तक देखने का सवाल है देख तो मैं खुद आया हूं । पारसाल ऐसा मालूम हुआ था कि वहां पर कुछ गड़बड़ी है, तो मैं स्वयं वहां गया था । उसके बाद विधायक महोदय मेरे पास पहुंचे थे । उस पर जांच हुई । कागजात सारे मिले नहीं । कुप्रबन्ध और शिकायत के बल पर यह मंडल समाप्त किया गया है और प्रशासक नियुक्त किया गया है । उनको भी जब सफलता कागजात प्राप्त करने में नहीं मिली तो सिटी मैजिस्ट्रेट को लिखा गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां किस तारीख को दरख्वास्त दी गई और श्री अच्छेलाल बाल्मीकि के खिलाफ, वारन्ट कब जारी हुआ और क्या वजह है कि अबतक वह उन पर तामील नहीं हुआ है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

८ अप्रैल, ७० को प्रशासन ने सिटी मैजिस्ट्रेट को लिखा । इसके बाद सिटी मैजिस्ट्रेट ने हसनगंज के थाना इंचार्ज को कार्यवाही के लिए कहा । जब वह नहीं मिल सके तो फिर से थाना इंचार्ज को रिमाइन्ड कराया गया है । आज ही मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि अभी तक कागजात नहीं मिले हैं, आए नहीं हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

डाइरेक्टर, हरिजन वेल्फेयर, ने जब मार्च, ७० में ८१,६०० रुपये के गबन की शिकायत शासन को दी थी, तो आजतक उस पर ए० फ० आई० आर० की कार्यवाही हुई है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमन्, पहले बतलाया है कि जबतक पूरे कागजात मिलते नहीं, पूरी तरह से देखा नहीं जाता, तबतक एफ० आई० आर० दर्ज कराना मुश्किल होता है।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गबन की धनराशि क्या है तथा अन्य कागज प्राप्त करने के लिए कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

धनराशि अभी निश्चित नहीं बताई जा सकती, क्योंकि पूरे कागज मिले नहीं हैं। अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन इसका प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

कागजात पाने के लिए मंत्री जी ने कई प्रयास किए, किन्तु सफलता नहीं मिली, तो क्या मंत्री जी को ऐसा आभास हुआ है कि न कागज मिले हैं और न आइन्दा मिलने की आशा है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

आइन्दा तो उम्मीद है, कागजात अवश्य मिलेंगे प्रयास करने पर।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

तो यह कागजात न मिलने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्री अच्छेलाल बाल्मीकी इसको एवाइड कर रहे हैं और वे नहीं रहे हैं।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग की स्टैंडिंग कमेटी ने एक सब कमेटी का निर्माण किया था कि वह इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इसकी जानकारी तो मुझे इस समय नहीं है। नोटिस दिया जाए तो जानकारी कर लूंगा।

श्री अमन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या सहकारिता मंत्री माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात से अवगत करा देंगे कि उनकी पुलिस इतनी अक्षम है कि लखनऊ में ही मुलजिम को नहीं पकड़ सकती, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

वह तो मुख्य मंत्री हैं ही। उनको हम लोग चीजें बताया ही करते हैं।

*२—श्री गोविन्द सिंह तथा श्री शिवानन्द नौटियाल—

[१० वें मंगलवार के प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थगित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग में लोक सेवा आयोग द्वारा डाक्टरों की नियुक्ति

*१—श्री रामगोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६८-६९ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग में कितने डाक्टर एडहाक रूप में नियुक्त हुए तथा कितने लोक सेवा आयोग द्वारा ? सरकार सभी रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग द्वारा कब तक भर देगी ?

राज्य स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

वर्ष १९६८-६९ में कुल १६४ तदर्थ नियुक्तियां की गईं तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम से ७९ नियुक्तियां की गईं।

सभी रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग द्वारा भरने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि क्या कारण थे जिनके कारण १६४ प्रार्थियों को ऐडहाक रूप से अप्वाइंट किया गया, लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं कराया गया ?

श्री धर्मदत्त—

जन प्रतिनिधियों और जनता की मांग पर यह नियुक्तियां की गयीं।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जब चुनाव होता है तो योग्यता के आधार पर होता है और जब ऐडहाक रूप से अप्वाइंमेंट किये जाते हैं तो सिफारिश या लोगों के कहने से किये जाते हैं, तो १६४ लोगों को लोक सेवा आयोग के सामने फिर भेजा जायगा ?

श्री धर्मदत्त—

नियम के अनुसार लोक सेवा आयोग जाते ही हैं। बिना उसके स्थायी नहीं होते।

वीरभद्र कृषक सहकारी समिति, ऋषिकेश द्वारा जमीन का भूमिहीनों में वितरण

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बापू ग्राम कृषि सहकारी समिति लि०, वीरभद्र, ऋषिकेश, जिला देहरादून को जो ७०० एकड़ भूमि सरकार ने भूमिहीनों के लिए दी थी क्या वह भूमि भूमिहीनों को सहकारिता के आधार पर खेती करने के लिए दी गई है ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता—

वीरभद्र कृषक सहकारी समिति लि०, बापू ग्राम, ऋषिकेश, देहरादून को ७५० एकड़ भूमि शिकमी पट्टे पर पशुलोक सेवा मंडल ऋषिकेश द्वारा दी गयी थी न कि शासन द्वारा। इस समय समिति के पास वन-विभाग की ५९४.९० एकड़ भूमि है। उक्त भूमि को समिति को नियमित रूप से पट्टे पर देने के लिए शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। समिति ने इस भूमि को अपने सदस्यों में कृषि करने हेतु बांट रक्खा है। समिति के सभापति की रिपोर्ट के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति ही समिति के सदस्य बनाए गए हैं।

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री बतलायेंगे कि उनका प्रमाण-पत्र किसने दिया कि वे सभी भूमिहीन हैं।

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता---

समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि सदस्यों ने अपने भूमिहीन होने का ग्राम समाज के सभापति द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र सदस्य होने से पहले दिया था ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यह पशु लोक सेवा मंडल कैसी संस्था है और किसके अधीन है और किस आधार पर ७५० एकड़ भूमि वीरभद्र सहकारी समिति को दी है ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता---

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु लोक मंडल बनाया गया था तब मौजूद था । आजकल वह मंडल भूमि सरकार को वापस करके लिक्विडेट हो चुका है और जिस वक्त मौजूद था उस वक्त उसने ७५० एकड़ भूमि शिकमी पट्टे पर दे रखी थी । चूंकि अब सरकार भूमि की मालिक हो चुकी है, जो लोग कृषि कर रहे हैं वह अवैध रूप से कर रहे हैं, उसकी अवैधता को ठीक करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि जो भूमि इस समिति को दी गयी थी, उसमें कुछ भूमि ऐंटी बायटिक्स को १ लाख ८ हजार रुपए में बेची गयी थी और उस रुपए का आज तक कोई हिसाब-किताब नहीं है ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता---

यह बात सही है कि जब ऐंटीबायटिक्स फैक्टरी स्थापित हुई तो इनकी दी हुई भूमि में से करीब ३९० एकड़ भूमि ऐंटीबायटिक्स फैक्टरी को दिलवा दी गयी थी और उसके बदले में १८४ एकड़ भूमि वन विभाग द्वारा इस समिति को दी गयी । इस प्रकार अब उसके पास ५९४ एकड़ भूमि रह गयी है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

इस सरकारी समिति के अध्यक्ष व सदस्य कौन-कौन हैं ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता---

इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

जैसा कि उन्होंने उत्तर दिया है उसके आधार पर मैं यह जानना चाहूंगा कि अध्यक्ष जो हैं उन पर कोई गबन का मामला चल रहा है ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता---

इसकी कोई सूचना मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है । माननीय सदस्य द्वारा सूचना देने पर पता करके बतलाऊंगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

सोसाइटी का जो मेम्बर बना उसने गांव सभा के प्रधान का सर्टिफिकेट दिया कि वह भूमिहीन है लेकिन अगर यह साबित हो जाय कि सोसाइटी के किसी मेम्बर के पास दूसरी जगह भूमि है तो वह भूमि उससे वापस करा ली जायगी ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता---

समिति के अधिनियमों में या आलेख्य में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि केवल भूमिहीनों को ही जमीन दी जायगी । किन्तु अध्यक्ष ने वहां के यह लिखा था कि हमने अपनी ओर से ऐसा इन्तजाम किया है कि भूमिहीनों को यह जमीन दी जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल---

मेरा बहुत स्पष्ट सवाल था कि सोसाइटी के अध्यक्ष अथवा सदस्य के पास दूसरी जगह भूमि साबित हो जाय तो जमीन को उनसे वापस ले लिया जायगा ?

श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

व्यवस्था का प्रश्न है । क्या शिवराजसिंह अंगूर खा सकते हैं और बात कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

सदन में किसी को खाने-पीने की इजाजत नहीं है ।

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता---

जैसा कि मैं बतला चुका हूं जो भी सोसाइटी है उसका कब्जा इस वक्त इस भूमि पर अवैध रूप में है और कागजों के हिसाब से वह उसकी मालिक नहीं है इसलिए सरकार द्वारा उसको वापस लिए जाने का सवाल पैदा नहीं होता लेकिन चूंकि सरकार उसको देने की व्यवस्था करने जा रही है और मेम्बर महोदय किसी गबन अथवा अनियमितता की सूचना देंगे तो विभाग से कह कर उसे रुकवाने की कार्यवाही जरूर की जायगी ।

श्री इन्द्रमणी---

मंत्री जी को क्या यह मालूम है कि वह जो सरकारी समिति है यह देहरादून के रईस लोगों की है और उन्होंने भूमिहीनों के नाम पर एक समिति बना ली है लेकिन अधिनियम में कहीं भूमिहीनों का जिक्र नहीं है ? कोशिश वह यह कर रहे हैं कि ७५० एकड़ जमीन जो जंगलात विभाग की है उसको अपने अधिकार में ले लें ? तो क्या माननीय मंत्री जी इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बात की जांच करेंगे कि इस समिति के मेम्बर रईस हैं या भूमिहीन हैं जिसके पास लाखों एकड़ जमीन भी हो और जायदाद भी हो और वह सरकार की इस जमीन को भी हड़पना चाहते हों तो क्या मंत्री जी इस बात की छान-बीन करेंगे ?

डाक्टर प्रकाशनारायन गुप्ता---

अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी । माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है उसी की बुनियाद पर पूरी जांच कर ली जायेगी ।

जिला वाराणसी में चीनी का वितरण

*४---श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री राम करन (गोरखपुर)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में मासिक कोटे की चीनी तथा सस्ते रेट १-३० प्रति किलो के रेट से १ जनवरी, सन् १९७० से २८ फरवरी, सन् १९७० तक कितने दुकानदारों को कितनी-कितनी बोरी चीनी दी गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

सस्ती चीनी रु० १-३३ प्रति किलो की थी रु० १-३० प्रति किलो की नहीं । वांछित† सूचना सदन की मेज पर रखी है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

जिला पूर्ति कार्यालय, वाराणसी के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*५—श्री सुखपाल पाण्डेय (अनुपस्थित) तथा श्री राम करन (गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला पूर्ति कार्यालय, वाराणसी के ए० आर० ओ० फूड व सर्किल इन्सपेक्टर के विरुद्ध दिनांक १७ अगस्त, १९६९ को फूड कमिश्नर, लखनऊ, खाद्य मंत्री लखनऊ, जिलाधीश, वाराणसी को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि दिनांक २६ दिसम्बर, १९६९ को फूड कमिश्नर, लखनऊ, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश तथा जिलाधीश, वाराणसी को दिनांक २१ जनवरी, १९७०, २ फरवरी, १९७० को भी इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुयी है ? क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को दिनांक २४ फरवरी, १९७० को भी ऐसी शिकायत भेजी गई है ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिला पूर्ति कार्यालय, वाराणसी के एरिया राशनिंग आफिसर, (फूड) व सर्किल इन्सपेक्टर के विरुद्ध दिनांक १७ अगस्त, १९६९ और दिनांक २६ दिसम्बर १९६९, के शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुए थे। उक्त शिकायती-पत्रों में किए गए आरोपों की विस्तृत जांच की गई तथा सभी आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाये गये। दिनांक २१ जनवरी, १९७० और दिनांक २ फरवरी, १९७० के शिकायती पत्र जिला मैजिस्ट्रेट, वाराणसी को प्राप्त हुए थे। इन शिकायती-पत्रों में लगाये गये आरोपों की भी जांच की गई और सभी आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाये गये। २४ फरवरी, १९७० का शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता।

श्री राम करन (गोरखपुर)—

प्रश्न संख्या ५ से सम्बन्धित, क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकायती-पत्र मिला है और जिसकी जांच हुई, तो वह जांच करने वाला अधिकारी कौन था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, एक शिकायत श्री डी० एन० गुप्ता ने १७-८-६९ को की और दूसरी शिकायत उन्हीं महोदय ने २६ दिसम्बर, १९६९ को की। इसकी जांच जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी ने की और उसने यह बताया कि यह सब तथ्यहीन और निराधार है। यह मैं आपको पहले बतला चुका हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में बनारस में चीनी सस्ती बेची गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वहां पर जो सस्ती चीनी दी गई वह ऐसा था कि यह भारत सरकार ने कुछ एडहाक कोटा दिया था और यह पाया गया कि इसमें कुछ पानी मिला हुआ है तथा हल्के किस्म की है इसलिये इसकी कीमत कुछ कम की गई।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि शिकायत करने वाले को यह मौका दिया गया कि वह शिकायत करने का सबूत पेश करे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

हरएक को मौका दिया गया और मौका देने के बाद ही यह साबित हुआ कि वह सब झूठा था और उसमें कोई सार नहीं था।

गोरखपुर की तहसील फरेंदा में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों की मांग

*६---श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार गोरखपुर जनपद की तहसील फरेंदा में तथा विकास क्षेत्र, लक्ष्मीपुर के नईकोट, अड्डा बाजार बरगदवा तथा कोल्हुई विकास क्षेत्र, नौतनवां के बरगदवा बाजार, असुरैना और भगवानपुर में राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)---

इन सभी ग्रामों में चिकित्सालयों की स्थापना हेतु तथा उनके कर्मचारियों के निवास योग्य उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हैं। जब तक उपयुक्त भवनों की व्यवस्था नहीं होती तब तक वहां चिकित्सालयों की स्थापना करना सम्भव नहीं है।

नौतनवां में स्थित अस्पताल के लिये लेडी डाक्टर की नियुक्ति

*७---श्री रामलगन दूबे---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर के सदर मुकाम से उत्तर ६० किलोमीटर की दूरी तक महिलाओं की चिकित्सा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ? तो क्या सरकार नौतनवां बाजार में एक स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा निर्मित लेडीज अस्पताल के लिये योग्य लेडी डाक्टर व स्टाफ की व्यवस्था शीघ्र करेगी ? तथा उसे अपने नियन्त्रण में लेगी ?

श्री अनवार अहमद---

जी हां।

नौतनवां बाजार में स्थित लेडीज अस्पताल, जिला परिषद, गोरखपुर द्वारा संचालित है। अतः सरकार द्वारा वहां पर किसी लेडी डाक्टर की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

उसे सरकारी नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है यदि जिला परिषद् गोरखपुर इस आशय का प्रस्ताव पारित कर शासन से अनुरोध करें।

आजमगढ़ जिले के राजकीय चिकित्सालय मधुवन में बिजली का प्रबन्ध

*८---श्री लालसा (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत तहसील घोसी में स्थित राजकीय चिकित्सालय, मधुवन में अविलम्ब बिजली लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद---

राजकीय चिकित्सालय मधुवन में बिजली लगाने के लिये एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हाई-डिल डिवीजन, आजमगढ़ से एस्टीमेट मांगा गया है और उसके प्राप्त होते ही उचित कार्यवाही की जायगी।

नोट---तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

स्वास्थ्य सहायकों की सेवायें समाप्त करके जिलाधीशों द्वारा पुन: नियुक्ति

*९—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १०,००० स्वास्थ्य सहायकों की सेवायें समाप्त करके पुनः जिलाधीशों के द्वारा नियुक्ति करने का क्या कारण है ?

श्री अनवार अहमद—

तीन हजार पांच सौ न कि दस हजार परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के अनेक नियुक्ति प्राधिकारी को हटाकर एक ही नियुक्ति प्राधिकारी रखने एवं उनकी सेवाओं में एकरुपता लाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। अब केवल जिलाधिकारी ही सभी स्वास्थ्य सहायकों के नियुक्ति प्राधिकारी बन गये हैं। इन स्वास्थ्य सहायकों के पदों की शासकीय स्वीकृति भी २८-२-७० से समाप्त हो रही थी और शासन के अदेशानुसार सभी स्वास्थ्य सहायकों की सेवायें औपचारिक रुप से समाप्त करना आवश्यक था।

[९ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम को शेष मंडियों में लागू करना

*१—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) तथा श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ जिन मंडियों में लागू नहीं है उनमें कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रदेश की २५० प्रधान मंडियों में से जो मंडिया अभी तक विनियमित नहीं हैं उनको वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ के प्राविधानों के अनुसार विनियमित करने का प्रस्ताव है।

मेडिकल कालेजों में मरीजों तथा डाक्टरों की संख्या

*२—श्री रामगोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, आगरा तथा इलाहाबाद के मेडिकल कालेजों के अन्दर मरीजों की कितनी चारपाइयां हैं ? इन कालेजों में कितने डाक्टर अलग-अलग हैं ? अर्थात् प्रत्येक में कितने प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरर तथा रेजीडेंट डाक्टर हैं ?

श्री अनवार अहमद—

आगरा, कानपुर तथा इलाहाबाद मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध टीचिंग अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या तथा डाक्टरों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३० पर)

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में डाक्टरों की संख्या में वृद्धि

*३—श्री रामगोपाल संड—

क्या यह सच है कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज में मरीजों के जब ६ वार्ड थे उस समय जितने डाक्टर थे उतने ही अब १२ वार्ड बन जाने पर भी हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब डाक्टरों की संख्या बढ़ायेगी जिससे मरीजों की अधिक सेवा हो सकें ?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं। वार्डों के बढ़ने पर डाक्टरों की संख्या भी बढ़ा दी गयी है ताकि छात्रों के प्रशिक्षण के साथ-साथ मरीजों की भी उचित देखरेख हो सके।

राजकीय चिकित्सालयों में वैद्यों की नियुक्ति

*४—श्री जगदीश गांधी तथा श्री नैपाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के लगभग आठ सौ सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनमें कुछ चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड वैद्य विशारदों एवं आयुर्वेद रत्नों डिप्लोमा प्राप्त को नियुक्ति करने पर विचार करेगी?

श्री अनवार अहमद—

इस समय प्रदेश के १०९ पुरुष तथा ८४ महिला राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं है उपर्युक्त चिकित्सालयों में इन्टीग्रेटेड कोर्स के स्नातकों को चिकित्सा अधिकारी के पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

जिला नैनीताल के बागढ़ औषधालय के कम्पाउन्डर का गायब होना

*५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोवर्द्धन प्रसाद जोशी, कम्पाउन्डर बागढ़ (जिला नैनीताल) औषधालय के दिनांक २८ अप्रैल, १९६९ से यकायक गायब हो जाने के विषय में उनके पास विभाग द्वारा या गोवर्द्धन जोशी के परिवार वालों की तरफ से कोई सूचना मिली है। यदि हां, तो उस पर अबतक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। की गई जांच से कुछ पता नहीं चला है।

*६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री गोवर्द्धन जोशी के कपड़ों को रेलवे पुलिस, रामपुर द्वारा १ मई, १९६९ को प्राप्त होने की कोई सूचना मिली है? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही की गई?

श्री अनवार अहमद—

जिला मैजिस्ट्रेट, नैनीताल से सूचना मिली है। जांच से कुछ पता नहीं चला है?

*७-८—श्री रामलाल राही—

[६ ठे मंगलवार के प्र० सं० १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९-१०—श्री अनन्त राम जायसवाल—

[१० वें मंगलवार के प्र० सं० १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[७ वें सोमवार के प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्थगित]

*१३—श्री डूगरसिंह बिष्ट—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण तथा स्थायीकरण

*१४—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द सहाय कमेटी ने ग्राम सेवकों के सम्बन्ध में कोई संस्तुति दी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां। वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३१ पर)

*१५—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या विकास मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि ग्राम सेवकों में से कुछ को स्थायी किया गया है ? यदि हां, तो कब और कितनों को ?

श्री शिवराज सिंह—

ग्राम सेवकों के पदों का स्थायीकरण १९५७ से आरम्भ हुआ और तब से समय-समय पर ग्राम सेवकों को स्थायी किया जा रहा है। इस संबंध में १९५७ से अब तक की विस्तृत सूचना समस्त जिलों से एकत्रित की जा रही है जिसमें कुछ समय लगेगा। वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला बलिया के विकास खंड, मनियर में गबन

*१६—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री को ज्ञात है कि विकास खंड, मनियर, जिला बलिया में वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में निजी साधनों से लगे, सिंचाई कार्यों के अल्पकालिक योजना में दिये गये अनुदान की लगभग ८,००० रु० की रसीदें विकास खंड कार्यालय में मौजूद नहीं हैं और इस धन का गबन हुआ है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां, कथित धनराशि के गबन होने के बारे में सरकार को अभी तक जानकारी नहीं हुई है। इस संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है। जांच का परिणाम प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*१७-१८—श्री सूरजलाल गुप्त तथा श्री हिम्मत सिंह—

[७वें सोमवार के प्र० सं० १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१९-२०—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाये गये]

जिला नियोजन कार्यालयों के जिला आंकिकों तथा प्रधान लिपिकों का स्थायीकरण

*२१—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री को जानकारी है कि नियोजन विभाग के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६४ ई० एवं १ मई, १९६५ ई० को क्रमशः १३ और १२ जिला आंकिकों एवं प्रधान लिपिकों के स्थायीकरण के आदेश शासन से प्राप्त हुए थे किन्तु आज तक आयुक्त कृषि, उत्पादन एवं ग्राम विकास कार्यालय से आदेश प्रसारित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार शीघ्र ही शासन के आदेश का प्रसारण एवं कार्यान्वयन कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शिवराज सिंह—

जिला नियोजन कार्यालयों के जिला आंकिकों तथा प्रधान लिपिकों के १३ स्थाई पद अक्तूबर, १९६५ में तथा १४ स्थाई पद सितम्बर, १९६७ में शासन से प्राप्त हुए न कि १-४-६४ तथा १-५-६५ को। प्रधान लिपिकों के २ स्थाई पदों पर स्थायीकरण के निदेश संबंधित जिलों को जारी हो चुके हैं। जिला आंकिकों को वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने में समय लगा। इसे अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है। आशा है स्थायीकरण के निदेश संबंधित जिलों को शीघ्र ही प्रसारित कर दिये जायेंगे।

जिला पूर्ति कार्यालय, बलिया के अग्निकांड की जांच

*२२—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला बलिया की पूर्ति आफिस की एक आलमारी में दिनांक १० अप्रैल, १९७० को आग लग गई और उसमें रखी गई रेंट कन्ट्रोल तथा लाइसेंस और परमिट इत्यादि की महत्वपूर्ण फाइलें जल गई हैं ? क्या सरकार ने उपरोक्त आफिस में आग लगने की जांच कराई है ? यदि हां, तो उसमें पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सत्य है कि जिला पूर्ति कार्यालय, बलिया में दिनांक ९/१० अप्रैल, १९७० को रात में आग लग जाने के कारण एक अलमारी में रखे गये रेन्ट कन्ट्रोल, कोल भट्ठा लाइसेंस इत्यादि की समस्त फाइलें जल गयीं। दिनांक १० अप्रैल को इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी। जिसमें तफतीश जारी है और अभी तक पुलिस की कोई जांच रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई।

फूलपुर तहसील में जनाना अस्पताल खोलने की योजना

*२३—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले के तहसील फूलपुर में जनाना अस्पताल खोलने की योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। किन्तु यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसे कब तक कार्यान्वित करना सम्भव होगा।

महिला चिकित्सालयों का इन्टीग्रेटेड चिकित्सालयों में परिवर्तन

*२४—श्री हिम्मत सिंह—

क्या चिकित्सा मंत्री को इसकी जानकारी है कि निदेशक, चिकित्सा द्वारा कुछ इन्टीग्रेटेड डिस्पेंसरीज को खोलने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कागजात आज से लगभग ७ मास पूर्व सरकार को प्राप्त हुए थे परन्तु अभी तक उन पर कोई फैसला नहीं लिया गया ? यदि हां, तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। कुछ डाक्टरविहीन महिला एलोपैथिक चिकित्सालयों को इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव निदेशक से प्राप्त हुआ था, परन्तु योग्य महिला अभ्यर्थिनी, जो एक "चयन समिति" द्वारा चूनी जाती है, के अभाव में उक्त चिकित्सालयों को इन्टीग्रेटेड चिकित्सालयों में परिवर्तित नहीं किया गया क्योंकि उन्हें परिवर्तित कर देने पर वहां एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को नियुक्त करने की सम्भावना भी समाप्त हो जाती।

*२५-२६—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

[८वें मंगलवार के प्र० सं० ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लघु सिंचाई विभाग में कनिष्ठ लिपिकों की सेवाओं की समाप्ति

*२७—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग के ज्येष्ठ लिपिक लघु सिंचाई के पद सभापति के कारण नियोजन विभाग में कनिष्ठ लिपिकों की सेवायें दिनांक १७ मार्च, १९७० से सम्पूर्ण प्रदेश में समाप्त होने से कितने कर्मचारी बेकार हुये हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

लघु सिंचाई विभाग के शीघ्र गामी एवं त्वरित लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत लेखाकारों के सहायतार्थ स्वीकृत पदों की समाप्ति के फलस्वरूप जिला लेखाकारों तथा ज्येष्ठ लिपिक अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित किये गये। प्रत्यावर्तन तथा विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर खपत करने के उपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में कुल ७४ कनिष्ठ लिपिक सेवा मुक्त होने से बेकार हुए। इनमें से १७ को पुनर्नियुक्त कर लिया गया है तथा अब केवल ५७ ही बेकार हैं।

जिला बहराइच के ब्लाकों में हैंडपाइप लगाने की व्यवस्था

*२८—श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बहराइच के पखरपुर, हुजूरपुर, पयागपुर ब्लाकों में पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९६९-७० में कितने-कितने हैन्ड पाइप लगवाये गये एवं कूप बनवाये गये ?

श्री शिवराज सिंह—

सामुदायिक विकास विभाग द्वारा जिला बहराइच के विकास खंड पखरपुर, हुजूरपुर और पयागपुर में वित्तीय वर्ष १९६९-७० में कुल ३० हैन्ड पम्प लगाये गये। इस अवधि में उपर्युक्त विकास खंडों म कोई कूप नहीं बना।

*२९-३०—श्री रामदेव तथा कुंवर तेजभान सिंह—

[१० वें मंगलवार के प्र० सं० ५-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३१—श्री हिम्मत सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*३२—श्री तेजपाल—

[९वें सोमवार के प्र० सं० ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेडिकल कालेजों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों के स्थानों का सुरक्षण

*३३—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एम० बी०, बी० एस० में प्रवेश के लिए कानपुर, आगरा, लखनऊ, मेरठ और झांसी के मेडिकल कालेजों के चुनाव में किस-किस वर्ग के लिये कितने-कितने स्थान सुरक्षित हैं ?

श्री अनवार अहमद—

यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३२ पर)

बांट तथा माप क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में गबन

*३४—श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बांट तथा माप क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में करीब ४०,००० रुपये के गबन का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर ३० अप्रैल, १९७० तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां। अब तक प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बांट तथा माप क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में रु० ३१,४३७.३४ पैसे का गबन हुआ है।

यह मामला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड इसकी जांच कर रहा है। कार्यालय के लेखाकार निलम्बित हैं और दिनांक ५-३-१९७० से अदालत में हाजिर होने पर जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।

बांट तथा माप सीनियर इन्सपेक्टर, गोंडा के विरुद्ध जांच

*३५—श्री शीतला प्रसाद सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ९ अप्रैल, १९७० को क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, गोरखपुर ने बांट तथा माप सीनियर इंस्पेक्टर केन्द्र गोंडा के विरुद्ध कोई जांच की है ? यदि हां, तो उस पर ३० अप्रैल, १९७० तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां। इनका मामला विचाराधीन है। फिलहाल इनका स्थानान्तरण गोंडा से बांदा के लिए कर दिया गया है।

भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की का स्थानान्तरण

*३६—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की जिला सहारनपुर का स्थानान्तरण नवम्बर, १९६९ से मार्च, १९७० तक की अवधि में किस-किस महीने में कितनी-कितनी बार किया गया, और कितने बार उसे निरस्त किया गया ? स्थानान्तरण किये जाने के क्या कारण थे और उसे निरस्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

नवम्बर, १९६९ से मार्च, १९७० तक की अवधि में श्री हरानन्द त्रिपाठी, भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की को प्रथम बार दिसम्बर, १९६९ में उनके विरुद्ध शिकायतें होने के कारण, भूमि संरक्षण अधिकारी, बस्ती के पद पर स्थानान्तरण के आदेश प्रसारित किये गये थे। परन्तु श्री तुलसीदास व्यास, भूमि संरक्षण अधिकारी, बस्ती, जिनके पद का कार्यभार श्री त्रिपाठी को ग्रहण करना था, के स्थानान्तरण के आदेश रद्द किये जाने के कारण श्री त्रिपाठी को फरवरी, १९७० में भूमि संरक्षण अधिकारी, फैजाबाद के पद पर स्थानान्तरण के आदेश जारी किये गये थे।

*३७—श्री रामलाल राही—

[१०वें मंगलवार के प्र० सं० ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३८—श्री रामलाल राही—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]

जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, देवरिया को ऋण

*३९—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, देवरिया को देवरिया में कोल्ड स्टोरेज के खोलने के लिये एक बड़ी रकम कर्ज की शक्ल में दी जा रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं।

*४०—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार में आडिट रिपोर्ट के अनुसार एक लाख से अधिक का गबन व गोलमाल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी संस्था को कोल्ड स्टोरेज के लिये एक लम्बी रकम फिर कर्ज के रूप में क्यों देने जा रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी सभा लिमिटेड, फैजाबाद के संचालक मंडल का चुनाव तथा बैठक

*४१—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या राज्य सरकार को ज्ञात है कि जिला सहकारी सभा लिमिटेड, फैजाबाद के संचालक मंडल का चुनाव २३ जनवरी, १९७० को हो चुका है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, फैजाबाद एवम् उनके द्वारा नामजद परगनाधिकारी उसके कार्य का संचालन किस प्रकार कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। निर्वाचन याचिकाओं पर मुंसिफ, फैजाबाद तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिए गए निर्णयों के फलस्वरूप कार्य संचालन अब भी प्रशासक द्वारा हो रहा है।

*४२—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जिला सहकारी सभा लिमिटेड, फैजाबाद के संचालकों की बैठक, दिनांक ९ अप्रैल, १९७० तथा २४ अप्रैल, १९७० को जिला चुनाव प्राधिकारी (परगनाधिगारी, बीकापुर) ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु बुलाई तथा बिना किसी कार्यवाही के स्थगित कर दी? यदि हां, तो क्यों और क्या कारण है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

दिनांक ९—४—१९७० के चुनाव अधिकारी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था इसलिए अगली बैठक की तिथि २४—४—१९७० निर्धारित की गयी। २३—४—१९७० को एक निर्वाचन सम्बन्धी याचिका पर जिलाधिकारी, फैजाबाद ने २४—४—१९७० को होने वाली बैठक पर रोक लगा दी।

वाराणसी मण्डल के सहायक निबन्धकों का स्थानान्तरण

*४३—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता विभाग के वाराणसी मण्डल के किन-किन सहायक निबन्धकों का दिसम्बर, १९६९ से मार्च, १९७० के बीच स्थानान्तरण किया गया, परन्तु पुनः स्थगित कर दिया गया तथा क्यों?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

दिसम्बर, १९६९ से मार्च, १९७० तक के बीच, वाराणसी मण्डल के दो सहायक निबन्धकों, सर्वश्री जे० एन० सिंह, सहायक निबन्धक, जौनपुर और एम० पी० गुप्ता, सहायक निबन्धक, मिर्जापुर का स्थानान्तरण किया गया परन्तु बाद में प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया।

*४४—श्रीमती मसाली देवी—

[१० वें मंगलवार के प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी मिल्क बोर्ड, कानपुर में घाटा

*४५—श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

क्या यह सही है कि सहकारी मिल्क बोर्ड, कानपुर काफी अर्से से भारी घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो उक्त घाटा कब से होना शुरू हुआ और सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। घाटा बोर्ड के निबन्धन की तिथि से ही, अर्थात् मार्च, १९६२ से, हो रहा है। घाटे को कम करने के लिये बोर्ड स्वयं प्रयत्नशील है। नवम्बर, १९६९ से, जब से दुग्ध का व्यवसाय प्रारम्भ हुआ बोर्ड आय बढ़ाने व व्यय घटाने का प्रयत्न कर रहा है।

*४६—४७ श्री बिहारी लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*४८—श्री प्रेम नारायण तथा श्री सियाराम—

[१० वें मंगलवार के ता० प्र० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना

*४९—श्री कल्यान सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की यू० पी० एग्रो इंडिस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ के अन्तर्गत प्रांत में कुछ कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की योजना है ? यदि हां, तो कुल कितने कहां-कहां कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की योजना है ? क्या उक्त कोल्ड स्टोरेज पर अनुमानित लागत व्यय की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है ? यदि हां, तो प्रत्येक का अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां । यू०पी० स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ के अन्तर्गत प्रांत में २५ कोल्ड स्टोरेज संलग्न तालिका में दिये स्थानों पर स्थापित करने की योजना है । उक्त कोल्ड स्टोरेज पर अनुमानित व्यय की रूप रेखा तैयार की जा चुकी है । प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज का अनुमानित व्यय ९.७ लाख रुपया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३३ पर)

कृषि निदेशक तथा कृषि निदेशक संस्थान के पर्सनल असिस्टेन्ट की नियुक्ति तथा लिपिकों की ज्येष्ठता की सूची

*५०—श्री इन्द्रमणी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लिपिक वर्ग की प्रेडेशन लिस्ट सन् १९४९ से अब तक पेंडिंग पड़ी है? यदि हां, तो क्यों और कब तब उस पर निर्णय लिया जायगा तथा सन् १९६९ तथा १९७० में कृषि निदेशक तथा कृषि निदेशक संस्थान के पर्सनल असिस्टेंट की नियुक्ति का क्या आधार है ?

श्री शिवराज सिंह—

कृषि निदेशालय के कुछ श्रेणी के लिपिक वर्ग की ज्येष्ठता सूची अंतिम रूप से तैयार हो गई है तथा शेष की निकट भविष्य में तैयार हो जाने की आशा है।

प्रश्नगत पर्सनल असिस्टेंट के दो पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चुनाव होने तक अस्थायी तदर्थ नियुक्तियां पात्र व्यक्तियों में से योग्यता के आधार पर की गई है ।

*५१-५२—श्री विश्राम दास—

[१० वें मंगलवार के प्र०सं० १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५३—श्री रूपराम, श्री हरनरायन तथा श्री किशन लाल—

[८ वें गुरुवार के प्र० सं० ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन तथा यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन की प्रबन्ध समितियों के चुनावों की जांच

*५४—श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या यह सत्य कि यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन एवं यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन की प्रबन्ध समितियों के लिये हुये चुनावों में सहकारिता अधिनियम की धारा १९ एवं सहकारिता

नियमावली के नियम ४८, ४९ का उल्लंघन कर बड़ी संख्या में बकायादारों व घोषणा-पत्र प्रस्तुत न करने वालों को भी सदस्यता के अधिकार दे कर मतदान करने दिया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

ऐसी कोई सूचना शासन को नहीं मिली है ।

*५५---श्री हरी सिंह विष्ट---

क्या सरकार सहकारिता अधिनियम व नियमावली का परिपालन कराने हेतु यू० पी० सी० व यू० पी०सी० एफ० के मतदान पत्रों की जांच करवा कर अवैध मत-पत्रों को रद्द कर अवैधानिकता का परिमार्जन करायेगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

सहकारी संस्थाओं में चुनाव संबंधी विवाद सहकारिता अधिनियम व सहकारिता नियमावली के अन्तर्गत मध्यस्थता से तय किये जाते हैं । इनमें शासन द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५६---श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त---

[१०वें मंगलवार के प्र० सं० १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरकारी कृषि फार्मों की जमीन का ब्यौरा तथा उनमें लाभ व हानि

*५७---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में सरकारी कृषि फार्म की कितनी-कितनी जमीन है ?

श्री शिवराज सिंह---

प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजकीय कृषि फार्मों की जमीन का ब्योरा संलग्न† प्रदर्श १ में दिया हुआ है ।

*५८---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन कृषि फार्मों में १९६८-६९ व १९६९-७० में कितना-कितना घाटा तथा लाभ हुआ ?

श्री शिवराज सिंह---

फार्मों का लेखा कृषि वर्ष के अनुसार बनाया जाता है तथा कृषि वर्ष १९६९-७०, ३१ मई, १९७० को समाप्त हुआ है । अतः १९६९-७० के लाभ या हानि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । वर्ष १९६८-६९ के लाभ तथा हानि के आंकड़े संलग्न† प्रदर्श २ में दिये हुये हैं ।

कानपुर जिले के सहकारी बीज गोदामों में लाभ व हानि

*५९---श्री राम कुमार (जिला कानपुर)---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के कितने सहकारी बीज गोदाम हैं ? कितने लाभ तथा कितने हानि में चल रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

कानपुर जनपद में वर्ष १९६८-६९ में कुल ४१ सहकारी बीज भंडार थे जिसमें से ३६ बीज भंडार लाभ पर थे तथा ५ बीज भंडार हानि पर थे ।

---

† छापा नहीं गया ।

कानपुर राशनिंग समाप्ति के पश्चात् राशनिंग कर्मचारियों की ज्येष्ठ निरीक्षक आदि के पदों पर नियुक्तियां

*६०—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर की सम्पूर्ण राशनिंग की समाप्ति के पश्चात् जिन कर्मचारियों की खाद्य विभाग में ज्येष्ठ निरीक्षक तथा जिला पूर्ति निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां की गयीं उनके संबंध में किन विशेष बातों को ध्यान में रक्खा गया था और खाद्य विभाग में इन कर्मचारियों के रक्खे जाने का आधार क्या माना गया था ? क्या कर्मचारियों की ज्येष्ठता, कार्य तथा आचरण पर कोई ध्यान दिया गया ? कुल कितने कर्मचारी ज्येष्ठ निरीक्षकों के पद पर ऐसे भी नियुक्त किये गये जो स्नातक नहीं थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कानपुर राशनिंग की समाप्ति के पश्चात् कर्मचारियों की खाद्य विभाग में ज्येष्ठ निरीक्षक तथा जिला पूर्ति निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति करते समय विशेष तौर पर यह ध्यान में रक्खा गया कि अन्य विभागों द्वारा सरप्लस घोषित कर्मचारी जो कानपुर राशनिंग की समाप्ति के फलस्वरूप छटनी में आ गये थे बेरोजगार न हो जायं। इसी आधार पर इनकी नियुक्तियां की गईं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति के समय इनकी ज्येष्ठता, कार्य तथा आचरण पर भी ध्यान दिया गया था। केवल एक ऐसा कर्मचारी ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था जो स्नातक नहीं था।

अल्मोड़ा जनपद में फल पट्टी का आवंटन तथा पौधशालाओं की स्थापना

*६१—श्री हरी सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा जनपद में फल-पट्टी योजना में अभी तक क्या प्रगति हुई है ? और इस योजनान्तर्गत कितने लोगों को कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि एलाट की गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

अल्मोड़ा जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में ४ फल पट्टियां :—

(१) आरतोला, सुवाखान, दुड़म
(२) पौधार, लमगड़ा, मोतियापाथर
(३) लोहाघाट, मरोडखान, पाटन सुई
(४) गोसनी, घेरनाथ, मनेश्वर प्रस्तावित हैं। इनमें अभी तक २८८.३१ एकड़ नाप भूमि में उद्यान लगाये जा चुके हैं। भूमि का आवंटन अभी नहीं हुआ है।

*६२—श्री हरी सिंह बिष्ट—

क्या अल्मोड़ा जनपद में किसानों को फलों के पौधे देने के लिये कोई पौधालय बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां और इस योजना के लिये कितनी धनराशि का प्राविधान है ?

श्री शिवराज सिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में रु० ६,११,००० की अनुमानित लागत पर १० प्रजनि उद्यान तथा पौधशालायें स्थापित करने की योजना है। इनमें से दो (१) गोसनी, ब्लाक बाराकोट, तथा (२) डोल, ब्लाक लमगढ़ में स्थापित की जा चुकी हैं। शेष के लिये स्थान का चयन अभी नहीं किया गया है।

*६३–६४—श्री उमाशंकर—

[१० वें मंगलवार के प्र० सं० १३–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा प्राप्त हुये ट्रैक्टर सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*६५—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक ५ मई, १९७० को नत्थी (क) में प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के क्रम पर क्या कृषि मंत्री कृपया बतावेंगे कि १ मार्च, १९७० से ३१ मार्च, १९७० तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र किन-किन जिलों से यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को प्राप्त हुये और इन प्रार्थनापत्रों में कुमायूं व उत्तराखंड मंडल के कितने प्रार्थना-पत्र हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को १ मार्च, १९७० से ३१ मार्च, १९७० तक कुल ५१३ प्रार्थना-पत्र संलग्न तालिका में दिये जिलों से प्राप्त हुये। इन प्रार्थना-पत्रों में कुमायूं मंडल के ४३ प्रार्थना पत्र हैं। अब उत्तराखंड कोई मंडल नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २३४ पर)

गोंडा जिले में फाइलेरया को रोकने का प्रबन्ध

६६—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में तहसील तरबगंज में विकास क्षेत्र, वजीरगंज, नवाबगंज, तरबगंज में फाइलेरिया की बीमारी बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो इसकी रोक थाम के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनवार अहमद—

पिछले तीन वर्षों के चिकित्सा केंद्रों के आंकड़ों से पता चलता है कि जनपद गोंडा में विकास क्षेत्र वजीरगंज व तरबगंज में फाइलेरिया रोगियों की प्रतिशत संख्या घटी है, केवल नवाबगंज विकास क्षेत्र में रोगियों की प्रतिशत संख्या वर्ष १९६९ में बहुत कम मात्रा में बढ़ी है। उक्त रोग की चिकित्सा के लिये वजीरगंज तथा तरबगंज चिकित्सालय एवं जिला अस्पताल, गोंडा के माध्यम से औषधि वितरण की व्यवस्था है।

फर्रुखाबाद तथा इलाहाबाद में ग्राम सेवकों के अवकाश सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

*६७—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

सरकार बताने का कष्ट करेगी कि वर्ष १९६३–६४, १९६४–६५, १९६५–६६ व १९६६–६७ में जनपद, फर्रुखाबाद–इलाहाबाद में कितने ग्राम सेवकों के अवकाश के मामले इस समय अनिर्णीत पड़े हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

फर्रुखाबाद में कोई भी अनिर्णीत नहीं पड़ा है इलाहाबाद की सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६८—श्री सूबेदार प्रसाद—

[११ वें शुक्रवार के प्र० सं० २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राबर्ट्सगंज विकास खंड के अधिकारियों का स्थानान्तरण

*६९—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के क्षेत्र विकास अधिकारी तथा कुछ सहायक विकास अधिकारी ३ वर्षों की अवधि से ऊपर रह कर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इनका तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

केवल एक सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ऐसे हैं जिन्हें तीन वर्ष पूरे हो गये हैं । इनके स्थानान्तरण के लिये आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं । अन्य अधिकारियों को अभी उक्त विकास खंड में ३ वर्ष पूर्ण नहीं हुये हैं ।

*७०—श्री सियाराम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*७१-७२—श्री विजयबहादुर सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सीतापुर के कृषि फार्मों में हानि तथा फार्मों की जमीन का भूमिहीन किसानों में वितरण

*७३—श्री श्यामलाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर में कितने सरकारी कृषि फार्म हैं तथा विगत पांच वर्षों में किन-किन फार्मों में घाटा होता रहा है ?

श्री शिवराज सिंह—

सीतापुर में आठ सरकारी कृषि फार्म हैं । विगत पांच वर्षों में कृषि फार्म, विलोइया तथा परसेंडी पर घाटा होता रहा है ।

*७४—श्री श्यामलाल रावत—

क्या सरकार इन फर्मों को तोड़कर भूमिहीन किसानों में वितरित करने पर विचार करेगी ?

श्री शिवराज सिंह—

सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

*७५—श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[१०वें मंगलवार के प्र० सं० १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक विकास अधिकारी कृषि की कृषि अधीनस्थ सेवा वर्ग २ में विलीनीनीकरण

*७६—श्री कृष्णकांत तथा श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने राजाज्ञा ३०८९/३५-ए०—१२९ एन० ई० एस०-५८, दिनांक १५ जून, १९६१ के परिपालन में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की कृषि अधीनस्थ सेवा वर्ग दो में विलीन कर एक मिजी-जुली ज्येष्ठता सूची इसकी कब तैयार कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह---

यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

विवाह के अवसर पर वनस्पति घी का वितरण

*७७---श्री रियासत हुसैन---

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज कल शादी विवाह के अवसर के लिये वनस्पति घी मिलने के लिये क्या विशेष व्यवस्था की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

वनस्पति के सप्लाई एवं उत्पादन पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण शासन द्वारा शादी विवाह के अवसर पर वितरण की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती है। फिर भी समस्त जिलाधीशों को यह आदेश दिये गये हैं कि वे वनस्पति की उपलब्धता को देखते हुए जिलों में उसका वितरण इस प्रकार करायें कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को मिल सके ।

जिला आगरा में निर्मित महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की व्यवस्था

*७८---श्री सियाराम (जिला एटा)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला आगरा में विगत ५ वर्ष से निर्मित महिला चिकित्सालय में अब तक महिला चिकित्सक की व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि चिकित्सक की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री अनवार अहमद---

बाह के नव निर्मित महिला अस्पताल का कब्जा चिकित्सा विभाग को २९ दिसम्बर, १९६७ तक नहीं मिला था । अतः ऐसी सूरत में इससे पहले स्टाफ स्वीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । चिकित्सक के पद की स्वीकृत दिनांक १९ जनवरी, १९६८ से दी जा चुकी है। लेडी डाक्टरों की भारी कमी के कारण कोई लेडी डाक्टर अब तक नहीं भेजी जा सकी है । जैसे ही कोई लेडी डाक्टर उपलब्ध होगी वहां भेज दी जायगी ।

इलाहाबाद जिले में तकावी अमीनों की पुनः नियुक्ति

*७९---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कितने कृषि विभाग के तकावी अमीनों को तकावी वसूली के सिलसिले में धनराशि के गबन, आदि आरोपों में सेवा से १९६९- से दिनांक १ अप्रैल, १९७० तक निकाल दिया गया और इनमें से कितने को पुनः किस आधार पर नियुक्त किया गया ?

श्री शिवराज सिंह---

इलाहाबाद जनपद में उक्त अवधि में ९ तकावी अमीनों की सेवायें समाप्त की गईं । ये अमीन अस्थायी थे और शासन को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी । उनमें से ४ अमीनों को आवश्यकता पड़ने पर पुर्नानियुक्त किया गया ।

कानपुर तथा फतेहपुर जिले में लेवी द्वारा दी गई चीनी का भाव

*८०—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर व फतेहपुर जिले में लेवी द्वारा दी जाने वाली शकर जिसे होल सेल डीलर सरकारी शकर के फुटकर विक्रेताओं को देते हैं रेंटों में बड़ी असमानता है ? यदि हां, तो माह मार्च और अप्रैल, १९७० में दोनों जिलों में जो लैवी की चीनी दी गई उसकी किस्म और रेट फी क्विंटल क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

लैवी चीनी के भाव क्षेत्र तथा उसकी श्रेणी के हिसाब से निर्धारित किये जाते हैं जो समान नहीं हैं । इसके अलावा हर वर्ष की उत्पादित की हुयी चीनी के भाव भी भिन्न हैं । वांछित सूचना सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २३५–२३७ पर)

कृषि डिप्लोमा कालेज, धौलाना, जिला मेरठ के प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें

*८१—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ), श्री रामधारी शास्त्री, श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद), श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़), श्री अनीसुर्रहमान, (जिला अलीगढ़) तथा श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि डिप्लोमा कालेज, धौलाना, जिला मेरठ, के विद्यार्थियों तथा इस कालेज के सेक्रेटरी व प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार पैसे के दुरुपयोग और लड़कों के साथ दुराचार, अव्यवहार आदि के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें माह अप्रैल, १९७० में रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या शासन द्वारा जांच कराई गई ?

श्री शिवराज सिंह यादव—

उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री जी को माह अप्रैल, १९७० में प्राप्त नहीं हुआ । कृषि डिप्लोमा कालेज, धौलाना, के प्रशासन के विरुद्ध श्री शिवानन्द, प्रमुख, धौलाना, का एक दिनांक रहित प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में दिनांक २–५–७० को तथा श्री मंजूर अहमद, विधायक के दिनांक १२–५–७० के पत्र के साथ कुछ छात्रों के शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे । इन पत्रों में लिखी गई शिकायतों की जांच की जा रही है।

शाहजहांपुर में सस्ते गल्ले की दुकानों पर आटे की बिक्री

*८२—श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

क्या खाद्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि शाहजहांपुर में जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिक्री के लिये इतना खराब आटा मई, १९७० के प्रथम सप्ताह में दिया गया कि दूकानदारों ने आटा उठाने से मना कर दिया ? यदि हां, तो आटा किसके आदेश से जिले में भेजा गया था तथा क्यों भेजा गया था ?

श्री बलदेव सिंह—

मई, १९७० के प्रथम सप्ताह में जिला पूर्ति कार्यालय, शाहजहांपुर द्वारा आटे का कोई एलाटमेंट सस्ते गल्ले के दूकानदारों को नहीं किया गया । आटा ३ मार्च, १९७० के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ द्वारा शाहजहांपुर जिला के ओला ग्रस्त क्षेत्रों, बीस हजार से कम आबादी

वाले शहरी क्षेत्रों एवं नगर के लिये एलाट किया गया था । थोक विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के विरुद्ध फुटकर विक्रेताओं को एलाटमेंट १० मार्च, १९७० तथा २४ अप्रैल, १९७० के बीच विभिन्न तिथियों में किया गया । आटे की खराबी की शिकायत अवश्य प्राप्त हुयी थी जो तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी की जांच के उपरान्त निराधार पाई गई । वास्तव में आटा बाजार भाव गिर जाने के कारण फुटकर विक्रेताओं द्वारा नहीं उठाया गया और जो मात्रा थोक बिक्रेताओं व फुटकर बिक्रेताओं के पास शेष रह गई उसे उनको खुले बाजार में बेंचने की अनुमति दे दी गई ।

बहराइच जिलें की सहकारी ग्राम समिति, अख्तियारापुर में गबन

*८३—श्री वासुदेव सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के विकास खंड क्षेत्र, फखरपुर के सहकारी ग्राम सामति, अख्तियारपुर, के सरपंच एवं कोषाध्यक्ष के विरुद्ध कितने रुपये का गबन से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

अख्तियारापुर साधन सहकारी समिति, जिला बहराइच के कोषाध्यक्ष के विरुद्ध कुल ५,१९२.३९ रुपये के गबन के मामले में उनसे धनराशि की वसूली हेतु सालसी कार्यवाही जारी है तथा इसकी रिपोट पुलिस में भी कर दी गयी है । सरपंच के विरुद्ध ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

बस्ती तथा गोंडा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*८४—श्री सुखपाल पांडेय त । श्री राम करन (गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती और गोंडा जिले के चार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फरवरी, १९७० में अवैधानिक काम करने के कारण रु० १,५५० अर्थ-दंड विभाग द्वारा दिया गया है । यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के अवैधानिक कार्य करने तथा सरकारी जीप का दुरुपयोग करने के संबंध में सरकार उनके यिवरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां ।

मामले की विभागीय जांच कराई गई है और संबंधित अधिकारियों को यथोचित दंड दिये जाने के विषय में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जिला आजमगढ़ की गन्ना क्रय-विक्रय प्रक्रियात्मक समिति में हुई अनियमितताएं

*८५—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना क्रय-विक्रय प्राक्रियात्मक समिति लि०, घोसी, जिला आजमगढ़ में भ्रष्टाचार व अनियमिततायें अप्रैल, १९७० में पकड़ी गई हैं? यदि हां, तो उसके लिये कौन उत्तरदायी पाया गया तथा उस पर शासन द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव——

गन्ना क्रय-विक्रय प्रक्रियात्मक समिति लि०, घोसी में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में खंड विकास अधिकारी, घोसी का एक पत्र निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को १ मई, १९७० को प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा जांच कराई जा रही है।

जिला बाराबंकी के दरियाबाद विकास क्षेत्र के बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० में आपस में मारपीट

*८६—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि जिला बाराबंकी के दरियावाद विकास क्षेत्र के बी० डी० ओ० व ए०डी०ओ० (पशुपालन) के दरमियान औरत के झगड़े व कतिपय अनियमितताओं को लेकर ए०डी० ओ० (पशुपालन) पर तेजाब फेंकने की और कार्यालय में ही दोनों में मार-पीट की वारदातें अप्रैल, १९७० में हुईं और क्या इस मारपीट के बाद बी०डी० ओ० बिना किसी सूचना के ब्लाक से भाग भी गये थे ? यदि हां, तो उपर्युक्त घटनाओं में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवराज सिंह—

यह सही है कि सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) पर तेजाब फेंकने की, सहायक विकास अधिकारी और क्षेत्र विकास अधिकारी का झगड़ा होने की और क्षेत्र विकास अधिकारी के बिना अवकाश स्वीकृत कराये चले जाने की सूचना अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन), बाराबंकी को मिली। [क्षेत्र विकास अधिकारी अवकाश पर गये हैं और उनका भी स्थानान्तरण कर दिया जायगा।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन) मामले की पूरी छानबीन कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे।

टिहरी-गढ़वाल में फल पट्टी की मांग

*८७—श्री इन्द्रमणी श्री डूंगर सिंह बिष्ट तथा श्री हरीसिंह बिष्ट—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी फल पट्टी क्रियान्वित की जा रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

निम्नलिखित चार फल पट्टियां क्रियान्वित की जा रही हैं—

(१) चम्बा, मंसूरी फल पट्टी

(२) चम्बा गजा फल पट्टी

(३) कंडियाल, रेखा मुखेम, दीनगांव फल पट्टी

(४) कोशियार चन्द्रबदनी फल पट्टी।

*८८—श्री इन्द्रमणी, श्री डूंगर सिंह बिष्ट तथा श्री हरी सिंह बिष्ट—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में क्षेत्र समिति, जखोली तथा जिला परिषद्, टिहरी-गढ़वाल ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चिरवटिया, पवांली या बदणीताल फल पट्टी की मांग है ? यदि हां, तो सरकार जनता की इस मांग को कब तक स्वीकृत कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह--

अध्यक्ष जिला परिषद्, टिहरी गढ़वाल तथा अन्य व्यक्तियों के प्रस्ताव बड़ियार चिरबटिया खलिहान, बधानी फल पट्टी के लिये प्राप्त हुए हैं । इस फल पट्टी को चतुर्थ योजना में योजना परिव्यय पर्याप्त न होने के कारण नहीं लिया जा सकता । फिर भी १९६९-७० में ९४.२० एकड़ क्षेत्र में नये उद्यान लगाये गये हैं तथा ६१,००० ऋण वितरण किया गया है ।

जिला इलाहाबाद के ग्राम समेरी तरहार के व्यक्तियों द्वारा सिंचाई कूपों की मरम्मत

*८९--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम समेरी, तरहार, परगना बारा, जिला इलाहाबाद के किन-किन व्यक्तियों ने कूप मरम्मत हेतु जनवरी, १९६९ से अप्रैल, १९७० तक सरकारी सहायता हेतु प्रार्थनापत्र दिया तथा उनमें से किन-किन को कितनी-कितनी सहायता दी गई, जिन्हें नहीं दी कई उन्हें न देने का क्या कारण है ?

श्री शिवराज सिंह--

ग्राम समेरी, तरहार, परगना बारा, जिला इलाहाबाद से जनवरी, ६९ से अप्रैल, ७० तक सिंचाई कूप मरम्मत हेतु सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*९०--श्री गोविन्द सिंह--

[१० वें मंगलवार के प्र० सं० १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवार नियोजन विभाग में मास एजूकेशन कम कम्युनीकेशन आफिसर की नियुक्ति

*९१--श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवार नियोजन विभाग में मास एजूकेशन कम कम्युनिकेशन आफिसर का स्थान जो ६००-१२५० के स्केल में है विभाग द्वारा घोषित करने के उपरान्त उस पर बराहरास्त नियुक्ति की जा रही है ?

श्री अनवार अहमद--

जी हां ।

*९२--श्री शमीम आलम--

क्या यह सही है कि ऐसी ही जगह की पूर्ति के लिये, मई १९७० में लोक सेवा आयोग, यू० पी० द्वारा घोषित की गई थी और जिसकी सिफारिश लोक सेवा आयोग कर चुका है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा यह जगह क्यों भरी जा रही है ?

श्री अनवार अहमद--

लोक सेवा आयोग ने एक बार इस स्थान को भरने के लिये साक्षात्कार किया था परन्तु उन्होंने किसी को भी इसके लिये योग्य नहीं समझा । अब आयोग द्वारा पुनः चुनाव होने तक तदर्थ आधार पर नियुक्ति करने का विचार है ।

अतारांकित प्रश्न

जिला इलाहाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें

१—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या खाद्य व रसद मन्त्री बतलाने की कृपा करेगें कि जिला इलाहाबाद में कितने सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं ? इनमें से कितनी व्यक्तिगत तथा समितियों के अधीन हैं ?

श्री बलदेव सिंह—

जिला इलाहाबाद में कुल ४९५ सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं। इनमें से ४०३ दूकानें व्यक्तिगत तथा ९२ दूकानें समितियों के अधीन हैं।

जिला इलाहाबाद तथा फर्रुखाबाद में ग्राम सेवकों का वेतन निर्धारण

२—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जन पद, इलाहाबाद एवं फर्रुखाबाद में ऐसे कितने ग्राम सेवक हैं जिनका नवीन वेतन-क्रम में वेतन निर्धारण नहीं हुआ है ?

श्री शिवराज सिंह—

जिला फर्रुखाबाद में केवल एक ग्राम सेवक का नवीन वेतन-क्रम में वेतन निर्धारण शेष है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इलाहाबाद से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी में कृषकों को पम्पिग सेट हेतु ऋण तथा अनुदान

३—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जन पद, प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी से वर्ष १९६६—६७ में अल्प सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत पम्पिग सेट हेतु कितने काश्तकारों को ऋण स्वीकृत हुआ ? कितने कार्य समय के अन्दर पूर्ण हो गये, कितनों को अनुदान दिया गया और कितनों को अनुदान देना अब भी शेष है ?

श्री शिवराज सिंह—

वर्ष १९६६—६७ में जिला प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी में ७३ काश्तकारों को पम्पिग सेट हेतु ऋण स्वीकृत किया गया। उक्त कार्यों में से ६० कृषकों के कार्य समय के अन्दर पूर्ण हो गये थे, जिनमें से ४७ कृषकों को अनुदान दिया गया है १३ कृषकों के अनुदान का समायोजन करना बाकी है। इस बिलम्ब की जांच की जा रही है।

४—श्री अनीसुर्रहमान —

[१० वें मंगवार के प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्मोड़ा जिले में रासायनिक खाद तथा बीजों का वितरण

५—श्री हरी सिंह बिष्ट—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा जिले में वर्ष १९६८—६९ में कितनी रासायनिक खाद तथा उन्नतिशील बीजों का वितरण किया गया तथा इससे वहां की उपज में कितनी वृद्धि हुई ?

श्री शिवराज सिंह—

वर्ष १९६८–६९ में अल्मोड़ा जिले में कुल रसायनिक खादों का वितरण ३६३ टन तथा उन्नतिशील बीजों का वितरण ६३३ टन था। इससे वहां की उपज में कितनी वृद्धि हुई इसके आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम २९ और ३० की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। २९ (१) में यह लिखा हुआ है जब कोई सदस्य अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहें तो वह ऐसे प्रश्न की पूरे तीन दिन की सूचना लिखित रूप में सचिव को देंगे। सचिव साधारणतया प्रश्न की अल्पसूचित प्रश्न के रूप में ग्राह्यता पर उसकी प्राप्ति के २४ घंटे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेंगे।

और ३० (२) में यह लिखा हुआ है कि—ऐसे प्रश्न शासन को साधारणतया ५ दिन के भीतर भेज दिये जायेंगे।

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आपके कार्यालय में ५–५, ७–७ दिन तक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पड़े रहते हैं। मैंने ५–६ तारीख को प्रश्न पूछा था उस पर अभी तक कोई आदेश नहीं हुए। इसी प्रकार से २३ तारीख को जो तारांकित प्रश्न पूछा था वह आज ४१–४२ नम्बर पर आया है। इस प्रकार से २०–२० रोज तक प्रश्न आपके कार्यालय में पड़े रहते हैं। कृपा करके आप इसकी उचित व्यवस्था करें। जनतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम प्रश्न पूछे और उनका उत्तर समय से हमें मिल जाया करें। देर लगने से सवाल की महत्ता ही समाप्त हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप उसको लिख कर दे दें। मैं जांच कर लूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आपके कार्यालय में इसलिये जल्दी से काम नहीं हो पाता है कि लिखने वाले कम हैं। काम काफी बढ़ गया है और उतने ही हैं जितने पहले थे। कुछ आदमी आप बढ़ा दें तो काम जल्दी हो। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मुझे यह निवेदन करना है कि तीन दिन हुए यहां पर पिछड़े इलाके के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार से अनुदान आता है, उसके बारे में विवाद हुआ था। उसके लिये राज्य सरकार को चार जिले छांटने थे। उस वादविवाद के समय यह प्रश्न उठा था। और सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया था कि केन्द्रीय सरकार के दो मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों के हस्तक्षेप के कारण, वह सिद्धान्त जिनके आधार पर उन जिलों का चयन होना था, वह भी गड़बड़ कर दिये गये और नये सिद्धान्तों के आधार पर चार जिले छांट लिये गये हैं। उस समय आपने यह घोषणा की थी कि चूंकि उस दिन ऐजेन्डे पर यह प्रश्न नहीं था, इसलिये नहीं लिया जा सकता है इसलिये मैंने उसी दिन औपचारिक रूप से प्रश्न के रूप में उसको आपकी सेवा में उपस्थित कर दिया था। तीन दिन हुए यह प्रश्न आपकी सेवा में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में आपकी सेवा में भेज दिया गया था लेकिन आज ६–७ दिन के बाद भी वह प्रश्न एजेन्डा पर नहीं आ पाया है। श्रीमन्, अगर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर आ जायगा और उससे अगर हमको संतोष नहीं हुआ तो हम उस पर विवाद की मांग करेंगे। इसके अलावा २० तारीख को प्रधान मंत्री यहां पर पधार रही हैं। और चूंकि यह आरोप लगाया गया था कि केन्द्रीय मंत्रियों के हस्त-

[श्री कृष्ण चन्द्र]

क्षेप से पुराने उसूल को बदल दिया गया है, इसलिये इस सदन के सदस्यों को यह भी अवसर मिल जायगा कि वह प्रधान मंत्री के सामने सारे मामले रख सकें। उनके आने के पूर्व हम चाहते हैं कि यह घोषणा हो जाय कि वह चार जिले कौन-कौन से हैं, जिनको सरकार ने छांटा है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है उसी संबंध में अभी कृष्णचन्द्र शर्मा जी ने एक प्रश्न उठाया है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है इस प्रश्न पर हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपके सम्मुख दिया था कि चार गरीब जिलों के लिये जो अनुदान केन्द्रीय सरकार ने दिया वह गरीब जिलों को न दे करके एक जो कृषि मंत्री का बदायूं जिला है उसको दे दिया गया। उस पर बड़ा हल्ला मचाया गया था जिसका मुझे खेद है। उस पर आपने कहा था कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लेकिन मुख्य मंत्री जी के पास भेज देंगे केवल वक्तव्य के लिये। तो या तो वक्तव्य दिला दीजिये या कृष्ण चन्द्र शर्मा जी के प्रश्न का उत्तर दिला दीजिये जिससे कि हमारे आदरणीय साथी लोग प्रधान मंत्री से कुछ कह सकें। एक तो उन्होंने रायबरेली जिला ले लिया है, माननीय दिनेश सिंह ने प्रतापगढ़ ले लिया है और कृषि मंत्री ने बदायूं ले लिया है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री शिवराज सिंह से) आप वक्तव्य देंगे ?

कृषि मंत्री (श्री शिव राज सिंह)—

मैं वक्तव्य देने के लिये तैयार हूं, मेरी आपत्ति आप सुन लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान में श्रद्धा और निष्ठा रखने की हम सबने शपथ ली है। उसकी धारा १६२ (२) के अनुसार मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। हम अपने तमाम कृत्यों के लिये सदन के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं। हम सदस्यों के प्रति अपना आभार भी प्रकट करना चाहते हैं कि हमारे कृत्यों के सम्बन्ध में वे प्रश्न उठाते हैं। परन्तु मेरी आपत्ति सदन के कार्य संचालन के संबंध में यह है कि इस सदन में बहुधा प्रश्न उठते हैं परन्तु उनके संबंध में सरकार को सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। वस्तुस्थिति इस प्रकार से है। जब किसानों को उन्नति देने के सम्बन्ध में इस प्रदेश के कुछ जिलों के चयन करने के प्रश्न पर इस सदन में समय-समय पर प्रश्न रखे गये आपने उन्हें अस्वीकार कर दिया। कारण आप जानते होंगे। परन्तु सरकार को उस सम्बन्ध में कोई सफाई देने का मौका आज तक प्राप्त नहीं हुआ। जो आपत्ति उठाई गई है वह पूर्णतया निराधार है। जो चयन इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से हुआ है वह सरकार की नीति और उसके प्रोग्राम के अनुसार हुआ है। और बिलकुल उचित और ठीक हुआ है।

आपको स्मरण होगा कि इस संबंध में मैंने आपके कक्ष में जाकर आपत्ति प्रकट की थी और आपसे यह प्रार्थना स्वयं की थी कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही जिस तरह से सदन में उठाया गया है और जिस प्रकार से अखबारों में इसका प्रकाशन हुआ है उससे कुछ भ्रान्ति पैदा होना स्वाभाविक है कि इस संबंध में कोई गलती सरकार की तरफ से हुई है। पेश्तर इसके कि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जाता एक अल्पसूचित प्रश्न हमारे कार्यालय में प्राप्त हुआ। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मेरी जानकारी इस प्रकार की है कि कल या परसों वह प्रश्न उत्तर देने के लिये एजेन्डा पर भी आयेगा. . . .

श्री अध्यक्ष—

वह प्रश्न माननीय कृष्णचन्द्र शर्मा का है ?

श्री शिवराज सिंह---

मुझे माननीय सदस्य का नाम याद नहीं है परन्तु एक प्रश्न अल्पसूचित मैंने इस संबंध में स्वीकार कर लिया है और उसका उत्तर भी आपके कार्यालय को भेज दिया गया है अगर वह प्रश्न कल या परसों आने वाला है और आप जो भी चाहें, वक्तव्य चाहें तो वक्तव्य या नियमावली के अनुसार और कोई विवाद या प्रश्नोत्तर का कोई तरीका अपनाना चाहें मैं उसके लिये तैयार हूं। इसलिये कि जो भी कार्यवाही सरकार की ओर से की गयी है वह सरकार की नीति और प्रोग्राम के अनुसार की गयी है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कृषि मंत्री जी ने शिकायत की थी कि मैं नियम ५१ में बहुत से प्रश्न स्वीकार करता हूं। मैं एक ही प्रश्न स्वीकार करता हूं और बाकी नामंजूर करता हूं, पर उन पर लोग बोलना शुरू कर देते हैं और वह अखबारों में छप जाता है। वह कहते थे कि हमको मौका मिलना चाहिए जो कि कहा जाय उसका उत्तर तो दे सकें, वक्तव्य दे सकें। तो वक्तव्य वह उसमें दे सकते हैं, यह मैंने कहा, अगर आपके कान में बात पड़े तो मैं इजाजत दे दूंगा। बहुत से लोग तो हमको लिख कर भेज दें, जैसे कि बदायूं के ऊपर चार्ज लगाया गया और बोल गये बहुत से लोग और चूंकि मैंने उसकी इजाजत नहीं दी थी और लोग उस पर बोल गये तो वह अखबार में छप गया।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञापन रुकवा दीजिये अखबार में।

श्री अध्यक्ष---

तो आप वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

वह अन्याय करते हैं....

श्री अध्यक्ष---

मेरी बात सुन लें, आपके फायदे की बात कह रहा हूं....

श्री राजित राम पांडेय---

२० करोड़ की योजना ले गये बदायूं में....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठें। तो मैं वक्तव्य देने के लिये इजाजत दे दूंगा माननीय मंत्री जी को। आज प्रश्न उठा है उसके ऊपर भी कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि वक्तव्य दें। मैं दिलवा दूंगा।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

हमारे जिले का हिस्सा साफ करके कृषि मंत्री जी ने हड़प लिया। गरीब किसानों को कृषि मंत्री ..

(व्यवधान)

कृषि मंत्री जी ने यह अन्यायपूर्ण कार्य किया है।

एक सदस्य---

इनमें नैतिकता नहीं है, यह सारा रुपया बदायूं ले गये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर,.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल जब बोलें तो शान्त रहना चाहिए ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं यह समझ रहा था कि मा० कृषि मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो वह कम से कम इस सदन को बतला देंगे कि वह ४ जिले कौन से हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक लम्बा भाषण दिया, इस चीज का जिक्र फिर भी नहीं किया । फिर यह अनावश्यक गरमा गरमी, अनावश्यक वातावरण बिगाड़ना इसके लिए कौन उत्तरदायी है इस पर आप विचार करें । कृष्ण चन्द्र जी ने एक सवाल उठाया इस सदन में, एक आग भड़की हुई है कि वह रुपया जो आया था केन्द्र से उसको कृषि मंत्री जी ने बदायूं जिले के लिये ले लिया । सारा सदन उसके लिये चिल्लाता है, अखबारों में निकल चुका है । बावजूद इसके कृषि मंत्री जी ने नियम तो पढ़ने की कोशिश की— मुझे क्षमा करेंगे, हम विपक्ष में बैठ कर बहुत कुछ बातें करते हैं और ऐसी भी करते हैं कभी-कभी जो आपको अरुचिकर हों, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में ३ मर्तबा तो श्रीमन् पर आरोप लगाये और कहा कि श्रीमन् यह करते हैं, हमको मौका नहीं देते हैं और सरकारी पक्ष नहीं आता है, लेकिन जब बोलने का मौका आया तो कृषि मंत्री जी ने लफ्ज नहीं कहा कि वह चार जिले कौन से हैं । यदि इसको आज कह देते तो क्या जाता ? इस सदन को पता तो लग जाता कि वह कौन से हैं ।

एक लम्बे चौड़े लच्छेदार भाषण में उन्होंने कहा कि हमने ठीक किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, यह किया है, वह किया है । श्रीमन्, आप इस सदन के संरक्षक हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आप इस सदन को संरक्षण दीजिये और यदि विपक्ष के लिये आप कुछ कहें तो हम लोग नतमस्तक होकर उसे स्वीकार कर लें लेकिन सरकार के मंत्रि मंडल को भी कुछ सीखना चाहिये । क्या सदन इस बात के लिये है कि उनकी यहां मानसिक ऐयाशी हो, उनका लक्जरी आफ ब्रेन हो और जो चाहें यहां लच्छेदार भाषण में लम्बी चौड़ी बातें उड़ा कर चले जायं ? हमारे कृष्णचन्द्र जी बड़े उतावले हो रहे हैं और बार बार रोष में खड़े होने की चेष्टा कर रहे हैं । मान्यवर, माननीय कृष्णा नन्द राय का नियम ५२ का आपके यहां लगा हुआ है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे सदन के लिये...

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, यह एक औचित्य का प्रश्न है । माननीय नेता विरोधी दल के भाषण क सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का मेरा अधिकार है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें तो ।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मेरा कहना है कि उन्होंने शब्द "मानसिक ऐयाशी" का व्यवहार किया है जो उचित नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

"मानसिक ऐयाशी" तथा "लक्जरी आफ ब्रेन्स" शब्द पार्लियामेंटरी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने हमारे पक्ष का समर्थन किया। बजाय इसके कि माननीय कृष्णानन्द राय ने नियम ५२ और नियम ५८ का दिया है...

श्री अध्यक्ष—

कब दिया ?

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था तो आपने कहा कि माननीय मंत्री जी से मैं ध्यानाकर्षण वगैरह में वक्तव्य दिलवा दूंगा और इसलिये आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो उसी पर आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, बजाय इसके कि माननीय कृष्णानन्द राय के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी कोई वक्तव्य देते वे यहां आकर यह कहने लगे कि यह ठीक किया, वह ठीक किया, कृपा करके वे बतलावें तो कि उन्होंने क्या किया और साथ ही यह भी बतलावें कि बदायूं जिले को उन्होंने उसमें सम्मिलित किया या नहीं किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जो सवाल उठाया है उसके हिसाब से आप चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में मैं उनसे वक्तव्य दिलवा दूं। क्योंकि एक दफा वे मुझसे पूछने आये थे कि मैं इस पर वक्तव्य देना चाहता हूं। यदि वे वक्तव्य देना चाहते हैं तो उनसे मैं वक्तव्य दिलवा दूंगा और उनसे मैं चाहूंगा कि उन चारों के बारे में वे वक्तव्य दे दें।

अब मैं चाहूंगा कि कार्यवाही के हिसाब से काम होना चाहिये और अब इस पर ज्यादा चर्चा न हो। अब कार्यवाही शुरू हो।

श्री शिवराज सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैं इस पर वक्तव्य दूंगा लेकिन मेरी मजबूरी केवल यह है—प्रश्न केवल यह है कि उस तरह से व्यवस्था के प्रश्न पर वक्तव्य देने के लिये कोई बात कहना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लायक दोस्त, श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जो एक पार्लियामेंटेरियन हैं वे कैसे इस प्रकार की बात करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, कृषि मंत्री की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि वे वक्तव्य देने से भाग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं भाग रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

फिर आप उनसे पूछ लीजिये।

श्री शिवराज सिंह—

मैं निश्चित रूप से इस पर वक्तव्य दूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

दूसरी बात यह कि मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ३१५ (१६) की तरफ दिलाना चाहता हूं "मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य।" तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री जी ने आपके पास कोई लिखित सूचना इस बात के लिये भेजी है कि वे इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य सदन में देना चाहते हैं ?

अगर वह देना चाहते हैं, केवल आप यह देखें। उन्होंने आपके ऊपर रेफ्लेक्शन करके इस सदन का अपमान किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इजाजत दें कि मैं कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न लाऊं और उनकी सारी कलई खोल दूं। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है जो यह कहा कि आपने उनको इजाजत नहीं दी। इतना ही नहीं उन्होंने अखबार वालों के ऊपर भी धौंस जमाने की कोशिश की है। इसलिये जनता की रहनुमाई के वास्ते इस सदन की रहनुमाई के वास्ते। श्रीमन्, आप इजाजत दें कि मैं इनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न लाऊं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेजिये।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मेरा भी एक निवेदन है। देखा यह जाता है कि प्रश्नों के घण्टे में और उसके साथ के घंटे में कुछ गरमाहट आ जाती है। इसका कारण यह है कि बार-बार सदस्यों के एतराज करने के बाद भी प्रश्नों की जैसी व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। हम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करते हैं तो हमें १५, २० दिन मालूम नहीं होता है कि विभाग ने क्या निर्णय लिया, वह मंजूर हुआ या नहीं हुआ या उसको तारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर दिया, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है जबकि तीन रोज के अन्दर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आ जाना चाहिये। अगर यह सूचना दे दी जाया करे कि प्रश्न स्वीकार हुआ या अस्वीकार हुआ या उसको तारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर दिया तो यह गरमागर्मी न हुआ करे और जो एतराज होते हैं वे समाप्त हो जायें। मान्यवर, आपके विभाग में एक सदस्य के एक ही प्रकार के प्रश्न स्वीकार कर लिये गये और उसी प्रकार के दूसरे सदस्य के प्रश्न स्वीकार नहीं किये गये। तो यह गड़बड़ियां होती हैं।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

कई बार, मान्यवर, आपने हम लोगों को संतोष दिया कि आप उसकी जांच करायेंगे, लेकिन, श्रीमन्, यह खराबियां दूर नहीं हो रही हैं। तो, श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करावें या २ घंटे की बहस करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

एक-एक व्यवस्था का जवाब देना चाहिये।

आपका कहना ठीक है। आपनें सुझाव ठीक दिया है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न तीन दिन के अन्दर आ जाना चाहिये और अगर मंजूर नहीं होता है तो १५ रोज के लिये वह चला जाता है और वह तारांकित प्रश्न हो जाता है। इसकी सूचना अगर पहले आपको मिल जाय तो आपको तहल्ली हो जायेगी। आप कृपा कर सुन लें कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर आ गया कि हम अल्पसूचित प्रश्न की हैसियत से जवाब नहीं दे सकते तो तत्काल आपके पास हमारे दफ्तर से सूचना चली जानी जाहिये। एक प्रार्थना और करूंगा सभी माननीय सदस्य से। आप जानते हैं कि दोपहर के वक्त उपाध्यक्ष जी बहुत देर तक बैठते हैं और मैं वहां बैठ कर दो घंटे दफ्तर का काम देखता हूं। यदि आपको कोई शिकायत हुआ करें तो कृपा कर आप वहां आ

जाया करें तो मैं फाइल मंगा लिया करूंगा। यहां मैं फाइल मंगा नहीं सकता। तो आप मुझसे कमर में मिल लिया करें या लिख कर भेज दिया करें तो मैं फाइल मंगा कर देख लूंगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। इससे मुझे भी पता लग जायेगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है। तो मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आधे घंटे से खड़ा हुआ है और आप टाइम नहीं देते हैं। अपाका ध्यान मेरी तरफ भी आना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार को भेजा गया पहला प्रश्न···

(व्यवधान)

१३–५–७० का है और दूसरा २५–५–७० का है जिसका जवाब सरकार आज दे रही है। तीन दिन के अन्दर जवाब न देकर आज दे रही है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं। जो प्रश्न होते हैं उनके सप्लीमेंटरी में आप हमें मौका नहीं देते हैं

(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले मुझे उनको बतला देने दें।

(व्यवधान)

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी—

मैं आधे घंटे से खड़ा हूं। आप मुझे मौका नहीं देते हैं।

श्री राजितराम पांडेय—

इनको तो मिनिस्ट्री का लालच है। यह मिनिस्टर बनना चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सरकार के पक्ष के होने के नाते आप लोग सरकार से सीधे पूछ सकते हैं। इस कारण विरोधी दल का ज्यादा अधिकारी होता है सदन में प्रश्न पूछने का।

(व्यवधान)

उनको इस बात का मौका नहीं मिलता है कि वह और तरह से जानकारी कर लें इसलिये मैं उन्हें ज्यादा प्रश्न पूछने की इजाजत देता हूं। और इधर ये लोग हैं जो कहते हैं कि आप लोगों को मैं ज्यादा मौका देता हूं और उधर से आप लोग कहें कि मैं इनको ज्यादा मौका देता हूं तो यह मेरे साथ ज्यादती है लेकिन मैं समझता हूं कि यह ठीक है और इसके माने काम ठीक चलता है।

(व्यवधान)

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी—

५ जून के आपके फैसले के बामूजिब में सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं बल्कि आपका फैसला जानना चाहता हूं। मेरे पास प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं आपने कहा था कि जिस सिलसिले में सवालात आते हैं उनको वैसे ही काम मिलता है। मेरे सवालात २ मई लगायत ६ मई तक १० थे।

(व्यवधान)

एक सवाल जो पांच मई को उठाया गया वह ४१ नम्बर पर था। क्या मेरा सवाल पहले नहीं आना चाहिये था ? अगर आप रोज के हिसाब से देखें तो उसमें भी कम से कम १५ रोज का टाइम ले लें। तो क्या हम लोगों को अपने हकूक से महरूम रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, महरूम नहीं रखा जायगा।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी—

तो आखिर हम लोग कहां बैठें ? या यह कहिए कि हम लोग लाबी में पड़े रहें या चेम्बर में पड़े रहें। इस सिलसिले में जब तक हमारे मामलात का साफ तरीके से फैसला नहीं देते हैं तब तक हमारी हालत वैसी ही है जैसा कि एक शेर में अर्ज किया गया है—नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसका जबाव देता हूं। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप शान्ति बनाये रखें। न तो मेरे पास फाइल है और अगर और आप चाहते हैं तो आप मेरे कमरे में आ जायं। मैं वहीं पर फाइल मंगवा लूंगा और जो ज्यादती हुई है, जिनकी गलती हुई है उनको तम्बीह कर देता। अगर आप यहां पर बैठे हैं तो उस वक्त सब मुझको याद रहेगा। आगर आप आ जायेंगे तो जाकर मैं फाइल को मंगवा कर देख लूंगा। मैं दोपहर को शाम को ३ बजे से ४ से ५ बजे तक बैठता हूं और उस समय अगर आप आ जायें तो वह देख लूंगा और जिन लोगों ने गलती की है उनको सजा दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

प्रश्न संख्या ४० पर जो है प्रश्न है जिसमें मैंने पूछा था कि क्या सरकार को इस बातकी जानकारी है कि उक्त जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार में आडिट रिपोर्ट के अनुसार एक लाख से अधिक का गबन व गोलमाल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी संस्था को कोल्ड स्टोरेज के लिये एक लम्बी रकम फिर कर्ज के रूप में क्यों देने जा रही है ? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि इसका प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, इस प्रश्न का यह तो कोई उत्तर नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार से कहा जाय कि इस प्रश्न का फिर से उत्तर दें और तभी लोगों का असन्तोष खत्म होगा, क्षोभ मिट सकेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र—

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में सदस्यों में अत्यन्त क्षोभ है लेकिन जो हालत है वह यह है कि आपके कार्यालय में इस सत्र में १० हजार प्रश्न आ चुके हैं और आपके कार्यालय में एक ही व्यक्ति है केवल जो कि प्रश्नों को देखता है। श्रीमन्, सारे प्रयत्नों के बावजूद ऐसा होने पर हम लोगों को असन्तोष और क्षोभ मिट नहीं सकेगा क्योंकि केवल एक व्यक्ति इतना बड़ा कार्य करने में सक्षम नहीं है और इसी लिये निवेदन है कि इस कार्य के लिये कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय तभी लोगों का असन्तोष समाप्त हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कृषि मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिये राजी कर लिया। परन्तु केवल वक्तव्य देने से ही काम नहीं चलेगा। आप इस पर चर्चा करने का मौका दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य देंगे और चर्चा भी होगी।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, अगर आप पिछली कार्यवाही देखें पूरे महीने की तो सदन में केवल एक दर्जन सदस्य ऐसे होंगे जिन पर आपकी कृपा है और जिनको आप सप्लीमेन्टरी पूंछने का मौका देते हैं—लक्ष्मीरमण आचार्य, कृष्णानन्द राय, सिंह साहब, असरार अहमद, पांडेय जी। आखिर हम लोग भी तो सदन में आते हैं। दस-दस बार उठने पर भी हमें मौका नहीं मिलता। अगर थोड़ा समय है तो एक व्यक्ति को एक सप्लीमेंटरी का मौका दीजिये, ज्यादा है तो दो को दीजिये। लेकिन किसी-किसी को कई सप्लीमटरी का मौका मिलता है और किसी को बिलकुल नहीं मिलता यह तरीका ठीक नहीं है। यहां पर पार्टी के आधार पर भी मौका मिलता है तो हमारी भी पार्टी यहां पर बैठी है, हमें भी मौका मिलना चाहिये।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि यहां पर कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं—इधर के भी हैं और उधर के भी हैं। इधर से जब कुछ लोग कार्यवाही करते हैं तो आप सख्ती से साथ मना करते हैं और जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब ट्रजरी बेन्चेज से इस किस्म की ज्यादती होती है तो पता नहीं क्या वजह है उसमें आप कुछ नर्मी से काम लेते हैं। तो मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि जितनी सख्ती से इधर के लोगों को बैठाया जाता है उतनी ही सख्ती से उधर के लोगों को भी बैठाया जाना चाहिये।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन् नत्थी (घ) में ६६ नम्बर का मेरा प्रश्न है जनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में। लेकिन मुझे जो जवाब मिला है वह प्रश्न ८१ का है जो कृषि मंत्री जी से ताल्लुक रखता है। तो आप कृपया विभाग को यह आदेश दे दें कि सही जवाब ही भिजवायें जायं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, प्रश्नों के मामले में सदस्यों के असन्तोष को देखते हुये मैं फिर आग्रह करूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक सब कमेटी बना दें जो सिर्फ प्रश्नों के मामलों पर ही विचार करे।

श्री अध्यक्ष—

आप इस सम्बन्ध में अपने सुझाव मुझे दे दें।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में पूंछताछ

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैंने सदन के अवमान का एक प्रश्न उठाया था। उसके लिये आपने कहा था कि समय निर्धारित करूंगा। लेकिन अभी तक निर्धारित नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने ९ तारीख को रखने के लिये कहा था। उदित नारायण जी आये थे और लक्ष्मीरमण आचार्य जी भी आये थे। उदित नारायण जी के बीमार हो जाने की वजह से उन्होंने कहा कि १६ के बाद ले लें। इसलिये १९ तारीख को रख दिया है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या ८४ स्वास्थ्य मंत्री जी से सम्बन्धित है। अधिकारियों ने चोरी की, जुर्माना हुआ.....

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आकर बता दें।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें (क्रमागत)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, अभी माननीय कृषि मंत्री जी से संबंधित था कि बस्ती जिले की जो गरीब किसानों के लिये विकास के लिये स्कीम चलायी गयी उसे काट कर बदायूं जिले में पहुंचा दिया गया....

श्री अध्यक्ष—

कल वक्तव्य देंगे तब कहिये।

आपको मौका मिलेगा।

यूनानी व आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में पूंछताछ

श्री किशनलाल (जिला पीलीभीत)—

मुझे मौका दिया जाय मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आयुर्वेदिक कालेज का जो मसला चल रहा है उसमें २८ तारीख को आपने यह बताया था कि यह मसला जल्दी ही २४ घंटे के अन्दर सुलझ जायगा। उसके बाद उसके लिये यह कहा गया कि ५ तारीख को इसके लिये बिल आने वाला है। फिर इसके बाद यह बात हुई है कि यह मसला कैबिनेट में जाना है और वहां से तय हो कर आयेगा तो ८ तारीख को यह आयेगा। मंत्री जी कभी कुछ तारीख बतलाते हैं और कभी कुछ तारीख बताते हैं। वह एक निश्चित तारीख क्यों नहीं बताते हैं? इस तरह से बारबार सदन का अवमान होता है। बराबर लड़के परेशान हो रहे हैं। उनका खर्चा भी बराबर बढ़ता जा रहा है। हम लोग परेशान हैं। आप क्यों नहीं इसके लिये फैसला करते हैं। हमको जो दुख है उसको दूर करने का आप प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं?

श्री अध्यक्ष—

वह बाद में आयेगा।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २३८ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में किया गया आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५९ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथो जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में किया गया आनुषंगिक संशोधन सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २३९ पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ क अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २४० पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ४ मई, १९७० के उपवेशन में पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ मई, १९७० को वापस हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३ जून, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २१ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ मई, १९७० की बैठक में कुछ संशोधनों सहित पारित किया था और उन सशोधनों को विधान सभा ने दिनांक २८ मई, १९७० के उपवेशन में स्वीकार किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ४ जून, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह घोषणा करता हू कि उत्तर प्रदेश एक्साईज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १ मई, १९७० के उपवेशन में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १५ मई, १९७० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ४ जून, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० को उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

फिरोजाबाद, जिला आगरा, के थानाध्यक्ष,श्री सत्यपाल सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न राजाराम जी ने भेजा है। उन्होंने मेरे पास एक तार दिया है जिसमें वह कहते हैं कि मुझे थाना अध्यक्ष, फिरोजाबाद, आगरा द्वारा विधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिये बलपूर्वक बाधा डाली जा रही है। उचित कार्यवाही की जाय। यह ७ तारीख का है और मुझे ८ तारीख को मिला है। उन्होंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न भी रखा है जो इस प्रकार से है :—

"निवेदन है कि मैं कल रात्रि लगभग पौने ११ बजे फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन विधान सभा के अधिवेशन में पहुचने के लिये आ रहा था कि रास्ते में रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले पुल के पास थाना अध्यक्ष श्री सत्यपाल सिंह, थाना फिरोजाबाद, जिला आगरा ने मुझे विधान सभा के अधिवेशन में पहुंचने में बल प्रयोग द्वारा बाधा डाली और मुझे बहुत ही अशोभनीय अपशब्दों का प्रयोग किया। मैंने उपरोक्त के सम्बन्ध में एक टेलीग्राम मा० अध्यक्ष, विधान सभा को कल रात में ही कर दिया था। जब वह कांड हो रहा था और मैं थानाध्यक्ष से नम्रतापूर्वक बात कर रहा था कि मुझे विधान सभा में पहुंचना अति आवश्यक है लेकिन थाना अध्यक्ष, श्री सत्यपाल सिंह कुछ भी नहीं मान रहे थे और मुझे थाना जबरदस्ती घसीटने लगे, उसी समय बहुत से लोग आ गये और उन्होंने थानाध्यक्ष से इस बात को कहा कि आपको जो कार्यवाही करना हो कानूनी करिये लेकिन आप यह बेजा काम कर रहे हैं कि विधान सभा के अधिवेशन में माननीय सदस्य को पहुंचने से रोक कर थाना ले चलने के लिये मजबूर कर रहे हैं। इन लोगों में श्री मुस्ताकअली, निवासी फिरोजाबाद, मु० पजावा कोटला, जिला आगरा, श्री अमरसिंह चौहान, श्रमिक विद्यालय, लेबर कालोनी, फिरोजाबाद, श्री लाला मुन्नालाल, फिरोजाबाद, मु० कोटला, थाना फिरोजाबाद, श्री राम प्रकाश यादव, ग्राम नागऊ, थाना फिरोजाबाद व श्री रसीद खां, मु० शीशगरान, थाना फिरोजाबाद, जिला आगरा, आदि थे, जिन्होंने पहुंच कर उक्त घटना को आंखों देखा और दरोगा जी को समझाने पर तब मुझे अध्यक्ष, विधानसभा को टेलीफोन करने को मिला।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त मामले की विशेषाधिकार समिति को उचित कार्यवाही हेतु भेजने की कृपा करें। थानाध्यक्ष, फिरोजाबाद, जिला आगरा के इस दुर्व्यवहार से मेरे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाय।"

तो यह एक टेलीग्राम आया था और यह उनकी सूचना मिली है। प्राग्दर्शन में यदि यह सही है तो इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और यह अवमान का प्रश्न है और मैं प्राग्दर्शन में उसको अवमान व विशेषाधिकार का प्रश्न माना है और इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं और वह इस सम्बन्ध में जांच कर लें और तहकीकात के बाद सदन की कार्यवाही के लिये अपनी रिपोर्ट भेज दें।

वित्त मंत्री के भाषण और उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में अन्तर के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

अध्यक्ष--

एक दूसरा और है वह यहां के २ भाषण जो हुये हैं उनके विषय में है जिनमें फर्क बताया गया है। एक भाषण तो माननीय वित्त मंत्री जी का पहले हुआ और बाद में माननीय उद्योग मंत्री जी का हुआ है। जो अन्तर क्वेश्चन क उत्तर में बताया गया है उसे देखना होगा, मुझे उन दोनों को मिलाना पड़ेगा, इसलिये मैं कल उन दोनों भाषणों को पढ़कर अपना निर्णय दूंगा।

इस तरह से यह विशेषाधिकार के दोनों मामले समाप्त हुये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनट का मौका दे दें, जो मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं, वह मैं पहले दोनों भाषण पढ़कर तब फैसला दूंगा।

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--
अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां
तथा अनुदान संख्या ३०--समाज-कल्याण (क्रमागत)†

*श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल शुरु में कहा था मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं तहेदिल से समर्थन करती हूं। यह एक ऐसा विभाग है कि जिसमें हमारे सारे प्रजातन्त्र और समाजवाद का निचोड़ है और इसलिये इसकी अहमियत है चूंकि यह गरीब और पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखता है। हमारी सारी उम्मीद और आशायें इस हरिजन व समाज कल्याण विभाग के साथ लगी हुई हैं चूंकि यह इतना ज्यादा अहम वर्ग है जिसके लिये बहुत कुछ बातें होती रही हैं। पहले मैं हरिजनों का मामला ही लूंगी। हरिजनों के बारे में मुसलसल इंतजाम हो रहे हैं और क्या-क्या काम हो रहे हैं, क्या प्लान बन रही हैं यह सब हम बराबर सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी असली हालत को आज भी देखते हैं तो मुझे वही शेर याद आता है कि--

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो एक कतरये खून न निकला।"

जोर तो वाकई बहुत है कि हरिजनों के लिये यह होना चाहिये और वह होना चाहिये लेकिन जितना होना चाहिये उसका शम्मा बराबर भी अभी हम नहीं कर पाये हैं। मैं मन्त्री जी को और अपने इस डिपार्टमेंट को एक सुझाव देना चाहती हूं। जो उम्मीदें हमारे इस वर्ग के साथ वाबस्ता हैं वह जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा प्रजातन्त्र या समाजवाद कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह से आज हरिजन भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है उस तरह से शायद ही पहले कभी रहा हो और मालूम होता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज्य है,

---

†८ जून, १९७० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला]

चाहे वह प्रधान मंत्री के रूप में हो, चाहे वह किसी ठाकुर के रूप में हो, चाहे वह किसी अमीर के रूप में हो। सवाल यह पड़ जाता है कि जो गरीब और जाहिल हैं उन्हें आप अभी तक इतनी मदद जितनी की मदद हमारे कागज में लिखी हुई है, जितनी मदद हमारी प्लान में लिखी हुई है, नहीं पहुंचा रहे हैं और जब तक हम आपस में खुद बैठकर तय नहीं कर लेंगे कि वह मदद जल्द से जल्द उनको पहुंचानी है तब तक वह नहीं पहुंच सकती। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहती हूं कि अगर आप को हरिजन की मदद करनी है तो उसकी मदद उनको रिजर्वेशन देने से नहीं मिल सकती है कि उनको रिजर्वेशन कुछ-कुछ कालेजों में और कुछ नौकरियों में मिलता है।

जिस तरह हरिजनों की आबादी ज्यादा से ज्यादा है और जिस तरह हरिजन और गरीब ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहते हैं उससे न तो वे नजदीक के स्कूल में जा सकते हैं और न इन्टरमीडिएट कालेज में जा सकते हैं और न ही पालीटक्नीक में जहां से वे ट्रेनिंग ले सकें। वह तो जुल्म और जबरदस्ती का शिकार होता है। मैं एक मिसाल देकर बताऊंगी कि आज भी लेखपाल हैदरगढ़ तहसील में जाकर बगैर अथारिटी के रुपये जमा करता है और जाहिल और गरीब हरिजनों से कहता है कि मैं तुमको जमीन दूंगा। उसको अधिकार नहीं है मगर कहता है कि मैं तुमको जमीन दूंगा। उसने साठ-साठ और सौ-सौ रुपये ले लिये हैं उसके बाद जमीन का पता नहीं है। जब इन्क्वायरी होती है तो इन्क्वायरी में कहा जाता है कि उसको अधिकार नहीं था। तो उससे उस जाहिल ने क्यों जमीन लिया और क्यों रुपये दिये? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारीयों का क्या काम है? क्या सरकारी कर्मचारी का यह काम है कि वह हमारे जाहिल और गरीब जनता को लूटे? या उसका यह काम है कि उसको जाकर समझाये कि किस तरह से तुमको मदद मिल सकती है? किस तरह से तुमको सरकार जो दे रही है वह आमदनी मिल सकती है और मिला करती है.....

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह जाहिल शब्द का सम्बोधन क्या हरिजनों के लिये हैं?

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला—

मैं गांव के लोगों को बता रही हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, गांव के लोगों को बेगम साहिबा जाहिल बता रही हैं।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला—

मेरा मतलब यह नहीं है। मैं सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एतराज कर रही हूं जो हमारे बेपढ़े लिखे भाई हैं मैं उनके लिये कह रही हूं। अब मैं सुझाव देना चाहती हूं। अगर हम सही तौर से पिछड़े वर्गों की, हरिजनों की और अनपढ़ों की मदद करना चाहते हैं तो हमें रूरल डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। हमारे भाई गांव में कहते हैं बिचौलिया खा जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसा इन्तजाम करे कि यह बिचौलिया का जो लफ्ज आ गया है उससे परेशानी न हो। आज भी वाकया हुआ है मेरे एरिया में। पांच साल का एक हरिजन का लड़का था जो कुएं में गिरकर मर गया और उसकी इन्क्वायरी भी नहीं होती है। उसकी अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है हालांकि मैं और सभी उसकी कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं बताना चाहती हूं कि जब सरकारी कर्मचारी मिलजुल कर यह तय कर लेते हैं, किस वजह से तय करते हैं मुझे नहीं मालूम, कोई कहते हैं कि घूस या गुटबन्दी

के जरिये जब उन्होंने तय कर लिया कि कोई इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है, तो उनके डर से कोई गवाही भी नहीं होती है। उसके एक ही बच्चा था और वह कुएं में गिरा और मरा हुआ मिला। इन्क्वायरी के बाद किसी को सजा नहीं हुई है।

आज भी यह किस्सा चल रहा है। मेरे एक हरिजन गरीब भाई की जमीन ले ली गई थी। वह हरिजन कहता है कि मेरी बाकी जमीन ले लो। थोड़ी जमीन मेरे घर के लिये और कबरिस्तान के लिये छोड़ दो। उस हरिजन भाई से यह कहा गया कि तुम्हारा मामला तय हो गया है, मगर यह समला तय नहीं हुआ है। उसकी जमीन का अभी तक झगड़ा पड़ा हुआ है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। वह बेचारा जाहिल है, सरकार को उसकी मदद करना चाहिये।

यह कहा जाता है कि हम छोटे काश्तकारों की मदद करेंगे। मदद उनकी कैसे होगी जब उनसे सिंचाई टैक्स इतना ज्यादा लिया जाता रहेगा। सिंचाई टैक्स माफ होना चाहिये। इसके अलवा आपको छोटे लोगों के लिये गांव में जगह-जगह इन्टरमीडिएट कालिज खोलना चाहिये, पालीटैकनीक खोलना चाहिये उनके लिये दवादारू का इन्तजाम होना चाहिये, उनको लोन दिया जाना चाहिये। इससे ही उनकी सही हालत में मदद हो सकेगी।

समाज कल्याण के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। इस विभग में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। अभी शर्मा जी ने बताया कि झांसी में एक वीमेन्स होम है उसमें न कोई अनाथ है, न विडो वीमेन ही हैं और उस को ग्रान्ट मिलती है। मैं मसौली के वीमेन्स होम के बारे में कहना चाहती हूं। शायद मंत्री जी उसको देख भी आयी होंगी। वहां बहुत उम्दा काम हो रहा है, मगर उस को ग्रान्ट नहीं मिल रही है। बाराबंकी के जो वेलफेयर आफिसर हैं उन्होंने पारसाल उसकी ग्रान्ट के कागज जो यहां अक्टूबर में भेजने चाहिये थे फरवरी में भेजे। नतीजा यह हुआ कि उसको ग्रान्ट नहीं मिल सकी। गलती उस अधिकारी की थी जिसने कागजात नहीं भेजे, उसका नुकसान इस वीमेन्स होम को भुगतना पड़ा। ४० औरतें उसके कारण भूखों मर रही हैं। जब अधिकारी की गलती थी तो उसको सजा मिलना चाहिये, न कि वीमेन्स होम की ग्रान्ट रोक दी जाती। "हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक"। अगर यह इस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया और तब आपने ग्रान्ट दी तो उससे क्या फायदा होगा। इन शब्दों के साथ आपका मैं इसके लिये शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठीसीन हुये।)

श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)––

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दलित वर्ग की समस्या हमारे देश में बहुत सालों से चली आ रही है किन्तु बड़े खेद की बात है कि हमारे शासक वर्ग ने चाहे वह मुसलिम राजा रहे हों, चाहे ब्रिटिश सरकार रही हो, चाहे हमारे कांग्रेस के लोग रहे हों, इस समस्या पर कभी गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया, न ही इसको हल करने का प्रयत्न किया। इसके विपरीत होता यह रहा कि यह लोग दलित वर्ग के अन्दर यह भावना पैदा करते रहे कि वह यह समझे कि सरकार के साथ ही रहने में उनका लाभ है। अगर वे सरकार से किसी तरह विलग हो जाते तो उनको नुकसान उठाना पड़ता। उनके अन्दर एक अलगाव की भावना पैदा कर दी गयी ताकि सवर्ण और दलित वर्ग के बीच एक दीवार खड़ी रहे और चुनाव में काफी वोट उनके उनको मिलते रहें।

आप को याद होगा कि जिस समय ब्रिटिश सरकार माइनारिटीज के सेपरेट इलैक्टोरेट की बात करती थी या अछूतों के लिये रिजर्वेशन का प्रस्ताव करती थी तो हमारे यही कांग्रेसी नेता लोग यही कहते थे कि आप डिवाइड ऐण्ड रूल की पालिसी बरत रहे हैं। लेकिन मुझे

[श्री उमाशंकर शुक्ला]

बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज २३ वर्षों से कांग्रेस शासन ने उसी नीति का पालन किया है। हमेशा वह यही प्रयत्न करते रहे हैं कि दलित वर्ग अन्य लोगों से दूर रहे ताकि चुनाव में उनके ही साथ रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी समस्याओं के साथ कुछ अन्य समस्यायें भी अनुसूचित जातियों की पैदा हुईं और ये समस्याएं बढ़ती गईं। आपने इतनी विषमता उनकी अन्य लोगों के साथ पैदा कर दी हैं कि उस खाई को भरा जाना अत्यन्त मुश्किल हो गया है। हरिजनों के मन से हीनता और अलगाव की भावना दूर करना बड़ा मुश्किल हो गया है, एक प्रकार से ब्रेन-वाशिंग की जरूरत हो गई है। आपने जो कुछ भी रिजर्वेशन दिए हैं, वे केवल इसी भावना से दिये हैं कि एक तरह का अलगाव होता रहे और वे अन्य लोगों से दूर रहें। मैं तथ्यों से साबित करूंगा। जो कुछ आप कह रहे हैं वह केवल शब्दों का चमत्कार है। वास्तविकता उसमें कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश में लगभग २५ फीसदी दलित वर्ग के लोग हैं। अनुसूचित और अन्य जातियों के लोग हैं। इन जातियों के ९५ फीसदी लोग देहातों में रहते हैं। जो लोग देहातों में रहते हैं वे अधिकतर बहुत छोटे काश्तकार हैं अथवा भूमिहीन मजदूर हैं। हमें यह देखना है कि उनके हित के लिए आपने क्या किया? मैं स्वयं गांव में आता जाता रहता हूं और वहां से मेरा बड़ा ताल्लुक है। उन ९५ फीसदी लोगों को आपकी चार-चार पंचवर्षीय योजनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ है। नगर में रहने वाले ५ फीसदी के लिए भले ही कुछ हुआ हो। यद्यपि हमारा अनुमान है कि इन ५ फीसदी में भी काफी कम काम हुआ है। उनके सामने भी एजूकेशन और अनएम्पलायमेंट वगैरह की समस्यायें हैं।

कुछ गांवों की दशा आज यह है कि उन्हें पानी पीने की सुविधा नहीं है। आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, यातायात की सुविधाएं नहीं हैं। उनकी सामाजिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपने उन्हें जमींदारों के चंगुल से तो निकाल दिया है, लेकिन महाजन के चंगुल से तो नहीं निकाला। आज भी वहां उनसे १०० फीसदी व्याज लिया जाता है। मेरे दोस्त हैं, जो एक एम० एल० ए० के पिता हैं, मैंने उनसे पूछा कि आजकल सूद का क्या रेट है। तो उन्होंने कहा कि अब भी हम रुपये मे दो आना सूद लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक रुपये में डेढ़ रुपया का साल में उन्हें सूद मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आप की तमाम योजनाओं से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, है अब तक। जो कुछ भी थोड़ा सा लाभ हुआ है, हमारे नगर के लोगों को हुआ है। उसमें भी जो आप धन देते हैं, मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि यहां उसका बड़ा दुरुपयोग हो जाता है।

छात्र वृत्तियां के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उसके अन्दर भी बड़ा दुरुपयोग और धांधली होती है। मेरे नगर में दो केसेज ऐसे हैं कि जिसमें वह छात्रवृत्तियां अछूत बच्चों को न देकर दूसरों को दे दी गईं। अब इसके अलावा आप यह देखिए जिन योजनाओं का आप बड़ा प्रोपैगंडा करते हैं, उनको भी लागू करने की आप की इच्छा है या नहीं है। उनसे आप उन लोगों को कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि सन् १९६६ में आपने देहात के मजदूरों का वेतन मुकर्रर कर दिया, किन्तु क्या आजतक उसकी कहीं भी कोई पाबन्दी है? मैं कहता हूं नहीं है, बिलकुल नहीं है, और इसे हम सब जानते हैं।

दूसरी बात सन् १९६० से आप यह चिल्ला रहे हैं, आपने यह नियम बनाया है कि सीलिंग से निकली हुई जमीन भूमिहीनों और अछूतों को ही केवल दी जाए, लेकिन आज तक इसकी पाबन्दी नहीं हुई है। अब तक गलत आमिदयों को और बअसर लोगों को पट्टे दिये जाते हैं। भूमिहीन बहुत लोग मारे-मारे घूम रहे हैं। जुगुलकिशोर कमेटी की रिपोर्ट थी कि भूमि हीन किसानों के अतिरिक्त जो पट्टे दिये गये हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाय। क्या आज तक वह निरस्त हुए हैं?

एक स्कीम आपकी थी। आपने १९५५ में रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी ऐक्ट पास किया। मैं पूछता हूं कि उसको कहां लागू किया जा रहा है? १९५५ से आज तक कितने लोगों को उसमें दंड मिला है?

रिजर्वेशन आफ सर्विसेज के मामले में आप देख लीजिये कि इसकी पाबन्दी कहीं नहीं हो रही है। क्रेडिट फैसिलिटीज का बड़ा गुण गाते हैं। मुझे निश्चित रूप से मालूम है उससे कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। उसे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, महज नाम उन लोगों का होता है और अगर उनको दस रुपये दे दिये जाते हैं तो उसी वक्त उनसे २ रुपया रिश्वत में ले लिये जाते हैं। उपरोक्त कानून आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आप की उदासीनता का परिणाम है कि आज भी देहातों में की २० या ५० वर्ष पहले जो हालत थी, बिलकुल वैसी की वैसी है। मैंने विचार किया कि इस उदासीनता का कारण क्या है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कारण एक मात्र यही है कि आप की इच्छा नहीं है। दलित वर्ग जिस वक्त स्वालम्बी हो जायगा उस वक्त वह आप से दूर हो जायगा। इसको आप एक तरह से टुकड़ा देकर अपने पीछे लगाना चाहते हैं। जब वह स्वावलम्बी हो जायगा तो आप की इतनी चिन्ता नहीं करेगा, अपनी इच्छा से मत देगा और दूसरी पार्टियां या अन्य लोगों की मदद करेगा। आपकी डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी खत्म हो जायगी।

आप की उदासीनता का परिणाम क्या है इसके केवल दो उदाहरण रखना चाहता हूं। एक तो बता रहा हूं, अपने शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील के एक गांव निवासपुर के बारे में। वहां बहुत सी जमीन निकली। उसके बारे में अनुसूचित जाति तथा अन्य भूमिहीन लोगों ने प्रार्थना की और अधिकारियों से मिले। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया। भूखहड़ताल की। मैं भी उस मामले में पड़ा। लेकिन किसी को पट्टा नहीं दिया गया। १६७ पट्टे किये गये जिसकी सूचना सरकार द्वारा मुझको दी गई, आज भी फेहरिस्त मेरे पास है। वह पट्टे कुछ पंजाब के रहने वालों को, सीतापुर जिले के रहने वालों को और कुछ अन्य जगह के रहने वालों को दियेगये और एक एक घर में चार-चार पट्टे दिये गये हैं। सब सम्पन्न लोग हैं। लेकिन भूमिहीनों को एक पट्टा भी नहीं दिया गया। मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। जिन लोगों को भूमि मिली है, और सरकार से जो उत्तर मिला है उसके प्रति मेरे पास यहां भी मौजूद है। उसका क्या परिणाम हुआ? वहां के काश्तकारों ने विद्रोह कर दिया। लोग बागी होकर नेपाल की तराई में चले गये और वहां नेक्सेलाइट हो गये। परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया कि वह नक्सेलाइट बन जायं। एक उदाहरण यह है।

दूसरा उदाहरण चमोली जिले का आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां के काश्तकार बहुत दिन से परेशान थे। उनके यहां सड़कों की कुछ दिक्कत थी। बच्चों के स्कूल की मांग थी। बहुत दिनों तक निवेदन करते रहे। साधारण तौर से प्रदर्शन भी किया। लेकिन उन की बात सुनी नहीं गयी। हुआ यह कि बजाय इसके कि उनकी कुछ सहायता की जाती उन्हें पुलिस तंग करने लगी, उनके नेता प्रेमलाल भारतीय थे। उनको पुलिस ने हर तरह से परेशान किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इन लोगों ने मजबूर होकर अपना एक शोषित दल बनाया और एक प्रस्ताव पास किया कि अगर यही स्थिति रहती है तो हम मजबूर होकर कम्युनिस्ट हो जायंगे, नेक्सलाइट हो जायंगे। इस प्रकार आप अपनी नीति से कम्युनिज्म और नेक्सराइट पैदा कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा था कि कम्युनिज्म फैलता नहीं है, वह परिस्थितिवश स्वयं उभर आता है। देश में आपकी नीतियों के कारण कुव्यवस्था और अराजकता फैल रही है। इस सम्बन्ध में मुझे सुभाषचन्द्र बोस के शब्द याद आ जाते हैं जो उन्होंने अपने एक पत्र दिनांक ३०-१०-४० को लिखे थे कि स्वराज्य

[श्री उमाशंकर शुक्ला]

मिलने के बाद अगर इन लोगों के हाथ में ताकत पहुंच जाती है तो न मालूम देश का क्या हाल होगा। उन्हीं के शब्दों में मैं कोट किये देता हूं जो इस प्रकार है—

"If power goes into the hands of such mean, vindictive and unsrcupulous persons when Swaraj is won what will happen to the country."

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बनारसी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की समस्याओं पर जो अनुदान पेश किया गया है मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हर आदमी आज हरिजनों का नाम लेकर बहस कर रहा है। लगातार २४, २५ वर्ष से उत्तर प्रदेश में हरिजनों का नाम जपा जा रहा है लेकिन उनके लिये होता कुछ नहीं है। केवल कहा जाता है कि उनको मकान दिया जाय, अनुदान दिया जाय लेकिन किया कुछ नहीं जाता सिवा इसके कि किसी एक गांव में ३, ४ मकान मुश्किल से बना दिये गये और बाकी खरहरे पड़े हैं। वह भूखे मरते हैं। नंगे फिरते हैं न उनके लिये खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना और आज उत्तर प्रदेश में हरिजन बड़े कस्ट में हैं। २५ वर्ष से इस सदन में बड़े-बड़े नेता चुन-चुन कर आ रहे हैं और खाली कहा करते हैं कि हरिजनों के लिये यह किया जाय वह किया जाय लेकिन करते कुछ नहीं, चाहे वह नेता इधर के हों अथवा उधर के और इसलिये हरिजनों का नाम वह जपते हैं ताकि उनकी गाड़ी चुनाव में पार हो जाय क्योंकि हरिजनों की संख्या ज्यादा है। उनको उनका वोट मिल जायगा।

उत्तर प्रदेश में एक मुसहर जाति है जिसके रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है। नंगे भूखे वह रहते हैं। लू, बरसात तथा ठंड में वह मरते हैं। सरकार को उनके लिये कुछ व्यवस्था, करना चाहिये। मान्यवर, इस प्रदेश में एक बिरादरी धरिकार है जो कि किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। वे भी भूमिहीन हैं, उनके पास रहने के लिये जमीन नहीं है, आवास की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, यही नहीं है, आज पूर्वी जिलों में एक बिरादरी राजभर है। उनकी समस्या भी बहुत खराब है। इनकी समस्या भी उतनी ही खराब है जितनी कि हरिजनों की है। उनकी समस्या की ओर भी सरकार को सोचना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिये। इनकी सहायता सरकार जो कुछ कर सके, वह करे। मान्यवर, हरिजनों में चमार जाति के जो लोग हैं जिनको कि चमार कहा जाता है उनकी हालत बहुत ही खराब है। वे गोबर के दाने को धो-धो करके अपने घरों में चैत के माह में रख लेते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। यदि ये लोग इस गोबर के दाने को धो-धो करके न रखें तो वे खाने के बगैर मर जायं। यह एक दिन की बात नहीं है ये लोग चार-चार और पांच-पांच दिन तक उपवास रखते हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कि वह क्या खाता है, क्या पहनता है और कहां रहता है। उनकी कोई नहीं सुनता। गांव में उन्हें पुलिस और बड़े-बड़े लोग सताते हैं। उसकी जान व माल का खतरा है। उन्हें हर प्रकार से खतरा है। अतः इस सरकार का ध्यान उन पर होना चाहिये। पुलिस का अफसर या दरोगा उन्हें १० गाली देता है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है और कहता है कि जाली बात बनवाने आये हो। इस प्रकार उसे डरा-धमका करके भगा दिया जाता है। जिले का कप्तान भी उस पर ठोकर लगाता है और उसे भगा देता है वह भी उनकी बात नहीं सुनता है। तो, मान्यवर, मैं आपका ध्यान इन हरिजनों की ओर बहुत-बहुत दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि गांव में जो बड़े-बड़े लोग होते हैं जो पुराने जमींदार हैं वे भी उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे कि जमींदारी के दिनों में करते थे।

उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, इन हरिजनों को मारा-पीटा और गाली वगैरह देते हैं। आज हमारे नेतागण हरिजनों के उत्थान के लिये सदन में और अन्य जगह बोलते हैं और लगातार बोलते हैं कि इसके बारे में कुछ किया जाय किन्तु कुछ होता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं और प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)––

उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या हरिजनों की समस्या नहीं है यह एक राष्ट्रीय समस्या है। जिस तरह से यह राष्ट्रीय समस्या है उसी तरह से हमारे देश में युद्धस्तर पर कार्य होना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार रही हो या मौजूदा सरकार को किन्तु देश के २२ वर्षों के शासन ने हरिजन की समस्याओं को युद्धस्तर पर नहीं लिया बल्कि यह बात सही है और जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम हरिजनों, बैकवर्ड तथा पिछड़ी जाति के लोगों को राजनीति में इस्तेमाल करने के लिये थोड़ा-थोड़ा धन इधर-उधर बांटने की कोशिश की गई हो, उसकी बुनियाद क्या है, इसको समझने का प्रयास नहीं किया गया। सरकारी नौकरियों में १८ प्रतिशत का विधान बना दिया गया। २२ वर्ष से ज्यादा हो गये लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन है यह बहुत आसान सवाल। किसी हरिजन को आप लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना दीजिये, फिर भी अगर उनकी संख्या सर्विसेज में पूरी नहीं होती तो उसका दोष हरिजन के ऊपर होगा, आप कह तो सकेंगे कि हम क्या करें। लेकिन आज तक कोई भी सरकार लोक सेवा आयोग का चेयरमैन न बना सकी, न केन्द्र और न कोई और राज्य सरकार, वरना यह समस्या अपने आप हल हो गयी होती। एक बहाना बना रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको सामाजिक समस्या के रूप में नहीं लेता। सामाजिक समस्या तो अपने आप हल हो जायगी और राजनैतिक और आर्थिक समस्या हल हो जाय। राजनैतिक तौर पर अगर देखा जाय तो हमारे प्रदेश में दो बार ऐसा मौका आया, सन् १९६० में और सन् १९६९ में, जब कि एक हरिजन को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात सोची गयी। मैं भी उनमें से एक था जो यह सोचते थे कि एक हरिजन एक बार इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो जाय। अगर ऐसा हो जाता तो इस हरिजन समस्या का हल हो गया होता। और अगर न भी होती तो हरिजन लोग यह तो न कह पाते कि हरिजनों को आगे बढ़ाने से रोका जाता है। लेकिन आज २२ सालों के बाद भी यह मौका नहीं दिया गया। यह इस प्रदेश की ही समस्या नहीं है, सारे देश की समस्या है। न जाने किस गलती से आंध्र में एक संजीवैया चीफ मिनिस्टर कुछ दिनों के लिये बन गये थे।

इसलिये मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में लोगों की निगाह इस ओर नहीं गयी। उत्तर प्रदेश में दो बार मौका आया। सन् १९६० में जब मौका आया तो लाल बहादुर शास्त्री को, पंत जी को हवाई जहाज से आना पड़ा और हमको यह भी बताया गया कि जवाहर लाल जी को भी हवाई जहाज से आना पड़ेगा और उन की बात नहीं मानी गयी। अगर हरिजन चीफ मिनिस्टर बन जाता तो न जाने क्या वज्रपात हो जाता। अगर बन गया होता तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। अब की बार भी जब मौका आया तो भी केन्द्रीय सरकार की ओर से समस्या को उलझा दिया गया और बहुमत को अल्पमत में केन्द्रीय सरकार की ओर से बदल दिया गया। कहने को कहते हैं कि हरिजन कन्या को प्रधानमंत्री होना चाहिये था, राष्ट्रपति होना चाहिये। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रपति इस देश का हरिजन होना चाहिये। बात महात्मा गांधी की करते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

और करते कुछ हैं नहीं। हरिजन मुख्य मन्त्री नहीं होना चाहिये और लोक सेवा आयोग का मेंबर नहीं होना चाहिये और समस्या हल हो जाय। समस्या की जड़ को अलग करके आप उस को हल करना चाहते हैं और नारे बड़े-बड़े लगाते हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है और मेरी आदत है कि मैं अपने दिल की बात को छिपा नहीं पाता, हरिजनों को आर्थिक और राजनैतिक साधन नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह राष्ट्रपति और मुख्य मंत्री किसने नहीं बनने दिया, यह भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---

मैंने दोनों बातें ही स्पष्ट कर दीं कि उस बार भी केन्द्रीय सरकार और इस बार भी केन्द्रीय सरकार ही बीच में आयी। माननीय सदस्य ने पिछली बार की क्यों नहीं पूछा, क्योंकि दाड़ी में तिनका हो जाता। मैं दोनों बार बता चुका हूं कि दोनों बार केन्द्र के बड़े से बड़े नेताओ ने इसको नही चाहा।

मैं एक बात और कहना चाहता था कि राजनीतिक और आर्थिक साधन मिल जायें इसके लिये बहुत परेशान हैं। मगर राजनीति में एक बड़ी भारी बुनियाद है डेमोक्रेसी की और वह है जनतंत्र में वोट का अधिकार। गरीबों का वह हक भी छीन न लिया गया। ताकतवर लोग इन गरीबों को वोट भी नहीं देने देते। छोड़िये चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति को, जो बुनियादी अधिकार है वह भी आज छीन लिया गया। कौन छीनता है? ताकतवर लोग। किसी पार्टी विशेष को मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जो लोग ताकतवर हैं वह राय भी नहीं डालने देते और यह एक बड़ा भारी कुठाराघात है उनके अधिकारों पर और हम उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं बल्कि प्रोत्साहन दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग कमाने वाले हैं इस देश के। इनको मैं दाता की संज्ञा दे सकता हूं। मगर इस देश के ये दाता भिखारी हुये हैं। हर बात की भीख मांग रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण की भीख, मिनिस्ट्री की भीख, एम० एल० ए० के टिकट की भीख, पता नहीं क्या भीख मांग रहे हैं जिनकी तादाद बहुत बड़ी है। या तो इस देश में जनतंत्र नाम का ढकोसला कुछ दिनों के अन्दर नहीं रहने का है और अगर जनतंत्र रहना है तो इस दाता को भिखारी नहीं रहना है।

काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा, सारे देश का भ्रमण किया। उसकी रिपोर्ट आयी। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मैंने ही एक प्रस्ताव रखा। शुरू में जवाहरलाल जी ने ही हमारे प्रस्ताव को साम्प्रदायिक कह दिया लेकिन जब मैंने याद दिलाया कि राष्ट्रपति ने यह कमीशन बनाया और आप ने उद्घाटन किया तब वह थोड़ा खामोश हो गये लेकिन उस प्रस्ताव के लिये यह लिख दिया गया कि वोट पर इसको न लायें लेकिन आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही में यह लिखा गया कि राज्य और केन्द्र की सरकारें शीघ्र ही यथासम्भव इस कमीशन की रिपोर्ट पर कार्यवाही करेंगी। मगर अमल हुआ क्या? आज तक अमल नहीं हुआ। काका कालेलकर जैसा व्यक्ति जो इस देश का बहुत बड़ा विचारक है, जिसे इस राष्ट्र का सबसे बड़ा शुभचिन्तक मैं मान सकता हूं उसकी अध्यक्षता में बैठे हुये कमीशन की २ फीसदी बात भी अगर अमल में ले आते और बाकी ९८ फीसदी को कह देते कि हमारी आर्थिक या कोई कठिनाई है तो हमारी समझ में बात आ जाती और मैं मानने को तैयार हो जाता।

मैं सरकारों की आर्थिक कठिनाई को जानता हूं, उनकी मजबूरियों को समझता हूं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि कमीशन बिठाने के बाद उसकी कोई भी बात मानने लायक नहीं थी और अगर मानने लायक नहीं थी तो उस कमीशन को बनाने में और चलाने में इतना व्यय क्यों किया गया? आज भी अनेक सदस्यों ने मांग की है कि एक कमेटी बिठाई जाय। मैं तो एक हाई लेविल कमीशन की चर्चा कर रहा हूं। इन छोटी कमेटियों से होगा क्या? दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य इस माने में कि इस देश का राजनीतिक व्यक्ति सबसे बड़ा स्वार्थी हो गया है। वह अपने स्वार्थ के आगे समाज के बारे में सोच नहीं पा रहा है चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो।

मैं किसी विशेष राजनीतिक दल को नहीं कहना चाहता मगर विशेष व्यक्ति इस समय इसलिये जोड़ना चाहता हूं कि हमारे समाज का क्या हाल है उसके लिये लोग बेचन नहीं होना चाहते, उसके लिये उनको तकलीफ नहीं है। हां, व्यक्तिगत उनको क्या फायदा हो जाय, क्या कमेटी मिल जाय, क्या मिनिस्ट्री मिल जाय, क्या टिकट मिल जाय इसके पीछे सारे राजनीतिक व्यक्ति सभी पार्टियों के अंधे हो गये हैं और वह सोच नहीं पा रहे कि इस देश में गरीबों की समस्या बहुत विषाक्त रूप में हमारे सामने खड़ी हो गयी है। हम बड़ी शिकायत करते हैं कि नक्सलाइट बढ़ते चले आ रहे हैं चारों तरफ से। आखिर क्यों? समस्याओं को आप उलझाये रखना चाहेंगे बजाय सुलझाने के। आप गरीबों को कुछ देना नहीं चाहेंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं करना चाहेंगे, उनके सन्मान की सुरक्षा नहीं करना चाहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, सम्मान एक स्वाभाविक चीज है मनुष्य के लिए। उसके लिए आदमी अपनी जान दे सकता है और दुनिया छोड़ने वाले महात्मा भी सम्मान चाहते हैं। अगर किसी गरीब हरिजन का चाहे गांव में रहता हो या शहर में जीवन विताता हो, अगर उसका सम्मान भी सुरक्षित नहीं है राजनीतिक और आर्थिक साधनों को छोड़ दो अगर २२ साल के स्वराज्य में वह भी सुरक्षित नहीं तब मैं नहीं जानता कि कौन सी चीज सुरक्षित रह पायेगी। और जब सन्मान सुरक्षित नहीं है जो आदमी की स्वाभाविक पूंजी है तो आदमी बेचैन हो जाता है, परेशान होता है और उस समय मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। उसको आवेश भी आता है, क्रोध आता है। उस समय बुद्धि का नाश हो जाता है। वह गलत काम भी कर सकता है जिससे राष्ट्र को, समाज को हानि हो। लेकिन हमारे देश के दूरदर्शक लोग, खास तौर से कहना चाहता हूं कि शासक लोग जो सरकारों में रहते हों उन्होंने कभी गरीब की समस्या को इस दृष्टि से नहीं सोचा कि हम उसके सम्मान को संतोष दे दें। हम साधन का संतोष भी नहीं देना चाहते तो क्या देना चाहते हैं उसको केवल यह कि तुम हमारे पीछे लगे रहो, एक दिन आयेगा कि हम तुमको न जाने क्या बना देंगे। और इस तरह से वह लटका रहता है और उसके पीछे सारा समाज लटका हुआ है।

मैं अदब से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्त्री हैं और स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं, उनके विचार बड़े सुलझे हुए होते हैं, लेकिन वह बेचारी क्या करें? बजट तो केवल ५ करोड़ का मिला जबकि समस्याएं कहीं बड़ी हैं। श्रीमन्, सन् ४६ से बजट घट ही रहा है, घटता चला जा रहा है और हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, उनकी समस्याएं बढ़ती चली जायं यह एक उलटा करिश्मा है? मंत्री जी को दोष इसलिए नहीं देना चाहता कि वह तो लड़ी होंगी जरूर मिनिस्टर होने के नाते से, क्योंकि हर एक अपने विभाग के लिए लड़ता है, लेकिन ऊपर चल नहीं पातीं। तो जब बजट ही नहीं मिला, अब उनके इरादे अच्छे हैं, सही बात है, भावनाएं अच्छी हैं लेकिन इतने ५ करोड़ के बजट से पूरे प्रदेश की समस्यायें कैसे सुलझ सकती हैं? इतनी बड़ी तादाद के लोग आप देखेंगे कि जनतंत्र में वह कितने हैं। और दूसरे कितने हैं। अगर तुम करवट बदल दो तो कल ही तुम्हारी सब मांगें मंजूर हो जायं हरिजन, बैकवर्ड, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम अपना सौदा मत करो, समाज का सौदा

[श्री राम चन्द्र विकल]

करना ही शुरू कर दो तो सरकार की आंख खुल जायगी। लेकिन तुम लड़ते ही नहीं हो व्यक्तिगत स्वार्थ को समाज के लिए और सामाजिक स्वार्थ को देश के लिये जिस समय बलिदान करना जब तक लोग नहीं सीखेंगे, विशेष कर विचारक लोग, बड़े लोग और सरकार में रहने वाले लोग तब तक हरिजन समस्या एक मजाक और बहाने बाजी की समस्या बनी रहेगी जैसी कि २२ वर्षों से अबतक रही है। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरिजन कल्याण और समाज कल्याण का जो अनुदान पेश है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे संविधान में यह लिखा हुआ कि जातिविहीन और वर्गविहीन समाज बनाने का उद्देश्य है मगर आज २२ वर्ष हुए अभी तक इस संविधान के उद्देश्य की पूर्ति की तरफ शायद ही एक या आधा कदम हम बढ़े होंगे। और इसकी तरफ तब तक नहीं बढ़ पायेंगे जब तक हमारे यहां जो शोषक वर्ग और शोषित जातियां हैं उनके प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से हर तरह की सरकारी नौकरियों में नहीं लिये जायेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में जाने ही से यह समस्या हल हो सकती है।

जिस जिले में जिस बिरादरी का कलक्टर या डिप्टी कलक्टर हाकिम परगना पहुंच जाता है उस वर्ग के वहां के लोग समझने लगते हैं कि हम तो इज्जतदार हैं। जब हम इस समस्या को हल करने के लिए सोचते हैं तो इस बात को नहीं सोचते कि जातिविहीन और वर्गविहीन समान बनाया जाय और जाति विहीन और वर्गविहीन समाज में एक दूसरी बिरादरी में शादी शुरू हो जाय। पुराने जमाने में इस तरह की शादियां होते थीं लेकिन अब क्यों नहीं होतीं? वे सोचते हैं कि इन के रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है, इस बिरादरी में हम शादी क्यों करें? अगर हर बिरादरी में उसी अनुपात से डिप्टी कक्लटर, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० हो जायं और वकालतखाने में भी बैठ जायं तो दोनों एक पेशे में आ जायं। हर पेशे वाला अपने पेशे वाले में ही शादी करता है। एक मजदूर की लड़की से एक कलक्टर का लड़का कभी शादी नहीं करेगा, उसी तरह से एक रोजगार वाला बहुत बड़ा आदमी है तो वह एक किसान के यहां शादी नहीं करेगा।

इस तरह से आप विचार करें कि आज एक ही वर्ग का नौकरी पर भी कब्जा है, रोजगार पर भी कब्जा है, खेतों और जमीन पर भी कब्जा है, और राजनीति पर भी कब्जा तो है ही। फिर कैसे जातिविहीन और वर्ग विहीन समाज बन सकता है? इसलिए यह आवश्यक है सरकारी नौकरियों में पहले, उसके बाद रोजगार पर, उसके बाद राजनीति पर तो कब्जा हो ही जायेगा। अगर आर्थिक दशा में सुधार हो जाय तो राजनीति पर अपने आप कब्जा हो जायेगा।

जब हमारे नेता, विरोधी दल बैठे हुए थे तो श्री रामचन्द्र विकल उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि २० वर्ष तक वे जिस विभाग में रहे उन सारे विभागों में हरिजन के लिए उन्होंने क्या प्राविधान किया, उनकी दशा में कोई परिवर्तन किया? नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि वे इसके योग्य नहीं हैं। हर मंत्री के विभाग से पूछना चाहिये कि उनके विभाग में हरिजनों के लिए जो परसेन्टेज निश्चित है वह पूरा हुआ या नहीं हुआ और अगर नहीं पूरा हुआ तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है इसका जवाब आना चाहिये। इस विषय पर सदन में दो तीन दिन बहस भी होनी चाहिये और हर मंत्री अपने-अपने विभाग के बारे में जवाब दें। अक्सर मंत्रियों की तरफ से कह दिया जाता है कि योग्यतम आदमी नहीं मिलते। आखिर चपरासी के लिए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्या योग्यता की जरूरत है? पहले तो वे उस कोटे को पूरा नहीं करते जो उन्हें करना चाहिये। अगर वे मंत्री हैं तो उनसे कहा जाय कि वे इसको अपने विभाग में पूरा करें। आखिर २० वर्ष तक इसको क्यों नहीं पूरा किया गया? क्या १८ परसेन्ट का संरक्षण मजाक है जो चतुर्थ श्रेणी में भी वे नहीं कर रहे हैं? आई० ए० एस०, पी० सी० एस० के लिए तो कहा जाता है कि योग्य आदमी नहीं मिलते इसलिये कहां से पूरा हो लेकिन चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए क्या समस्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का ५५ परसेन्ट सरकारी नौकरों पर खर्च होता है और वह किसके घरों में जाता है? एक ही वर्ग के घर में जाता है जो हर क्षेत्र में घुसे पड़े हैं और बकीया १८ परसेंट जो हरिजन जाति के लोग हैं उनके घरों में वह नहीं जाता क्योंकि उनके आदमी तो नौकरी में होते नहीं। हमारे दूसरे विरोधी दल के नेता लोग श्री कृष्णानन्द राय, आचार्य लक्ष्मीरमण आदि सोचते हैं कि अगर हरिजनों के लड़के इन नौकरियों में घुसने लगे तो हमारे लड़के और रिश्तेदार कहां जायेंगे। अगर ५ हजार गजटेड आफिसर हैं तो ढाई हजार तो हरिजन वर्ग के ही हो जायेंगे और फिर इन नेताओं के लड़कों, रिश्तेदारों के आने में कठिनाई होगी। इसलिये यह काम कैसे पूरा हो? उनके दिल में जलन है जिससे यह काम पूरा नहीं होता। यहां असेम्बली में स्पीच इसलिये देते हैं ताकि दिखला सकें कि देखो तुम्हारे लिये असेम्बली में हमने क्या-क्या कहा था और इसलिये हमको वोट दो। अगर कहने के मुताबिक वे उसी तरह से काम करें तो यह समस्या हल हो सकती है वर्ना इसका कोई हल नहीं होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीया हरिजन कल्याण मंत्री हर विभाग के मंत्री से साल में रिपोर्ट मांगें कि चतुर्थ श्रेणी में आपके विभाग में इनका प्रतिशत पूरा हुआ या नहीं हुआ और जो नियुक्त किये गये उनमें कितने हरिजन हैं।

मैं तो कहूंगा कि चतुर्थ श्रेणी में सब की भर्ती बन्द कर दीजिये, केवल हरिजन ही लिये जायें। साल भर ऐसा कर के देखें। होना तो यह चाहिये कि जब तक उनका प्रतिशत पूरा न हो जाय दूसरे लोग न लिये जायें। एक सुझाव और है कि चपरासियों की नौकरी केवल उन लोगों को दी जाय जो हरिजन हैं या जिनके पास सवा तीस एकड़ से कम भूमि है। इसी तरह से क्लर्कों की नौकरी उनको दी जाय जिनके पास सवा छः एकड़ से कम भूमि है। अभी इनको नौकरी इसलिये नहीं मिल पाती कि ये लोग समझते हैं कि अगर इनको चपरासी बना दिया या क्लर्क बना दिया तो ये लोग अपने लड़कों को पढ़ा कर डिप्टी कलेक्टर बना देंगे या उनको वकील बना देंगे, इसलिये उनको नौकरी में नहीं लेते हैं। मैं एक उदाहरण अपने यहां का दे दूं। एक चपरासी था एक वकील ने ताना दिया तो इस पर उसने अपने लड़के को वकील बना दिया और एक को अध्यापक बना दिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में और तीसरी श्रेणी की नौकरियों में इनका प्रतिशत पूरा करें और साल भर बाद देखा जाय कि किस विभाग में इनका प्रतिशत जो संविधान के अनुसार १८ प्रतिशत है पूरा हुआ है या नहीं। जो माननीय विकल जी कहते हैं वह सही कहते हैं।

जहां तक स्कूलों में सुविधाओं के दिये जाने का प्रश्न है उनको और बढ़ाना चाहिये। दूसरी मदों से काट कर इसमें देना चाहिये। होता इसमें क्या है? यह अनुदान इधर उधर कर दिया जाता है, ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार में चला जाता है, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और ग्रामसेवकों के घर पहुंच जाता है। जो हरिजन कल्याण विभाग का रुपया है उसमें अगर लैप्सेज होते हैं तो उन अधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिये कि उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया।

बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी जिक्र माननीय विकल जी ने किया जो कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। यह बात सही है कि उसने हरिजन उत्थान के लिये बड़ा काम किया, लेकिन उस रिपोर्ट पर आजतक कार्यवाही नहीं हुई। मुझे अफसोस है कि उस पर कार्यवाही नहीं हुई। आज २० साल हो गये हैं और हरिजनों की समस्या हल नहीं हो पायी। मेरा निवेदन है कि उस रिपोर्ट को लागू करके २, ४ साल देखा जाय और अगर यह समस्या हल हो जाय तो बहुत अच्छा है। इससे जो संविधान की मंशा है वह भी पूरी हो जायेगी। यह वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अन्न उत्पादन का काम करता है। खेतों में काम करते है, कारखानों में काम करता है और अगर कोई चीज जो मनुष्य के काम आती है उसका काम करता है। तो अगर उनकी समस्या हल नहीं होगी तो जो समाजवादी समाजवाद कहा जाता है वह आ ही नहीं सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करें। इससे देश का और प्रदेश का भला होगा। इसके साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय देना सम्भव नहीं है। अभी तक १९ आदमी बोले हैं। ६ कांग्रेस (सत्ता) और ३ बी० के० डी० के बोले हैं। मैंने आज २ बी० के० डी० को समय दिया क्योंकि कल उनका एक ही हुआ था और कांग्रेस (वि०) पक्ष के ३, जनसंघ के २, संसोपा के २, किसान मजदूर पार्टी के १ और प्रसोपा के १ दूसरे के लिये अब समय देना सम्भव नहीं है।

*समाज कल्याण उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

हरिजन समाज कल्याण के अनुदानों में जिन महानुभावों ने भाग लिया और सुझाव दिया है मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, यह सही बात है कि समाज का जो सब से पिछड़ा हुआ और दलित वर्ग है उसके उत्थान के लिये हमको बहुत कुछ करना है और सीमित साधनों के अंदर जो कुछ सरकार कर सकती है उसके लिए प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, हरिजन उत्थान के लिए उनको शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना तथा उनके पुनर्वासन के लिये सुविधायें प्रदान करना आवश्यक है। मान्यवर, मेरे मित्र श्रीराम सिंह ने कहा कि वित्तमंत्री जी ने शिक्षा पर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष व्यय करने के लिए कम पैसा रखा है। मान्यवर, मेरे मित्र की यह बात सही नहीं है। मान्यवर, पिछले वर्ष जो शिक्षा पर पैसा रखा गया था वह ३,७३,८८,१०० रुपया था इस वर्ष मान्यवर, ४,००,५१,८०० रु० है। मान्यवर, तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ज्ञात होगा कि करीब २७ लाख रुपया शिक्षा पर अधिक रखा गया है।

इसी प्रकार, मान्यवर, मेरे मित्र ने यह बात कही कि अस्पृश्यता निवारण के लिये विभाग की ओर से केवल १५ हजार रुपया रखा गया है। मान्यवर, मुझे इसके लिए भी कहना पड़ेगा कि यह बात ठीक नहीं है। बजट को देखें तो मालूम होगा कि इस कार्य के लिए ५९,३०० रु० रखा गया है। अगर बजट को देखें मेरे माननीय मित्र तो वह पायेंगे कि १५,००० रु० मेले आदि के लिये रखा गया है और १० हजार रुपया हरिजन सहायक समितियों के वितरण करने के लिए रखा गया है और उसके बाद, मान्यवर, ३४,३०० रु० निदेशालय की एक इकाई के लिए रखा गया है और उसके अन्तर्गत तीन प्रचार वाहन रखी गई हैं। तो इस तरह से, मान्यवर, सीमित साधनों के होते हुए १५,००० रु० नहीं बल्कि ६०,००० रु० के करीब रखा गया है।

इसके बाद, मान्यवर, मेरे मित्र ने एक बात कही कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो रुपया रखा गया वह खर्चा किया गया लेकिन तीसरी योजना में जितना रुपया रखा गया उससे कम खर्चा हुआ। यदि मैं ठीक समझा तो उन्होंने यह बात कही थी। मान्यवर, यह सही बात है कि जो प्राविधान किया गया था वह कम था लेकिन उस समय आपत्कालीन स्थिति थी इस कारण ऐसा हुआ। उस समय जो हमारी योजना थी ३१६ करोड़ रुपये की उसमें कटौती हुई और मान्यवर, २८० करोड़ रुपये की वह रह गई लेकिन अगर आप देखें तो कन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों ने जो दिया वह खर्चा हुआ और अधिक हुआ और यह बात नहीं है कि वह खर्चा नहीं हुआ।

इसके बाद, मान्यवर, एक बात और कही गई विभाग में जो योजनायें चली आ रही हैं वही ली गईं और कोई नया काम या नई योजना नहीं ली गई हरिजन उत्थान के लिए या समाज उत्थान के लिए। मान्यवर, इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग की ओर से एक योजना तो चालू की गई है कि जो हमारे मेधावी छात्र हैं हरिजन और पिछड़े और जन जाति के उनके लिए पब्लिक स्कूल में स्थान सुरक्षित हों जहां वह जा कर पढ़ सकें और देश और प्रदेश के अच्छे नागरिक बन सकें। इस बात का प्राविधान किया गया है और एक प्रशिक्षण केन्द्र की नैनीताल में व्यवस्था की गई है जि में प्रशिक्षण ले सके और एक छात्रावास की लड़कियों के लिए भी व्यवस्था की गई है और वह खोला जा रहा है। और मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि कांस्टेबुल के प्रशिक्षण के लिये भी व्यवस्था है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन्द्रीय सरकार की ओर से एक योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत इलाहाबाद में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की तैयारी के लिए हरिजन बच्चों को बढ़ाने के लिये है और उसके आधार पर राज्य सरकार ने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक संस्था की स्थापना की है जिसमें राज्यस्तर के जो हमारे प्रत्याशी होंगे वह जांयगे और प्रशिक्षण लेंगे ताकि वह अच्छे नागरिक बन सकें और कम्पीटीशन में आ सकें और जो यह बात आती है कि हरिजन छात्र या अनुसूचित जाति नौकरियों के लिए नहीं मिलते हैं उसमें कभी आ सकें और कुछ प्रगति हो सके। इसके बाद, मान्यवर, शासन की ओर से अनुसूचित जन जातियों के लिए दो शोध केन्द्र एक खटीमा में और दूसरा चकराता में खोले जा रहे हैं और यह अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किया गया है। इसके साथ ही साथ, मान्यवर, जौनसार-भावर और रवई में जो जन जातियों की स्त्रियों में वेश्यावृत्ति की प्रथा है उसको रोकने के लिए एक योजना सरकार ने बनाई है। साथ ही साथ जन जाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में दो प्रतिशति स्थान सुरक्षत किये गये हैं।

समाज कल्याण के अन्तर्गत भी, मान्यवर, विकलांगों के लिए चार योजनायें प्रस्तावित हैं। तो, मान्यवर, इस तरह से आप यह देखेंगे कि विभाग ने नये काम किये हैं और नयी योजनायें बनाई हैं। सरकार इस ओर जागरूक है और अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत जो कुछ वह कर सकती हैं कर रही हैं। इसके बाद, मान्यवर, कुछ लोगों ने यह कहा कि छात्रावासों के लिए जो रुपया दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है। शासन की ओर से १२३ छात्रावासों के लिये जो अनुदान दिया गया उसके बारे में जो जानकारी है उसको मैं देना चाहता हूं। ११२ क्षात्रावासों में कार्य पूरा हो गया है और उसमें एक क्षात्रावास ऐसा है जो आगरा में है और उसमें कार्य किया जा रहा है और १९ के सम्बन्ध में हम जानकारी कर रहे हैं। उसमें भी कार्य हो रहा है। मान्यवर, जो छात्रावास खोले गये हैं, बयान में यह कहा गया कि वहां कोई भी हरिजन विद्यार्थी नहीं है और वे बेकार पड़े हैं उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। मान्यवर, ११२ में कार्य आरम्भ हो चुका है और ९२ क्षात्रावासों में हरिजन विद्यार्थी रहत हैं।

एक सदस्य—

अच्छा तो यह हो कि इन क्षात्रावासों को सरकार स्वयं अपने विभाग के माध्यम से चलावे।

श्री गुलाब सिंह—

यदि सरकार के पास इतना पैसा होता तो यह बात अच्छी हो सकती थी। क्षात्रावासों को चलाने के मानें यह हैं कि उसके लिये और अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, साज सज्जा के लिये, कर्मचारियों के लिये। इस कारण जो विशेष कठिनाई है वह साधनों की। माननीय सदस्यों ने जो अच्छे सुझाव दिये हैं उनके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, २० साल हो गये और सरकार ने इन पिछड़ी जातियों और हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया। सदन में तो कहते हैं कि हमने यह किया और वह किया परन्तु २० साल हो गये सरकार कहती है कि चमारों के लिये यह किया और उनके लिये वह किया परन्तु जो सब से ज्यादा एक गिरी जाति है वह है मुसहरा उनके लिये कुछ नहीं हुआ। उनका कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे यहां ८०, ८९ अनुसूचित जाति के एम० एल० एज० हैं। अगर एक जगह पर इतने ही गदहे इकट्ठा होकर चिल्लाते तो उनकी आवाज में जोर होता परन्तु अनुसूचित जाति के होते हुये भी इन सदस्यों ने मुसहरा जाति जो सब से ज्यादा गिरी जाति क हैं उसके लिय कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कैसे जवाब दे रहे हैं ?

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने गदहा शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा है कि गदहों की आवाज भी अधिक होती है और यहां पर इतने एम० एल० एज बैठे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ऐसी चीजें नहीं बोलें कि गदहों की आवाज में अधिक जोर होता है। आप को नियम के अनुसार ही बोलना चाहिये। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपा कर बैठें। मैं आप के जो नेता हैं उनसे कहूंगा कि आप दूसरी पार्टियों पर भी आंच पहुंचाते हैं। वे आप को इससे रोकें।

श्री गुलाब सिंह—

छात्रावासों के सम्बन्ध में सरकार कार्य कर रही है। यह कहा गया कि झांसी में दो संस्थायें हैं एक तो दीन हितकारी सभा और दूसरी मुस्लिम यतीमखाना, और उनका ठीक से प्रयोग नहीं हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में बताऊं कि मुस्लिम यतीम खाने में दो साल से कोई अनुदान नहीं दिया गया है और दीन हितकारी सभा जो है वहां पर १४ स्त्रियां और बच्चे रह रहे हैं।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक लाख रुपया विमुक्त जाति के बीस परिवारों को बसाने के लिये रखा गया था। वह कहां बसाये गये और किस विमुक्त जाति के बसाये गये ? दूसरे, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को संवैधानिक सुविधायें एवं आरक्षित संस्था में सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं, तो उन्होंने अपने विभाग में कितने हरिजनों को सरविस दी और जो हमारा कोटा ह सुरक्षित वह पूरा हुआ या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जानकारी हो तो बता दें। नहीं तो वह सवाल भी कर सकते हैं।

श्री गुलाब सिंह—

श्रीमन्, भंगियों की बात कही जाती है कि इनके सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि चौथी योजना में इनके लिये बीस लाख रुपये का प्राविधान है और इस वर्ष पांच लाख रुपया खर्च किया जा रहा है—तीन लाख मकानों के लिये और दो लाख इस बात के लिये कि जो कूड़ा ले जाने की उचित व्यवस्था नहीं है, सिर पर ले जाते ह, उसको इस ढंग से किया जाय ताकि गन्दगी से दूर रह सक।

मान्यवर, मेरे भाई ने कहा कि विभाग में सरकारी नौकरियों में क्या प्रतिशत है। श्रीमन्, हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में ३३.३ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों में १२ प्रतिशत, राजपत्रित अधिकारियों में २४.५ प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में ३० प्रतिशत है। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में २० प्रतिशत, शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग में १४ प्रतिशत है। अन्य विभागों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जब उपलब्ध हो जायंगे तो बता दिये जायंगे।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चौथी प्लान में तो २० लाख रुपया बताया गया। तीसरी प्लान में हरिजनों के लिये कितना पैसा था ?

श्री गुलाब सिंह—

मैंने तो भंगियों के लिये बीस लाख कहा है। मैंने यह नहीं कहा जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। तो, मान्यवर, यह बात सही है कि नौकरियों में इनका प्रतिशत अन्य विभागों में कम है। जहां तक यह सुझाव है कि प्रतिशत पूरा होना चाहिये, इसके लिये विभाग के जो निदेशक हैं उनकी नियुक्ति की गयी संयुक्त सचिव की ताकि यह प्रतिशत पूरा हो। शासन की ओर से यह भी निश्चय किया गया है कि जब तक १८ प्रतिशत पर हम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक २५ प्रतिशत तृतीय श्रेणी में और ४५ प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी में भर्ती हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों से की जाय।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के अन्दर कितने गजटेड हरिजन अफसर हैं ?

श्री गुलाब सिंह—

माननीय सदस्य इस पर प्रश्न कर लें तो उनको इसकी सूचना मिल जायगी। कुछ सदस्यों ने हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति के विषय में चर्चा की। माननीय सदस्यों का उस सम्बन्ध में यह कहना था कि पिछली बार भी और इस वक्त भी उसकी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया। जो मूल्यांकन समिति की सिफारिशें थीं वह कुल ३७५ थीं। २५ सिफारिशों पर आंशिक रूप से ध्यान देकर कार्य किया गया है। ५३ ऐसी हैं जो धनाभाव के कारण कार्यान्वित नहीं हो रही हैं। ६० सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। जहां तक अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है उन पर शासन सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है। जब हमारे पास इतना धन उपलब्ध हो जायगा कि हम उन योजनाओं को चालू कर सकें तो उनको जरूर किया जायगा।

हरिजन समाज के कल्याण के बारे में लोगों ने कहा था और विशेष कर हमारे एक मित्र ने कहा था कि सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्रैफिक आफ वुमेन एन्ड गर्ल्स ऐक्ट के बारे में कहा था कि वह लागू नहीं हो रहा है तो उसकी धाराओं को बदलना चाहिये ताकि वह पूरे प्रदेश में अच्छी तरह से लागू हो सके। तो, मान्यवर, इस ऐक्ट की धारा १३ में यह व्यवस्था की गई है कि देहरादून वाराणसी, गोरखपुर और नैनीताल में विशेष अफसर नियुक्त किया जाय। उनकी नियुक्ति हो गई है और वे लोग कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिये ६ संरक्षण गृह हैं प्रदेश में। इसके साथ ही एक प्रशिक्षण केन्द्र भी है। १० शरणालय भी शासन की ओर से उपलब्ध हैं। तो ये सब बातें शासन की ओर से की जा रही हैं।

मेरे मित्र विकल जी ने यह कहा कि जब तक मुख्य मंत्री हरिजन नहीं होगा और प्रधान मन्त्री हरिजन नहीं होगा तो हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पिछड़ी हुई जाति का उद्धार तभी हो सकता है जब सभी लोग सहानुभूतिपूर्वक समाज के ऊपर इस कलंक के टीके को धोने के लिये तैयार हों और सभी लोग इनको उठाने का प्रयत्न करें। तभी यह कलंक दूर हो सकता है। मुख्य मंत्री या प्रेसीडेंट हरिजन होने से इनका उद्धार हो सकता है यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। सरकार के पास इसके लिये जो धन उपलब्ध है उसके अनुसार योजना चलाने में सभी माननीय सदस्य उसमें अपना सहयोग दें। जो सुझाव दिये गये हैं उन पर गौर किया जायगा।

*श्री राम सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस विभाग के तीनों अनुदानों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं यह समझता हूं और मेरी ऐसी मान्यता है कि जिस किसी माननीय सदस्य ने इन विभागों के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये उन सभी ने मेरे विचार और मेरी भावना का समर्थन किया है। और जितने सुझाव मैंने आरम्भ में मंत्री जी को दिये थे लगभग उन सबका ही समर्थन यहां किया गया है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि हरिजन या अनुसूचित कही जाने वाली जातियों के साथ किस कदर भेदभाव बरता जाता है उसके मैं आप के सामने २ और उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जो कि बिलकुल ताजे हैं और हम सबसे सम्बन्धित हैं। इस अनुदान के डिबेट में दोनों पक्ष से केवल १९ माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं है कि उसमें केवल २ ही माननीय सदस्य सवर्ण जाति के थे और बाकी १७ व्यक्ति ऐसे थे जो या तो हरिजन हैं या बैकवर्ड या अनुसूचित जाति के हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि माननीया बेगम साहिबा ने जो यहां आज भाषण दिया तो उन्होंने उसमें १० बार हरिजनों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाहिल कह कर पुकारा। मैं नहीं समझ सका किस तरह की सहानुभूति और हमदर्दी उनके दिमाग में उनके प्रति है। यह बड़ी लज्जा की बात है कि यह इतना इम्पोर्टेन्ट मैटर है और हम ही व्यक्ति जो कि उनसे संबंधित है वही ऐसे डिबेट में हिस्सा लें और दूसरे व्यक्ति उसमें हिस्सा न लें। मैंने यह २ उदाहरण इसके आप के सामने प्रस्तुत किये।

माननीय उपमंत्री जी ने मेरे सम्बन्ध में २ बातों का उल्लेख किया और कहा कि मैंने आंकड़े गलत प्रस्तुत किये हैं। मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहूंगा कि बजट की जो पुस्तक है 'उत्तर प्रदेश शासन के १९७०–७१ के आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र' इस के पृष्ठ १३५ पर आप पढ़ लें और अगर उनको न मालूम हो तो माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं वह उनसे मशवरा कर लें और देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में कटौती की गई है या नहीं। शैक्षिक कार्यवाहियों में आप देखें कि २२,९६) की कमी हुई है। तो आप बढ़ोत्तरी कैसे कह सकते हैं? आप अगर इस की भाषा भी पढ़ें तो आप स्वयं मानते हैं कि कुछ अंश और बढ़ाया जाना आवश्यक था। इसमें आप ने लिखा है कि "इसका प्रभाव पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम पर भी पड़ा है फलतः शैक्षिक कार्यवाही के अन्तर्गत ५१,०० की कटौती करनी पड़ी है।" यह इस बजट के स्मृतिपत्र में स्पष्ट लिखा है कि शिक्षा के आइटम में बजाय बढ़ोत्तरी के कमी की गई हैं। तो आप कैसे कह सकते है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन जातियों के लिये बजट बढ़ाया गया है? मालूम होता है कि आप के जिस अधिकारी ने यह आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं उस ने बजट की सब पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है। मैंने भी जो आंकड़े प्रस्तुत किये थे वे कोई मेरे अपने आंकड़े नहीं थे वे भी सरकारी पुस्तकों और कागजात से ही मैंने दिये थे जो आप ने ही प्रकाशित किये थे। इसलिये इन आंकड़ों का आप फिर अध्ययन करें उसमें शायद गलती न होगी और होगी तो वह दुरस्त हो सकती है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों के सम्बन्ध में जो भावनायें हैं और उनके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया दूसरे लोगों के दिमाग पर होती है वह मैंने बताया। एक कोल्टा और हरिजन पहाड़ी जातियां हैं जिन के सम्बन्ध में एक समिति भी गठित की गई थी जिसके सभापति श्री बलदेव सिंह आर्य थे और माननीय गुलाब सिंह जी भी उसके सदस्य थे। उस समिति ने केवल ३ बातों पर अपनी सिफारिशें की थीं। पहली तो उस क्षेत्र के रहने वालों के लिये आवास और कृषि सम्बन्धी भूमि की व्यवस्था के बारे में थी और दूसरी सिफारिश शिक्षा के बारे में थी कि उनके लिये शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाय और तीसरी सिफारिश यह थी कि चूंकि यह जातियां गरीब हैं और उनका हर तरह से शोषण होता है और जो अनैतिक व्यापार आदि की चीजें हैं उनको बन्द करने के लिये उसमें कहा गया था। आप को याद होगा और आप तो उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति के सदस्य रहे हैं कि क्या-क्या सिफारिशें थीं लेकिन आज तक सरकार ने, इस सरकार ने न इससे पहली सरकार ने, किसी भी सरकार ने, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट दस साल पहले दी थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसा क्यों है इसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

इसके अलावा, मेरी जानकारी यह है कि इस विभाग के सम्बन्ध में अब तक पांच रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न दलों द्वारा वे नियुक्ति कमेटियां हैं और विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। एक कोल्टा समिति १९५९-६० में आई। एक राधाकृष्ण अग्रवाल कमेटी आई जिसने रिजर्वेशन के सम्बन्ध में जांच की थी। एक काली प्रसाद समिति थी जो सोशल वेलफेयर के बारे में थी। १९६५-६६ में आचार्य जुगल किशोर समिति नियुक्त हुई जिसने विभाग की कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया और बहुत सी सिफारिशें कीं। प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् १९६६ में प्रकाशित की थी। मेरी जानकारी यह है कि इस अकेले विभाग के ऊपर पांच-पांच रिपोर्टें प्रकाशित हों और उन रिपोर्टों को जिनके लिखने वाले आप हैं, आपको भी जानकारी होगी कि उनमें अधिकतर सदस्य वही हैं जो हरिजन नहीं हैं। केवल दो-दो, तीन-तीन सदस्य हरिजन हैं। आपकी लिखी रिपोर्ट हैं, आप सिफारिश करते हैं, आप जानते हैं, आप उसको मानते नहीं हैं, अमल नहीं करते।

आपने बजट की बात सदन के सन्मुख कही। मैं कहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां १,७८ करोड़ रुपये का बजट है वहां हरिजन कल्याण के लिये २३ करोड़ रुपये का बजट रक्खा गया है। दो तिहाई आबादी का कल्याण आप २३ करोड़ से ही करना चाहते हैं। यह मजाक आप क्यों बनाना चाहते हैं? बजट की बढ़ोत्तरी या तो आवश्यकताओं के आधार पर, या जन संख्या के आधार पर करें अगर नहीं करना चाहते हैं तो केवल वह स्कीम चलायें जिस स्कीम पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं।

आज, मान्यवर, हजारों संस्थायें हरिजन और समाज कल्याण की विभाग द्वारा चल रही हैं। उन संस्थाओं में कहां कहां गड़बड़ है, उसके देखने के लिये कोई समाजिक कल्याण की एजेन्सी नियुक्त नहीं की गई है। आम तौर पर यह होता है कि उसके मैनेजिंग कमेटी के रूप में कोई समिति रहती है। आश्रम टाइप स्कूल ले लिये जायं। इनक लिये कोई समिति नहीं है। इस पर केवल सरकारी नियंत्रण है। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी प्रकार से छात्रावास और स्कूल है। उनकी मैनेजिंग कमेटियों का निर्माण नहीं हुआ है। जो मैनेजर बीस साल पहले था वही मैनेजर आज है। उसमें किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मेरा निवेदन कि महिलाओं की संस्थायें या बालसदन या आरक्षण गृह या आब्जर्वेशन होम्स जो हैं उनके लिये मेरा निवेदन है कि जो सामाजिक कार्य-कर्त्ता हैं या जिले के अधिकारी हैं उनके नियंत्रण में समितियां नियुक्त करें ताकि कहीं न कहीं बाहरी कन्ट्रोल रहे। जो पैसा आप देते हैं वह जनता का पैसा होता है। इसलिये जनता को जानने का अधिकार होता है कि अमुक अमुक संस्था पर जो पैसा खर्च किया गया है उससे लाभ हुआ है या नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की संस्थायें हैं उन पर ध्यान देना चाहिये।

कहीं-कहीं अगर जमीन के बारे में झगड़ा होता है तो हम उसे नक्सलाईट की परिभाषा देकर समाप्त करना चाहते हैं। जो नक्सलाईट कह कर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उसको समझना चाहिये। रोज आप बयान देते हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने दसियों बयान दिये होंगे कि हरिजनों को बसाने के लिये इतनी लाख एकड़ जमीन का बंटवारा करेंगे। क्या आपने इस बात को देखा है कि ब्यान देने के बाद में कोई लीगल मैजर्स अख्तियार किये हैं। कानून में डिफेक्ट है। आपकी परिभाषा इतनी खराब है कि उसके मुताबिक हरिजनों को जमीन नहीं मिल सकती। उसके अलाटमेन्ट करने का अधिकार आज तक जो ग्राम समाज की भूमि प्रबन्धक

[श्री राम सिंह]

समिति है उसको दे रक्खा है। परिभाषा भूमिहीन की कर रक्खी है कि जिसके पास पांच सौ बीघा जमीन है, लड़के के नाम कोई जमीन नहीं है, वह भूमिहीन है। जो प्रभावशाली आदमी हैं वह उसका दुरुपयोग करते हैं। वे इन जमीनों को नातेदारों और रिश्तेदारों को देते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कई एक शिकायती पत्र भी भेजे हैं। इस तरह की अव्यावहारिक बातों के रहने से कोई लाभ नहीं होता। आप बयानात देकर इन समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। प्रधान करते क्या हैं? एक ही जमीन को अलाट दो आदमियों को कर दिया। दोनों में झगड़ा हुआ। उनको नक्सलाईट कह दिया आपने। समस्या घरेलू और कृषि के काम करने वालों की है और आप कहते हैं कि नक्सलाईट की समस्या है। तो नैक्सालाईट का नाम लेकर उस बात को समाप्त नहीं कर देना चाहिये। हरिजनों के लिये एक बहुत बड़ी समस्या आबादी की है। उनके रहने तक के लिये उनके पास जमीन नहीं है। सरकार को सस्ते दामों पर उनके रहने के लिये जमीन एलाट करना चाहिये।

एक बात रिजर्वेशन के बारे में और निवेदन करूंगा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो रिजर्वेशन हमने रखा है वह पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं यह चाहता हूं सरकार यह घोषणा करे कि आइन्दा सर्विसेज में उस समय तक केवल हरिजन ही लिये जायेंगे जब तक कि उनका कोटा पूरा नहीं हो जाता। आप कहेंगे कि यह संविधान के खिलाफ हो जायगा, मगर मैं कहूंगा कि आपने मान्टेसरी स्कूलों की जो व्यवस्था की है, ट्यूशन की जो व्यवस्था की है, उसमें आज हरिजन कैसे शिक्षा पा सकता है? आज होता क्या है? एक जमींदार का ही लड़का आफिसर होता है, वही नौकर होता है और काश्तकारी का काम चरवाहे, हलवाहे और नौकर आदि करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग साधन सम्पन्न हैं उनको नौकरी नहीं मिलना चाहिये, जिनके पास रोटी का कोई साधन नहीं है उनको नौकरी में लिया जाना चाहिये।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने यह मांग की है। मैं माननीया विद्यावती राठौर पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मगर मेरी यह निश्चित राय है कि वे इस विभाग में कुछ कार्य नहीं कर सकतीं। मैं उनकी नीयत पर आक्षेप नहीं करता, मगर उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वे कुछ काम इस विभाग में कर सकें। माननीय कन्हैयालाल जो उनकी ही पार्टी के हैं उन्होंने भी यह बात कही है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके हमारे ऊपर रहम करें, माननीय मुख्य मंत्री से कह दें कि उनको कोई दूसरा विभाग दे दिया जाय। आपका तो आयु के अनुसार दूसरा स्थान है, दूसरा कोई भी विभाग आपको दिया जा सकता है। आपके रहते, मेरा विश्वास है, इस विभाग में कोई सुधार नहीं हो सकता क्योंकि इस विभाग की आपको जानकारी बहुत कम है। आखिर इस मंत्रिमंडल में ७ मंत्री हरिजन जाति के हैं, उनमें से किसी को भी यह विभाग दिया जा सकता है। इस विभाग को आप से छुटकारा मिले ताकि हम कोई काम करा सकें।

*समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के संबंध में अपने सुझाव दिये तथा सही आलोचनायें कीं। उनके भाषणों से ही विदित हुआ कि हमारे प्रदेश के लोगों की भावनायें क्या हैं और जब भावनाओं की स्थिति की सही जानकारी हो जाती है तभी कुछ कार्य करना सम्भव होता है और उसमें सफलता मिलती है। देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार जब कार्य किया जाता है तभी उसमें सफलता मिलती है, देश और प्रदेश का उत्थान होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो बातें यहां माननीय सदस्यों ने कहीं हैं उन सब के ऊपर डिप्टी मिनिस्टर माननीय गुलाब सिंह जी प्रकाश डाल चुके हैं। मुझे संक्षेप में आप लोगों से इतना कहना है कि अभी राम सिंह जी ने कहा कि मैं हरिजन विभाग अस्वीकार कर दूं, मैं उनसे बतला देना चाहती हूं कि मैंने बहुत पहले ही जब कि आपने पहली बार इस बात को कहा था मैंने मुख्य मंत्री जी को लिख कर भेज दिया है कि वह यह विभाग मुझ से लेकर किसी दूसरे हरिजन मंत्री के सुपुर्द कर दें। लेकिन मैं साफ यह बात आप से कहना चाहती हूं कि जैसा आपका विचार है वह विचार गलत है।

सन् २८ से लेकर चौबीसों घंटे मैंने गांव गांव जाकर, घूम कर हरिजनों, पीड़ितों, दलितों दुखियों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया है और यथाशक्ति उनका निराकरण करने को भी तैयार रही हूं। मेरा यह सिद्धान्त है कि जो अनाचार, अत्याचार, अन्याय व दुर्बलताओं आदि को सहन करता है, वह उस अत्याचार करने वाले से ज्यादा पापी है। मैं इस बात को मानती हूं कि अत्याचार व अनाचार का मुकाबला करने के लिये मनुष्य को अपना सर्वस्व गंवा देना चाहिये।

मैं आपके सामने एक समस्या, जो कल कनौजिया साहब ने उपस्थित की थी, स्पष्ट करना चाहती हूं। उस घटना के संबंध में सच्चाई आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहती हूं। मैंने आर्य नगर में जाकर कृष्णा नामक लड़की के बारे में वास्तविकता मालूम करने का प्रयास किया है। मैंने वहां पर जाकर काफी जांच की है और जो वास्तविकता मालूम हुई है वह आपके सामने रखना चाहती हूं। वह लड़की चार मार्च को ७—८ बजे के करीब कुछ लोगों द्वारा बाहर बुलाई गई। बाहर आने के बाद, लौट कर उसने अपने लेडी सुपरिन्टेंडेंट को यह बतलाया कि मेरा भाई बीमार है, जो कि यहीं किसी स्कूल में पढ़ता है। एक अन्य लड़की जो उसके साथ गई थी यह कह कर लौट गई कि वह साथ नहीं जाना चाहती है, किन्तु कृष्णा नामक लड़की समझाने पर भी बार बार इस बात पर इंसिस्ट करती रही कि मुझे बाहर जाना है, मेरा भाई बीमार है। मैं रुक नहीं सकती, जाऊंगी। फिर उसको इजाजत दे दी गई। उस वक्त ७—८ बजे थे। आया ने कुछ कहा सुनी की, लेकिन वह नहीं मानी। वह जगह काफी निर्जन स्थान है। अन्ततोगत्वा वह लड़की गई थी, गृहमाता ने इसकी रिपोर्ट भी की और उस लड़की की खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

दूसरे दिन वह करीब ८ बजे आई थी और वापस आने पर उसने यही कहा कि व अपने भाई के पास गई थी जो बीमार था। इसके उपरान्त वह लड़की अन्दर रह गई और वहीं रहने लगी। अब पता नहीं दूसरे दिन उसने क्यों अपने कपड़ों में आग लगा ली। जैसा कि वक्ता ने कहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ और उसने लज्जा-शर्म के कारण आग लगा ली, तो ऐसी बात सही नहीं मालूम पड़ती है। यदि ऐसी बात होती तो वह जहां १४—१८ घंटे रही वहां से सही सलामत लौट कर कैसे आई तथा उसने वापस आने पर किसी से कोई इस प्रकार की बात नहीं कही कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। इसको आप सोचें कि क्या कारण था। उस लड़की से हर तरह से पूछा गया कि तुम कहां रहीं, तुम्हें कहां ले गये थे, लेकिन उसने वही जबाव दिया। आप स्वयं सोच लें इस घटना के अन्दर क्या है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इतना होने पर भी वहां के सारे कर्मचारियों को, जमादार चौबे को बिलकुल नौकरी से निकाल दिया गया है और सारे कर्मचारी वहां से हटा दिये गये हैं। वहां जो दुर्व्यवस्था थी उसके विषय में जानकारी करके सारी चीजें दूर कर दी गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,१०,०१,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४५,८८,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय तथा अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

सूचना मंत्री (श्री गेंदा सिंह)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २९,१५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर विवाद नहीं होगा ।

श्री गेंदा सिंह—

लेकिन पेश कर देता हूं । अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को....

श्री उपाध्यक्ष—

आप रुक जायं । इस पर आपकी सहमति है कि विवाद नहीं होगा । उसके बाद रख देना होगा ।

श्री गेंदा सिंह—

इसे पेश कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में पेश होगा ।

श्री गेंदा सिंह---

. . . . चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,६७,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, इस प्रश्न पर माननीय सदस्यों को सुनने के बाद जो सरकार की तरफ से बात कहनी होगी वह कह दी जायगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

उपाध्यक्ष जी, एक सूचना चाहता हूं । माननीय सूचना मंत्री बिना सदन को आवश्यक बातों की सूचना दिये हुये बैठ गये हैं । एक आवश्यक सूचना जानना चाहता हूं क्योंकि सारा विवाद उस पर निर्भर करेगा । क्या यह सही है कि माननीय सूचना मंत्री की सरकार ने, चाहे स्वयं उन्होंने इस कार्य को किया हो या नहीं, जिसमें वह मंत्री हैं, क्या इस सरकार ने दो महत्वपूर्ण समाचार पत्रों टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के विज्ञापन को रोक दिया है ?

श्री गेंदा सिंह---

मैं श्रीमन्, इसका उत्तर उसी समय देने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

व्यवस्था का प्रश्न है । आप व्यवस्था दें । हमने एक सूचना चाही । आपने इजाजत दे दी । क्या मंत्रिपरिषद् को अधिकार है कि सदन द्वारा पूरे बजट पर विवाद करवा लें, और एक आवश्यक सूचना जिसकी जानकारी है उसको सदन से छिपाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अनरियल विवाद हो । मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप आदेश दें, सदन को सूचित करें, कि क्या उनकी सरकार ने टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के विज्ञापन को बन्द किया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह सूचना नहीं देते हैं तो. . . . .

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

मैं भी उस पर व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब पहले से एक व्यवस्था का सवाल उठा हुआ हो तो व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता ।

श्री त्रिवेणी---

जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उस पर माननीय सदस्य व्यवस्था का सवाल उठा सकते थे लेकिन किसी अखबार के बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता था ।

श्री उपाध्यक्ष---

विज्ञापन पर काफी चर्चा सदन में चली है । वह कोई छिपी बात नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस पर बहस नहीं हुई । यह परिपाटी चली आ रही है कि जो मंत्री अपना बजट पेश करता है वह उस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करता है, पूरी व्याख्या करता है । सूचना विभाग का अनुदान पेश किया गया है तो मंत्री जी को उसका प्रारूप यहां पेश करना चाहिये तभी हम उस पर बहस कर सकेंगे, केवल बजट साहित्य ही काफी नहीं है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है तो यदाकदा यहां पर यह हो रहा है कि सरकारी पक्ष से केवल बजट पेश कर दिया जाता है और उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता। पहले भी सन ५२ से लेकर सन ५७ तक यह परम्परा रही है और ऐसे अवसर आये हैं जब सरकारी पक्ष की ओर से शुरू में कोई बात नहीं कही गयी, समय को बचाने के लिये और केवल अनुदान पेश कर दिया गया और सभी माननीय सदस्यों, के सुझाव के बाद अन्त में उनका समाधान किया गया। लिहाजा यह कोई नई परम्परा नहीं है, पहले से चली आ रही है। मेरा सम्मानित सदस्य से अनुरोध है कि उनको इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से आज तक सब बातों को इस सदन में सुन रहा हूं। कृषि मंत्री जी यह कह रहे थे अध्यक्ष जी से कि जब विरोधी पक्ष के लोग कोई सवाल उठाते हैं तो उनको स्पष्टीकरण का मौका नहीं मिलता है और अब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी कह रहे हैं कि यह परम्परा रही है कि कोई मंत्री शुरू में अपना बजट प्रस्तुत कर देता है और ५२ से यह परम्परा चली आ रही है और बाद में मंत्री उत्तर देता है। लेकिन यह भी परम्परा रही है कि कोई शंका या जानकारी किसी सदस्य को करनी हो और ऐसे विषय के बारे में जो इस सदन में चर्चा का विषय रहा हो तो मंत्री जी उसकी सूचना अथवा जानकारी सदन को उसी समय दे देते हैं लेकिन इस समय मंत्री जी उस सूचना के देने में उपेक्षा बरत रहे हैं।

दूसरे, मुख्य मंत्रीजी यह कह रहे थे कि उन्हें मजबूर किया जाता है तो यह मजबूरी का सवाल नहीं है। अगर सरकार के लोगों को एक तरफ से मजबूर किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होता जा रहा है। सूचना अथवा जानकारी सूचना मंत्रीजी को देनी है तो भाषण के पहले भी दे सकते हैं और भाषण के बाद भी। किसी समय भी सवाल उठ सकता है और मैं समझता हूं कि यह एक छोटा सा सवाल है और इस सदन में बार बार उठाया जा चुका है कि दो समाचार पत्रों को सरकार ने विज्ञापन देना बन्द कर दिया है, इसकी जानकारी मंत्रीजी को है तो वह उसे भाषणों के बाद ही क्यों, पहले ही दे दें। अगर मजबूरी है तो कह दें कि जानकारी नहीं है। कम से कम आप यह कहला दें कि उनको जानकारी नहीं है लेकिन मंत्रीजी को जानकारी है और वह जानकारी देना नहीं चाहते। सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा जाहिर हो जाती है। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जानकारी के प्रश्न अगर कोई माननीय सदस्य देते हैं और वह किसी मंत्री या विभाग से सम्बन्धित हो तो उस पर वे जानकारी देंगे या नहीं देंगे? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, जब इस पर विचार हो चुका है तो बार-बार व्यवस्था का सवाल नहीं उठता है।

श्री गेंदासिंह—

मान्यवर, जो माननीय कृष्णानन्द राय जी ने बड़ी उत्सुकता से सवाल उठाया है वह उठाना ही चाहिये था लेकिन जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। कटौती के प्रस्ताव में माननीय कृष्णा नन्द राय जी के नेता की तरफ से प्रस्ताव आये हैं परन्तु इतने आवश्यक विषय की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। जिन बातों का कटौती के प्रस्ताव में जिक्र आया है मैं उन बातों को समझ कर आया हूं और उनका उत्तर देना है। अभी माननीय कृष्णा नन्द जी राय उस वक्त उठेंगे और उस पर बोलेंगे तो निश्चित ही सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण दे दिया जायगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक और बहुत सी बातों को कहने का सम्बन्ध है उसमें बहस की जा सकती है। लेकिन इसके लिये सूचना विभाग की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जा चुकी है जो कि सभी माननीय सदस्यों की सेवा में भेज दी गई है। इसके देखने से मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को मौका मिल सकेगा और समुचित उत्तर सरकार की तरफ से दिया जा सकेगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो भी बातें उस सम्बन्ध में उठाई जायेंगी, आप विश्वास कीजिये उसका सरकार की तरफ से उत्तर दिया जायेगा। मान लीजिये बहस में उन्होंने यह सवाल उठाया कि २ समाचार पत्रों में विज्ञापन बन्द कर दिया है तो वे इसे ही मानकर बहस करें और उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने कहा था कि जो नीति वाली बात है उसे पहले कहना चाहिये था। अब सवाल है जानकारी और स्पष्टीकरण का तो किसी भी स्टेज पर मैं किसी को टोकता नहीं हूं। यदि माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण कर सकते हैं तो किसी स्टेज पर, जैसा कि माननीय विकल जी ने और अन्य बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनको वंचित किया जा सकता है तो यह बात सही नहीं है। इस परिस्थिति में जब प्रश्न आपने कटौती के प्रस्ताव में नहीं रखा तो मैं यही उत्तर देने वाला था किन्तु त्रिवेणी सहाय जी खड़े हो गये। यह अगर इतना महत्व का था तो विरोध पक्ष और माननीय विकल जी को यह कहना चाहिये था और इसको कटौती के प्रस्ताव में जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिये था। अब जो प्रश्न हैं उसमें आप अपने भाषण में इसके बारे में हर तरह से चर्चा करेंगे और अन्त में मंत्री जी चर्चा करेंगे।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सूचना मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या २८ सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसमें अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है कि सूचना विभाग किसी भी जनतंत्रीय सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है और हम सब लोग चाहे सरकारी पक्ष में हों या विरोध पक्ष में बैठे हों, जो जन तंत्रीय पद्धति को अपनाये हुये हैं और इस पद्धति पर विश्वास करते हैं, वे सूचना विभाग की आवश्यकता को समझते होंगे।

श्रीमन्, सन ४७ से, जब से देश आजाद हुआ, सन् ६७ तक सूचना विभाग का जो आकार था आज उस आकार में बहुत परिवर्तन हो गया है। हम सब लोग यह अच्छी तरह से समझते हैं कि जनतंत्रीय सरकारों के अन्तर्गत सूचना विभाग द्वारा सरकार द्वारा किये गये कार्यकलापों को जनता तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। सन् ४७ से ६७ तक यह सूचना विभाग किसी न किसी रूप में जिलों से लेकर इस मुख्यालय तक बना रहा। और यह बात भी सही है कि बहुत कुछ खराबियां इस विभाग में थीं और इसका जो तौर-तरीका और रख-रखाव ऊपर से चलता था, उसमें भी थीं। अफसरशाही जो यहां से चलती थी उसके कारण जिले के सूचना कार्यालय ठीक तरह से काम नहीं कर पाये। हम सब लोग जनतंत्र के हामी हैं और सब लोग जनतंत्रीय समाजवाद का नारा लगाने वाले हैं।

सूचना मंत्री जी जो हमारे आज हैं वे आजादी की लड़ाई के महारथियों में रह चुके हैं और एक बड़े समाजवादी दल के विरोधी पक्ष के नेता भी रहे हैं। हम उनसे बड़ी बड़ी उम्मीद करते थे। और अब भी उम्मीद करते हैं लेकिन जैसी उम्मीद उनसे की जाती थी कि सूचना मंत्रालय का जो इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जायगा, वह आधार भूत सिद्धान्तों के रूप में हमें एक नया रास्ता दिखायेगा और एक नयी परिपाटी उत्तर प्रदेश के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और उससे हमारी जनतंत्रीय प्रणाली कुछ और सशक्त हो सकेगी। किन्तु उन्होंने सन् ६७ की भांति ही सूचना मंत्रालय का घिसापिटा बजट प्रस्तुत कर दिया जब कि जिला के सूचना केन्द्रों को बिलकुल समाप्त कर दिया गया था।

[श्री डूंगरसिंह बिष्ट]

सन् ६७ में जब संविद की सरकार बनी थी, उस समय की सरकार और उसके मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह के दिमाग में एक बात आयी कि जिले के तमाम सूचना कार्यालयों में कांग्रेसी लोग भरे हुये हैं। जिस प्रकार जिला परिषदों के बारे में चौधरी जी की यह धारणा हो गयी कि उनमें अधिकांश कांग्रेसी लोग हैं, और उनको भंग कर दिया गया, क्योंकि वे समझते थे कि वर्तमान जिला परिषदों के रहते हमारा तानाशाही पंजा वहां न जम पायेगा। इसी तरह से सूचना कार्यालय और सूचना अधिकारियों को भी यही मान कर ६७ में समाप्त कर दिया गया। सन ६६ में विरोधी पक्ष के लोगों की इस मंत्रालय के बारे में जो धारणा थी, वह ६७ में सरकार में आने के बाद, सूचना कार्यालयों और सूचना अधिकारियों को खत्म करके कार्यान्वित की गयी जो लोग अपने को जनतंत्रीय पद्धति को चलाने वाला मानते हैं, उन लोगों ने इस सूचना विभाग को ऐसा निष्क्रिय कर दिया कि उसका कुछ उपयोग ही न रहा। भला ऐसे लोगों से क्या आशा की जा सकती है कि वे जनतंत्रीय पद्धति को आगे बढ़ायेंगे। जिस प्रकार सन ६७ में किया सूचना अधिकारी और जिला सूचना कार्यालय बन्द किये थे फिर चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनने पर यह आशंका बनी हुई थी कि प्रधान कार्यालय का सूचना कार्यालय भी शायद सरकार बन्द कर दें किन्तु गनीमत रही कि वह इस समय बन्द नहीं किया। हमें आशा थी कि वे इस देश में जनतंत्र पद्धति को मजबूत करेंगे और समाजवाद को इस देश में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि आज चौधरी चरणसिंह की सरकार कोई भी काम कर रही है, कोई भी विधेयक बना रही है, चाहे वह काश्तकारों के लिये बना रही हो, चाहे स्वास्थ्य के लिये बना रही हो वह कौन सा माध्यम है जिसके जरिये जन-जन तक उसको पहुंचायेंगे। जो सूचना विभाग में पैम्पलैट वगैरह छपते हैं और हजारों की संख्या में छपते हैं, पुस्तिकायें छपती हैं, उनको यहां से सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह तमाम लोगों में बांट दें।

जब जिलों में सूचना अधिकारी और उसके साथ सिनेमा आपरेटर और जीप वगैरह यह तमाम साधन होते थे तब शत प्रतिशत यह आशा नहीं की जा सकती थी कि सरकार का बनाया हुआ तमाम साहित्य जनता तक पहुंच सकेगा तो आज हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यह सरकार जो कुछ कर रही है, जनता की भलाई के लिये जो कार्य कर रही है वह सारी जनता तक पहुंच जायेगा? और अगर वह चीजें जनता तक नहीं पहुंचेंगी तो इसके माने यह होंगे कि जनता को सरकार के बारे में कोई खबर नहीं रहेगी और जनता समझेगी कि सरकार हमारे लिये कोई कार्य नहीं कर रही है।

मैंने १९६७ का चौधरी साहब का जो भाषण पढ़ा था उसमें यह साफ था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुछ साधन और जुटाने के लिये सूचना विभाग में कटौती की जाती है और इस कटौती से हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये कुछ ज्यादा संसाधन जुटायेंगे। इसलिये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिलों में जो सूचना अधिकारी और उसके अन्तर्गत जो कार्यालय और तमाम चीजें थीं वह सब बन्द कर दिये गये किन्तु जो मुख्यालय हैं उसमें कर्मचारियों की इतनी संख्या है, असिस्टेंट डाइरेक्टर्स की संख्या बढ़ गयी है और आई० ए० एस० रैंक के डायरेक्टर रखे गये हैं, तमाम सूचना अधिकारी और पत्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के रेडियो इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और तमाम प्रकार के कर्मचारी हैं, तो कटौती तो इसलिये की गयी है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन जुटाये जायेंगे फिर यह इतनी बड़ी फौज यहां क्यों रखी गयी?

सभी लोग कहते हैं कि इस देश में प्रजातंत्रीय पद्धति और समाजवादी पद्धति को पनपाया जाय लेकिन आप उस पद्धति को ही जिसके द्वारा समाजवाद और प्रजातंत्र का प्रचार जिला सूचना विभाग वाले कर सकते हैं प्रदेश के गांव-गांव में, उसको तो आप खत्म किये दे रहे है और तमाम बड़े-बड़े अधिकारियों का एक हुजूम सा सूचना विभाग का प्रधान कार्यालय बना दिया जो लखनऊ में ही बैठे रहते है। ये जो ६-७ डिप्टी डायरेक्टर्स है सब लखनऊ में बैठे हुये हैं और जो इंजीनियर, मेकैनिकल इंजीनियर्स हैं वे सब भी यहीं बैठे हैं और लखनऊ में बैठकर सूचना

विभाग से आप समझ लें कि यहां से हवा सारे प्रदेश में फैल जायगी और सूचना विभाग का काम समाप्त हो जायगा, पूरा हो जायगा तो मैं समझता हूं यह गलती होगी। मंत्री जी मेरे सुझाव पर ध्यान दें कि ये जो आपके विभाग के संचालक बैठे हुए हैं उनका एक रीजन बना करके, प्रदेश में ऐसे ६–७ रीजन बन जायं और एक-एक सहायक संचालक को एक-एक रीजन सौंपा जाय ताकि उनके द्वारा सूचना विभाग का काम सरलतापूर्वक हो सके और शीघ्रता से हो सकें।

इसके साथ ही एक पत्र सूचना शाखा खुली हुयी है जो यह पुस्तिका लिखी है उसमें उसका वर्णन दे रखा है। इसका सारा उत्तरदायित्व एक सहायक निदेशक पर है। ऐसे आदमी पर है जो उपनिदेशक है जिनके संबंध में भ्रष्टाचार की बीसियों कहानियां माननीय मंत्री जी ने भी, मैं समझता हूं, अवश्य सुनी होंगी और प्रचलित है और पहले से भी सुनते रहे होंगे। इसी सूचना विभाग द्वारा प्रेस में छापने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की सूची और उनके इतिहास की किताब छापी जा रही है। उचित तो यह होता कि इसके लिए कोई कमेटी बनायी जाती। मुझे नैनीताल जिले की उस सूची को देखने का अवसर मिला और मेरी यह धारणा बनी कि वह सूची इतनी, गलत अशुद्ध और अपर्याप्त है कि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

अगर मुनासिब समझें मंत्री जी और वास्तव में यदि वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक दस्तावेज बनाने की बात सोचते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनका पुनः निरीक्षण करने के लिये फिर जिला कमेटी बैठावें ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में जो नामों की अशुद्धियां हैं और उनके जो बहुत कम नाम आये हैं उन सब नामों को उसमें फिर से जोड़ने की कृपा करें। मैं कम से कम पर्वतीय क्षेत्र के दो जिले––नैनीताल और अल्मोड़े की बात जानता हूं जहां हजारों की संख्या में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है और जो आजादी के बाद से बिलकुल देहातों में पड़े हुए हैं। जिनके बारे में कोई सूचना ही नहीं है, फिर किस तरह से वहां से सूचना संकलित करने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि इसके लिये सरकार कोई सही माध्यम बनावे और उस सिलसिले में सही सूचना अंकित करे और पूरे के पूरे नाम उस सूची में आ जायं तभी आपका काम पूरा हो सकता है और इसमें जो रुपया खर्च करेंगे तभी वह साकार हो सकता है।

श्रीमन्, प्रचार सम्बन्धी बातें पहले भी बहुत कही जा चुकी हैं लेकिन क्षेत्र प्रचार की बात मैं नहीं समझ पाया कि केवल उत्तराखंड के तीन जिलों में क्यों इसकी जरूरत समझी गयी कि वहां जिला सूचना अधिकारी के कार्यालय स्थापित किये जायं जब कि और सब जिलों में जिला सूचना अधिकारी के कार्यालय बन्द पड़े हुए हैं।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सन् ६२ में, जब चीन का हमला इस देश पर हुआ, उस समय की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उस समय जिला सूचना कार्यालय और उसके सूचना अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। चीन के खिलाफ वातावरण बनाने के लिये और देश को जगाने के लिये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में भी––हमारे देश में जो राजनीतिक परिस्थिति आयी है जिसमें तमाम कम्युनिस्ट पार्टी, नक्सलबाड़ी पार्टी, और दूसरी देश द्रोही राजनीतिक संस्थाओं की बात आयी है, उसमें आज जरूरत इस बात की है कि हमारा सूचना विभाग बड़ा सक्षम हो, सक्रिय हो और ऐसा सक्रिय हो जिसमें देश की असली आत्मा, जनतंत्र की आत्मा जन-जन तक हमारे सारे कार्यकलाप ठीक तरीके से पहुंचे और जो पंचमागी हमारे देश में हैं, रूसी और चीनी एजेंट हैं और जो समय-समय पर विषवमन किया करते हैं और दूसरे जितने भी जाति विशेष के संगठन हैं उनके खिलाफ सारी जनता में प्रचार करें। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में इस बात की बड़ी शिकायत की जाती है और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से इसके लिये निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र में

[डूंगरसिंह बिष्ट]

आये दिन यह सुनने को मिलता है कि शिव जी का आसन डोलने लगा है। पहले कहा जाता था कि हिमालय पहाड़ ऐसा है जिससे हमारी उत्तरी सीमा बिलकुल सुरक्षित है किन्तु आज चीन ने और आधुनिक विज्ञान ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि चीन हमारा एक ऐसा पड़ोसी दुश्मन होकर निकला है जो हिमालय की तरफ से हमारे देश में घुस आने की कोशिश कर रहा है।

पिछले दिनों जब मैं सीमावर्ती क्षेत्र में गया तो वहां पर मैं पिथौरागढ़ के जिला सूचना अधिकारी से मिला। उनसे यह शिकायत सुनने को मिली कि हमें केवल एक जीप और सिनेमा दिखाने वाली एक मशीन के अलावा बाकी और कोई भी साधन नहीं है जिससे हम यहां अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जो बिलकुल सीमावर्ती जिले हैं वहां सूचना विभाग के अधिकारी अपने कार्यालय खोलें और आपको एक और सलाह मैं निश्चित रूप से दूंगा कि सीमावर्ती तथा पर्वतीय सभी जिलों में जिला सूचना अधिकारी के अलावा आप तहसीलों पर, सब डिवीजनल हेड क्वार्टर पर एक असिस्टेंट सूचना अधिकारी रखें और सूचना कार्यालय के लिये उन सभी चीजों का निश्चित रूप से प्रबन्ध करें ताकि आपका सूचना कार्यालय वहां सक्षम हो। और सारे काम का अच्छा प्रबन्ध करे। उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहे हैं, देश में जो काम हो रहे हैं और देश के लिये जो बहुत महत्व के हैं, जो कुछ हमें करना है, वहां के नागरिकों में नागरिकता की भावना भरना तथा जनतन्त्र की पद्धति किस तरह से जिन्दा रखना है, इन सब के लिये काम करें। सीमावर्ती इलाके में सक्रिय व सजग होकर काम करना है इसलिये वहां सूचना विभाग सशक्त हो।

अब श्रीमन मैं किसान मेले और प्रदर्शनियों के बारे में कहना चाहता हूं। श्रीमन् किसान मेले और प्रदर्शनियों के लिये बहुत कम धनराशि रखी गई है। श्रीमन् पिछले साल कहा गया था कि ४० किसान मेले और प्रदर्शनियां साल में हुआ करेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसान मेले और प्रदर्शनियां बहुत काम की चीज होती हैं क्योंकि इन का विकास से नाता रहता है। इसलिये मैं इनकी उपयोगिता जानता हूं। इनके लिये मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक धन दें और देहातों में क्षेत्रसमितियों के माध्यम से और गांव सभाओं के माध्यम से अधिक से अधिक करें और इनके लिये अधिक-से-अधिक रुपया देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा जो हुजूम लगा हुआ है मुख्यालय में, उसको बचा कर अगर वह रुपया किसान मेला और प्रदर्शनियों के लिये देंगे तो अधिक भला होगा क्योंकि मेले और प्रदर्शनियां बड़े काम की चीज होती हैं।

अब मैं श्रीमन् जो प्रचार साधन हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो पुस्तिकाएं मुख्यालय से निकलती हैं और जो सूचनायें भेजी जाती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे अधिक से अधिक जिला नियोजन अधिकारी के कार्यालय पर या खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके आगे नहीं पहुंच पाती हैं। आपने इन सूचनाओं को भेजने का काम पंचायतराज अधिकारी को सौंपा है। उसके पास अपना ही काम इतना रहता है कि उससे ही उसको फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो क्या यह संभव है कि वह अपने काम के साथ-साथ सूचना विभाग के काम को भी ठीक से से अंजाम दे। इसलिये मेरा निवेदन है, यदि आप उचित समझें तो जो पुस्तिकायें निकलती हैं वे सीधे गांव सभाओं के प्रधानों को बुक पोस्ट से भेज दी जायें। आप कह सकते हैं कि इसमें रुपया ज्यादा खर्च हो जायेगा। इसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो सामान आप भेजते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वह देहातों में जाये और उससे सारे लोगों को फायदा मिले तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं और इस पर खर्च जरूर होगा, ५० हजार, ४० हजार या २० हजार रुपया जितना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा तो आप मेरी राय मानें।

७२,००० गांव सभायें हैं और ७२,००० बुक पोस्ट भेजने पड़ेंगे। यदि उनके पास पहुंच जायेगा तो प्रधान उसको खुद पढ़ेगा और जितनी पंचायतों की बैठकें एक महीने में होती हैं वे इसको

कम से कम जरूर पढ़ेंगी। आज होता क्या है? श्रीमन्, जो सूचनायें भेजी जाती हैं वे जिला नियोजन अधिकारी या अधिक से अधिक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय तक पहुंच पाती हैं। मैं १० साल तक प्रमुख रहा हूं इसलिये मैं जानता हूं कि क्षेत्र समितियों के पास कोई साधन नहीं होते हैं। यदि ग्राम सेवक के कार्यालय में रखते हैं तो वहीं पड़ी रहती है आखिर ग्राम सेवक भी क्या-क्या करे उसको भी बहुत कार्य हैं। ग्राम सेवकों के सरकिल भी बहुत बड़े हैं। किया यह जाता है कि वह या तो आये गये लोगों को पकड़ा दें या फिर वहीं का वहीं रहता है और फिर हमारे देहातों में कहीं भी इस तरह के वाचनालय नहीं हैं जहां लोग पढ़ सकें आपकी पुस्तकों को। तो माननीय मंत्री जी इस बात को नोट करेंगे कि अगर सीधे गांव सभाओं को भेजने का कोई तरीका निकल सके तो वह सबसे उत्तम होगा।

उसके बाद मैं मान्यवर, फिल्म निर्माण के बारे में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। यद्यपि इसमें १ से ६ तक की फिल्म की बात है किन्तु कौन सी फिल्म बनाई गई? और उसमें क्या संदर्भ था और उस फिल्म से लोगों को क्या फायदा होगा इसमें—पुस्तिका दिखलाई नहीं है। आज जो फिल्म बनाने की बात है यह तो ठीक है 'महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश' 'नींव के पत्थर' लेकिन बढ़िया भाषा लेकर फिल्म बनाने की बात नहीं है आज जरूरत इस बात की है कि इस तरह की फिल्म बनायें जिनसे "चीन की पंचगामी नीतियों के प्रति घृणा, कम्युनिस्ट, रूस और चीन और नक्सलपंथी के प्रति घृणा" पैदा हो इस तरह की चीजें बनाई जायं जो जनता के हृदय में जायं और जनता को आजकल जो हमारे देश और प्रदेश की तथा संसार की जो स्थिति है उससे अवगत कराया जाय। अगर इस तरह की फिल्म आप बनावेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद श्रीमन् फिल्म दिखाने की बात आती है। तीन जिले जो उत्तराखंड के हैं और नैनीताल में चार पांच महीने आपका कार्यालय खुला रहता है लेकिन उत्तर प्रदेश के देहातों में सुदूर देहातों में इसका कोई प्रबन्ध नहीं है। उसके लिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी प्रबन्ध करें ताकि वहां फिल्में दिखाई जा सकें। फिल्म बनाने से दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पहले तमाम जिलों में सनीमा आपरेटर्स वगैरह थे उसी तरह से तमाम जिलों में सनीमा आपरेटिर्स नियुक्त किये जायं और तमाम जिलों में फिल्म भेजी जायं। अगर हो सके तो विकास खंडों में भेजे जाय, नहीं तो कम से कम जिलों में रखे जायं जो तमाम ब्लाकों में जाकर फिल्मों को गांवों में दिखावें। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों की तरफ ध्यान देंगे।

सामूहिक श्रवण योजना के संबंध में मुझे कहना है कि सन् १९६७ में करीब दो हजार रेडियो सेट हमारी पिछली सरकार ने देहातों में दिये थे ७५ रु० और १५० रु० रियासती दर पर। मगर श्रीमन्, इसके बाद एक भी सेट नहीं दिया गया। मुझे पुस्तिका देखने से मालूम हुआ कि इधर कुछ इस दिशा में कार्य किया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह योजना पिछली सरकार ने रखी थी और कुछ हुआ हो या नहीं लेकिन देहात के बन्धुओं को इससे लाभ हुआ था। उससे हमारे उत्तर प्रदेश के समाचार और तमाम सारी बातों की जानकारी देहात के लोगों को हो जाती है। वह प्रदेश और देश की तमाम सारी प्रगति से अवगत हो जाते थे। इसलिये मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने शायद इन रेडियो सेट की रियायती कीमत डेढ़ सौ रखी है मुझे नैनीताल में बताया गया था कि वहां ८, १० पहुंचे हैं। आप अधिक से अधिक दें और इनका दाम ७५ रु० ही रहें और हर गांव सभा में पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा हो कि गांव सभाके केन्द्र पर कमसे कम एक सामुदायिक श्रवणयोजना का सेट पहुंच जाय।

अभी हमारे राय साहब ने माननीय मंत्री जी के अनुदान प्रस्तुत करते समय यह प्रश्न किया कि क्या मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि नव भारत टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया को जो विज्ञापन देना बन्द किया गया है, वह क्यों? माननीय मंत्री जी तो इसका उत्तर देंगे परन्तु मैं एक बात कहूं कि अभी चार पांच दिन पूर्व श्री रियायत हुसैन ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के दैनिक और साप्ताहिक पत्रों को किस तरह से विज्ञापन दिये जाते हैं और उसका क्या आधार है? यह सही तथ्य है कि विज्ञापन देने में निश्चित रूप से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी ने समाचार पत्रों को चेतावनी की कि समाचार पत्रों

[श्री डूंगर सिंह बिष्ट]

को सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिये। इससे तो अच्छा है कि अखबार वालों को कहा जाय कि वह केवल सरकारी दल का ही प्रचार करें।

अखबारों के पन्ने उलट कर देख लीजिये कि जितने अखबार वाले उनके मुंह लगे हैं उन अखबारों में करीब-करीब कहीं पर मुख्य मंत्री जी, कहीं पर नियोजन मंत्री और कहीं पर कृषि मंत्री आदि के भाषण और विज्ञप्तियां हैं और खासकर नेशनल हैरल्ड, नवजीवन आदि चाटुकार समाचार पत्र तो इन मंत्रियों की बातों से भरा पड़ा रहता है। आधे से अधिक अखबारों की चाटुकारी करने की नीति है और आधे समाचार पत्रों को बुतकार करने की नीति है इस प्रकार मंत्रियों की कृपा से समाचार पत्रों में झगड़ा उठ खड़ा होता है। इस प्रकार से कुछ को तो प्रोत्साहित किया जाता है और कुछ को निरुत्साहित। जिन अखबारों को पसन्द किया जाता है उनके विज्ञापन में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हो जाती है वह दूना और तिगुना हो जाता है। अगर सरकार के अनुसार और मंत्री जी के अनुसार विज्ञापन है, उनको अधिक से अधिक समर्थन मिल रहा है और दूसरे स्पष्टवादी अखबारों को इससे बहुत हानि हो रही है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जनतांत्रिक पद्धति है उसमें जो छोटे अखबार हैं, जिलों के अखबार हैं, साप्ताहिक अखबार हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। जो जिलों के छोटे २ अखबार हैं उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा।

मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे यहां बड़े-बड़े अखबार हैं जैसे नेशनल हेराल्ड, नव जीवन, स्वतंत्र भारत आदि उन पर इस सरकार की विशेष कृपा रहती है और छोटों पर नहीं। जिनपर श्रीमती इन्दिरा गांधी का वरदहस्त है या अन्य लोगों का वरदहस्त है। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। श्रीमन्, यह जो विज्ञापन देने की बात है इसमें एक डिप्टी डायरेक्टर सक्षम रहते हैं। उनको भ्रष्टाचार करने का पर्याप्त मौका रहता है। जिस अखबार को चाहते हैं विज्ञापन देते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको नहीं देते। नवभारत टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया का यही हाल हुआ कि सरकार की आलोचना की इसलिये नाराज होकर विज्ञापन मुख्य मंत्री जी के आदेश से बन्द कर दिया। मेरा सुझाव है कि इसकी एक कमेटी बननी चाहिये जिसके सदस्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ के पत्रकार और सम्पादक लोगों में से हों और इस सदन के माननीय सदस्य भी हों। सूचना मंत्री की अध्यक्षता में यह समिति बने जो निष्पक्ष रूप से विज्ञापन देने का निश्चय करे।

मान्यवर, हमारे जो इनफारमेशन डायरेक्टर होते हैं वह आई० ए० एस० होते हैं। सूचना विभाग का काम वह कभी अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होती है, सूचना विभाग की कुछ नहीं होती है। सूचना विभाग का संचालक कोई अच्छा पत्रकारिता का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिये। वह अच्छा काम कर सकेगा। मान्यवर, सूचना विभाग में एक स्वैच्छिक कोष भी होता है। वह डिप्टी डायरेक्टर के अधीन होता है। वह गुप्त कोष होता है। डिप्टी डायरेक्टर अपने ढंग से उसे खर्च कर सकते हैं। सरकार को खुश करने वाले तथा ब्लैक मेल करने वाले समाचार पत्रों को देने की बात करते रहते हैं। वे इस कोष के द्वारा बहुत भ्रष्टाचार करते हैं उसके द्वारा पत्रकारों और सम्पादकों को अपने पास या दूर करते रहते हैं। यह कोष बन्द होना चाहिये और या इसके आवंटन के लिये कमेटी बननी चाहिये। नहीं तो भ्रष्टाचार बना रहेगा।

श्रीमन्, सूचना विभाग के सूचना अधिकारी और पत्रकार भी बीसियों की संख्या में मुख्यालय में रहते हैं और मंत्रियों के साथ यहां से उत्तराखंड, वाराणसी, पिथौरागढ़, देहरादून वगैरह जहां कहीं उनके साथ पीछे-पीछे जाते हैं और सात-आठ-दस दिन के बाद जब लौटते हैं तो बुलेटिन वगैरह प्रेस में भेजते हैं। यह अति पुराना हो जाता है मेरा सुझाव है कि जिन जिलों में हमारे मंत्री जाते हैं वहां पर भी तो सम्पादक मंडल मान्यता प्राप्त होते हैं---माननीय मंत्री जी को प्रेस कान्फ्रेन्स का चस्का लगा ही होता है, पहले ही प्रेस कांफ्रेन्स बुला लेते हैं। मेरा सुझाव है कि

नीति सम्बन्धी तथा अन्य वक्तव्य मंत्री जिलों के समाचार पत्रों को दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री के साथ जो यह सूचना अधिकारी और पत्रकार जाते हैं यह नहीं जाने चाहिये और इनकी यह फौज लखनऊ हेड क्वार्टर पर क्यों रहे ? इन लोगों को जिलों में भेज दिया जाय जैसे उप-संचालकों के लिये मैंने कहा था वैसे इन्हें जिलों में सूचना अधिकारी बनाकर रखा जाय। यह वहां अच्छा काम करेंगे और इससे आपको जिलों में सूचना अधिकारी नये कम रखने पड़ेंगे।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना विभाग का बजट और बढ़ाया जाय और जिला तथा तहसील स्तर पर भी इसे सक्षम बनाया जाय। जनतंत्र में और लोकतंत्र में अगर हम ईमानदारी के साथ और प्रदेश का भला करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हमारा सूचना विभाग इफैक्टिव हो। सूचना विभाग किसी भी प्रजातंत्रीय या अच्छी सरकार और जनता की रीढ़ की हड्डी होता है।

श्री राज बिहारी सिंह (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही डुंगर सिंह जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उनका भी समर्थन करता हूं। मैं सूचना मंत्री जी को कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूं जब कि वह लीडर आफ अपोजीशन थे। उस समय सूचना विभाग का बहुत बड़ा दायरा था। सूचना विभाग में एक डाइरेक्टर होते थे और उसके नीचे पत्रकार होते थे जो पूरा काम देखते थे। अलग-अलग जिलों में, प्रत्येक जिले में, एक सूचना अफसर हुआ करते थे जो प्रत्येक गांव में जाकर प्रचार करते थे। जो बड़े बाजार होते थे उनमें एक सूचना केन्द्र होता था। प्रत्येक बड़े गांव में सूचना विभाग का एक रेडियो होता था और रेडियो की मरम्मत करने के लिये रेडियो इन्सपेक्टर और बहुत मैकेनिक इकट्ठा किये गये थे लेकिन आज मालूम नहीं इस २०, ३० लाख से सूचना विभाग का किस तरह से काम होगा। किसी भी राज्य के लिये सूचना विभाग जरूरी है क्योंकि वह हमारे प्लान को प्रदेश के अन्दर जनता तक फैलाता है।

प्रदेश का सूचना विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। यह सूचना विभाग का ही काम है कि वह सरकार की नीतियों का प्रचार जनता के अन्दर जाकर करे। जनता की जो दिक्कतें हैं, जनता की जो राय है उनको सरकार तक पहुंचावे। इसका एक मात्र साधन सूचना विभाग के अधिकारी होते हैं और सूचना विभाग होता है। लेकिन आज क्या है ? सूचना विभाग में कुछ डिप्टी डाइरेक्टर हैं। और एक डाइरेटर है। कुछ पत्रकार हैं। क्या काम होता है ? भगवान जाने। दो एक काम जरूर होते हैं जिसका जिक्र कृष्णानन्द राय जी ने किया कि अखबार वालों को बुलाकर डांट दिया जाय कि तुम यह सूचना मत छापो।

मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को और उनके विभाग के अधिकारियों को यह बतलाना चाहता हूं कि कुछ अखबार ऐसे इस प्रदेश में हैं जिसका जिक्र कृष्णानन्द राय जी ने भी किया जैसे कि "आज" है। वह ऐसा अखबार है कि जो राष्ट्रीय चेतना में और राष्ट्रीय भावना की ओर कदम उठाने में सबसे पहला अखबार रहा है। उसका निर्भीक रूप से अपने विचार जनता के सामने रखने और प्रचार करने का एकमात्र उद्देश्य सदा से रहा है। अगर उसके सम्वाददाता और उसके सम्पादक को डराया या धमकाया जायगा तो यह सरकार के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। बल्कि यह बात सरकार के विपक्ष में जायगी।

मान्यवर, इस विभाग में कई काम अच्छे भी होते हैं। एक हिन्दी समिति है। उसने बड़े अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। वह काम अब कुछ ढीला पड़ गया है। उसमें अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिये। उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। इस विभाग से एक डायरी प्रकाशित होती थी और पंचाग भी निकलता था। वह डायरी बड़ी उपयोगी होती थी। बहुत से लड़के उस डायरी को पढ़ कर इम्तहान दिया करते थे लेकिन अब आपने

[श्री राज बिहारी सिंह]

उसको बन्द कर दिया है। यह डायरी आपको फिर से चालू करनी चाहिये। कुछ लोगों का और मेरा भी यह विचार रहा कि इस सूचना विभाग को बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित करना चाहिये।

सरकार किस तरह से काम करती है, क्या काम होता है और आप क्या करने वाले हैं इसका माध्यम केवल सूचना विभाग ही है जो जनता तक पहुंच सकता है। जब सरकार २५ तरह के काम करने जा रही है, जब सरकार समाजवाद की बात करती है तो इसको जनता तक कौन पहुंचाये? आपका सम्बन्ध अखबारों से अच्छा होना चाहिये। आपको याद होगा कि आपके यहां एक प्रेस सलाहकार समिति थी। मैंने सुना है कि किसी अखबार का विज्ञापन बन्द कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिये। आपके यहां जो प्रेस सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष भी होंगे, उसके कोई मन्त्री होंगे। सरकार का कर्त्तव्य कि पहले उस प्रेस सलाहकार समिति के अध्यक्ष को आप लिखें कि आपका अखबार है यह खराब काम करता है, वह हमारी नीति के खिलाफ काम कर रहा है। तब बात ठीक हो जाय। अगर यह बात नहीं है तो उनकी गलती है।

इसके बाद जिस बात का डूंगर सिंह जी ने जिक्र किया कि पहले आपके यहां सामूहिक श्रवण केन्द्र था। जो लोग रेडियो खरीद नहीं सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए बड़े-बड़े बाजार में आपके रेडियो को काम करने दिया जाय उनको जो बन्द कर दिया गया है चालू होना चाहिये। आप के विभाग की कार्यवाहियां दूसरे चौथे दिन अखबार में निकलती रहती हैं कि फलां स्टेटमेंट गलत छप गया है और सरकार का यह मंशा नहीं था, इस तरह की चीज विभाग की कमी है। मैं चाहता हूं कि छोटे पत्रकारों के संबंध में आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिये और उन की इज्जत होनी चाहिये।

मैं आप के द्वारा माननीय सूचना मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपके यहां राजनैतिक इतिहास लिखा जा रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का बहुत ऊंचा स्थान है और उन का हम सब आदर करते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोगों और घटनाओं का समावेश नहीं किया गया था जो बहुत ऊंचा स्थान रखते थे और जिन का स्वतंत्रता के आन्दोलन में महान योग रहा है। इस ओर ध्यान भी दिलाया गया और दुर्भाग्यवश संविद सरकार के जमाने में श्री श्याम लाल जी ने मुझे भी उस समिति का सदस्य बना दिया था, तो बहुत सी ऐसी चीजें इस संबंध में ऐसी रही हैं जिन के बारे में आप का विभाग निष्क्रिय रहा है। इन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के विषय में कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई, जो उनके कमरे में गया, जो भी दफ्तर में गया, ऐसे लोगों के नाम जुड़ गये। इस इतिहास से कि जो कभी एक दिन के लिये भी जेल नहीं गये और उनकी लम्बी चौड़ी तारीफ लिख दी गई और ऐसे लोगों के नाम छुट गये जिन के बच्चों को जलती हुई आग पर लटकाया गया और मां बहिनों से पूछा गया कि तुम्हारा पति या तुम्हारा भाई कहां है और उन्होंने अपने संबधियों को जलते हुये देखा और नहीं बताया, परन्तु दुख है कि उन का नाम इन की लिस्ट में नहीं आया। ऐसा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का इतिहास किस काम का? आप पुराने गजेटियर देखें तो कोई भी ऐसा गजेटियर न होगा जिस को देखकर आप जान न सकें कि कौन कसा रहा है। मैं चाहता हूं कि जिन के बलिदान पर हम स्वतंत्र हुए और जिन के त्याग के फलस्वरूप हम आज यहां बैठे हैं उनका यथार्थ इतिहास सम्मान के साथ लिखा जाय।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सूचना विभाग अब बहुत संकुचित होता जा रहा है। अब सूचना विभाग का कार्य हर विभाग में अलग-अलग फैल गया है, कृषि विभाग में, लेबर विभाग में, हर विभाग में अलग-अलग सूचना दी जाती है और वह सब अपने अलग कैलेंडर और डायरी तक छापते हैं। यह नीति स्वयं विभाग के लिये भी और सरकार के लिये भी घातक है। प्रदेश की पूरी तस्वीर इस तरह से अलग-अलग विभागों से सामने आये तो

यह उचित न होगा। जो कुछ भी सूबे में होने वाला है वह सब चीज केवल आप के इस विभाग के द्वारा ही प्रकाशित हो तो अच्छा है।

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पत्रकार बन्धुओं की भी ग्रुप और गोष्ठी अलग-अलग बनी हुयी हैं। विभाग की ओर से सब के साथ समभाव रहना चाहिये। आज कोई अखबार मुखालफत करता है कोई पक्ष में लिखता है, विभाग को समभाव से सब पत्रकारों के साथ व्यवहार करना चाहिये।

सूचना विभाग के संबंध में मेरा मत रहा है, वह आज भी है और मैं उस पर दृढ़ हूं। जब श्री कैलाश प्रकाश जी मिनिस्टर थे तब भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि सूचना विभाग में कुछ ऐसे लोग जरूर रहे जो चाहें कोई भी सरकार हो इधर की हो या उधर की हो उन का विश्वास आप की नीतियों में हो जिन का विश्वास आप के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम पर हो, वही सूचना विभाग के आदमी होंगे तो वह आपकी नीतियों का विरोध नहीं करेंगे। बहुत से लोग विभाग में रहकर भी आपकी नीतियों का विरोध करते है। मेरा अनुभव है कि बहुत से साथी जो उस समय जेल में थे लेकिन उस वक्त जो देश की नीतियों पर और स्वतंत्रता पर आस्था नहीं रखते थे वे सूचना विभाग में आ गये और कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रचार किया करते थे। उससे काम चलने वाला नहीं है। जिस नीति की जिस कार्यक्रम की सरकार चल रही हो उसी नीति और कार्यक्रम पर विश्वास रखने वाले को ही सूचना विभाग में काम मिलना चाहिये। जितने दिन की गवनमेंट हो उतने दिन के लिये रहें लेकिन उससे फायदा होगा कि जो सरकार होगी वह अपनी विचारधारा की होगी। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सूचना मंत्री से अपील करूंगा कि वे अपने लोगों को स्थान दें, एक विचारधारा वाले लोगों को।

जहां तक डुंगर सिंह जी ने बात कही कि सूचना विभाग किसी पत्रकार को मिलना चाहिये। मैं इससे असहमत हूं। मैं यह मानता हूं कि जो गेंदा सिंह जी आज सूचना मंत्री हैं इनसे अच्छा सूचनामंत्री नहीं हो सकता। गेंदा सिंह जी जब विरोधी नेता थे तो एक चीज थी इनका गन्ना। हर गन्ने का मौसम आये तो दारुलशफा से ये एक रिक्शा में बैठकर चार बड़े बड़े गन्नों को लेकर चाहे पंत जी हों, चाहे सम्पूर्णानन्द जी रहे हों, ये प्रचार किया करते थे कि ये गन्ने हैं इनकी कीमत क्या होनी चाहिये। प्रैक्टिकली इन जैसा सूचना मंत्री हो ही नहीं सकता। मैं इस बात के लिये.....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, गवर्नमेंट ने गन्ना राजमंगल पांडेय को पकड़ा दिया है।

श्री राजबिहारी सिंह—

देवरिया के बाहर नहीं जाने दिया है। आपका जो विभाग है उसमें प्रदर्शनी बड़ी भारी मदद कर रही है। जिले-जिले के हेडक्वार्टर्स पर अब भी प्रदर्शिनियां लगती हैं। लकिन प्रदर्शिनी पर आप पैसा कितना खर्च करते हैं ? मेरी एक छोटे कर्मचारी से मुलाकात हुई। वे सन् ४२ से ४८ तक जेल में थे उन्होंने बताया कि वे १५-२० दिन बनारस, मिर्जापुर, बलिया वगैरह रहते हैं। उधार लेकर खाना खाते हैं, रिक्शे का पसा नहीं मिलता है जबकि बड़े-बड़े अफसरों को सभी सहूलियतें होती हैं। छोटे अधिकारी व कर्मचारी मारे जाते हैं। इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। एक बात और है। मैं आपके द्वारा सदन को सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां शिक्षा विभाग में प्रकाशन का काम होता है जूनियर हाई स्कूल की पुस्तकों का। मेरा सुझाव है कि उसका प्रकाशन हिन्दी समिति द्वारा होना चाहिये। हो यह रहा है कि शिक्षा विभाग की जो किताबें प्रकाशित की जा रही है, जो अच्छे लेखक हैं, विद्वान हैं वे उनको नहीं लिख पा रहे हैं। जो अधिकारी या मित्र हैं वे अपने नाम से किताबों को छपवा

[श्री राजबिहारी सिंह]

देते हैं। जो फिजिक्स का लेक्चरार वह अंग्रेजी की किताब लिखता है। जो कामर्स का है वह किताब लिखता है हिन्दी की। ऐसी चीजें होती हैं।

मैं चाहता हूं कि आप शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री से बात करें। जो प्रकाशन इस तरह हो रहा है वह आप हिन्दी समिति द्वारा हो। हिन्दी समिति को बड़ी महत्वपूर्ण देन रही है। इस प्रदेश के बाहर भी उसका नाम है। बड़ी अच्छी किताबें आयीं हैं। ऊंची कक्षाओं के लिये, ऊंचे डिग्री कालेजों के लिये हमें हिन्दी कोर्स की जरूरत है। आप इतना बड़ा बड़ा दान देते हैं, रुपये देते हैं लेकिन हिन्दी समिति ने कोई भी अच्छी कोर्स पुस्तक नहीं तैयार करवाते हैं। हिन्दी समिति की तरफ भी इस ओर ध्यान दें।

दूसरे मान्यवर, यहां पर एक स्कीम गांव में सिनेमा दिखाने की चालू की गयी थी, वह स्कीम बहुत अच्छी थी। गांव में जो डाकूमेन्टरी फिल्म्स दिखायी जाती थीं उससे बड़ा लाभ होता था। मगर अब वे भी बहुत कम हो गयी हैं, शायद पैसे की कमी के कारण एसा किया गया आजकल यह फिल्में बड़े-बड़े शहरों और कस्बों में दिखाई जाती हैं मेरा निवेदन है कि इनको गांवों में दिखाना चाहिये ताकि उनको अपने प्रदेश और देश की सही बातों की जानकारी प्राप्त हो सके। इन शब्दों के साथ में यह अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर ध्यान देने की कृपा करें तथा अखबारों से विशेषकर अच्छा सम्बन्ध स्थापित करें जिससे इस प्रदेश की मान मर्यादा आगे बढ़ सके।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सूचना मंत्री जी आज कुछ उदासीन दिखायी पड़ रहे हैं। मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है। अभी तक माननीय गेदासिंह जी चीनी के चक्कर में पड़े रहे, मैं चाहता हूं थोड़ा सा रस वे इस विभाग को भी दे दें ताकि इसमें थोड़ा सा सुधार हो सके। इस विभाग में मान्यवर बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या दो अखबारों को विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया है, आपने देखा कि उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी को उत्तर देना चाहिये था कि हां बन्द कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज विज्ञापन देने में अखबारों के साथ भेद भाव क्यों बरता जाता है। मान्यवर, अखबारों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिये उसके लिये कोई आधार होना चाहिये। सर्कूलेशन के आधार पर विज्ञापन दिये जाने चाहिये यह नहीं होना चाहिये कि जिसके २० पत्र ही महीने में निकलते हों उसको तो २६ हजार रुपये दिये जांय और जिनका सर्कूलेशन और मांग हजारों में हों उनको एक दो हजार रुपये ही दे दिये जांय। जिस पत्र को भी विज्ञापन दिये जांय वह किसी आधार पर दिये जांय, वह आधार चाहे जो भी रक्खा जाय। डायरेक्टर महोदय की कृपा पर उसको नहीं छोड़ना चाहिये कि जिसको वे चाहें दे दें, जिसको चाहें बन्द कर दें। चाहे चापलूसी करके देते हों, चाहे नाजायज धन लेकर देते हों, जो कुछ भी हो, यह तरीका बन्द होना चाहिये। अगर आप बन्द भी करते हों तो उसके कारण होने चाहिये। उस पर पूर्ण विचार होना चाहिये।

जो डायरेक्टर महोदय के अधीन विवेकाधीन कोष रहता है वह बन्द होना चाहिये। इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार होता है। मंत्री जी के विवेक पर होना चाहिये, डायरेक्टर महोदय के विवेक पर वह नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, सूचना विभाग जनता और शासन के बीच की कड़ी है। जो भी सरकार की नीति और कार्य होते हैं उसका प्रचार इसी विभाग द्वारा संभव होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार अपने कार्यों के प्रचार के अलावा इसको मंत्री लोग अपने प्रचार का साधन बनायें। उदाहरण के लिये जैसे कृषि है, इसमें किस तरह के बीज बोये जायं, किस तरह की खाद दी जाय, यह सारा प्रचार इसी तंत्र द्वारा हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे नलकूपों के लिये क्या क्या सुविधा जनता को दी जा सकती है, इसका भी प्रचार इसके द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार की और भी बहुत सी चीजें हैं । जैसे कि हमारे हर विभाग द्वारा लाइसेंस दिये जाते हैं, यदि आप उसका भी प्रचार करें कि फलां फलां व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये तो जनता यह समझेगी कि लाइसेंस ठीक दिये जा रहे हैं या गलत दिये जा रहे हैं । यदि आप प्रचार करेंगे कि सिंहानिया व बिड़ला को लाइसेंस दिये गये तो जनता यह समझ सकेगी कि आपकी वास्तव में नीति क्या है और आप किन लोगों का भला करना चाहते हैं । जो काम कर सकते हैं उन्हें लाइसेंस दिये जायें, न कि कुछ लोगों के हाथों में सारे उद्योगों को केंद्रीयकरण कर दिया जाये । अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि आपके यहां से राष्ट्रीय सेनानियों की एक लिस्ट जिलावार बनाई जा रही है, उस लिस्ट में भी बड़ी गड़बड़ी है । इसमें ऐसे लोगों के नाम हैं, जिन्होंने कभी भी तनिक भी राष्ट्रीय हित में काम नहीं किया है, किन्तु उनके नाम नहीं हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर होम कर दिया है । इसलिये उसमें आवश्यक सुधार किया जाये तो बहुत अच्छा होगा । विभाग को फिल्में ऐसी रुचिकर बनानी चाहिये, जिससे जनता में इस प्रकार की भावना पैदा हो कि हमको इन चीजों से बचना चाहिये । फिल्मों द्वारा जनता को नक्सलपंथियों, पाकिस्तानी और चीनी एजेंटों की गतिविधियों का दिग्दर्शन करना चाहिये और उसकी बुराइयों से अवगत करना चाहिये तथा उन्हें इस बात की प्रेरणा दी जाये कि वे उनको गिरफ्तार कराने की कोशिश करें ।

श्रवण यंत्र योजना के अधीन पहले तो कुछ रेडियो सस्ते दामों पर दिये गये थे, किन्तु अब इसको समाप्त कर दिया गया है । यह चीज अब भी बहुत आवश्यक है, इसे पुनः चालू किया जाये । काश्तकारों का हित उनको रेडियो से समझाया जाये । प्रदर्शनियां लगती हैं, उनमें उन चीजों को दर्शाना चाहिये, जिनसे जनता को सुविधा हो सकती है।

हिन्दी समिति के विषय में यह निवेदन करना चहता हूं, जो धन उस पर खर्च किया जा रहा है, वह अपर्याप्त है, उसको बढ़ा देना चाहिये । मैंने कटौती का प्रस्ताव एक रुपये का पेश किया है, लेकिन इस पर धन की अवश्य वृद्धि कर दी जाये । इस पर जो धन खर्च किया जा रहा है वह अपर्याप्त है और बजटों की तुलना में । यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसका काम ठीक प्रकार से चलाने के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता है।

सूचना अधिकारियों को आपने समाप्त कर दिया है और उनके स्थान पर पंचायत अधिकारियों से उनका काम लिया जा रहा है । किन्तु इस तरह से सूचना का कार्य नहीं चल रहा है, क्योंकि पंचायत अधिकारी के पास इतना काम है कि वह इस काम की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दे सकता है। आजकल सूचना अधिकारी मंत्रियों के पीछे पीछे लगे रहते हैं और वे अपना काम बन्द करके उनके प्रचार में लगे रहते हैं । वे मंत्रियों के फोटो और भाषण तैयार करते हैं । यह बन्द होना चाहिये, जो काम सूचना अधिकारी का है, उस पर ध्यान देना चाहिये ।

एक रजा पुस्तकालय है, जो ६०–६१ हजार रुपये की ग्रांट से चलता है उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं । कला और सांस्कृतिक विकास के लिये खर्च करता है । इस पर आप जांच करायें जो रजा पुस्तकालय पर कला और सांस्कृतिक विकास के नाम पर खर्च होता है । पुस्तकालय द्वारा कला का और सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ करता है और हुआ करता है तो न मालूम कितने पुस्तकालय हैं । उत्तर प्रदेश ललित कला और नाट्य भारती को कुछ नहीं दिया है और रजा पुस्तकालय को ६१ हजार रुपया दिया गया है और २०--२२ साल से लगातार दे रहे होंगे । इस पुस्तकालय को इतनी धनराशि देकर अपव्यय हो रहा है इसकी विशेष जांच करके इस धन को समाप्त करें ।

जैसा मैंने पहले कहा यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिये ज्यादा खर्चा चाहिये ग्राम सभाओं को जो सहायता दी जा सकती है, नलकूप, सिंचाई, बीज, खाद में, इसका सारा

[श्री हरिनाथ सिवारी]

प्रचार इसी के द्वारा होना चाहिये । एक और दुख की बात हमें ज्ञात हुई है कि यहां जो साहित्य एक सरकार ने बनाया पचासों हजार का साहित्य है, दूसरी सरकार आयी उसको जला दिया, फिर तीसरी सरकार आयी उसने दूसरी सरकार ने जो साहित्य छपाया उसको जला दिया । अगर वह रद्दी के भाव बेंच दिया जाता तो कुछ न कुछ धन मिलता । इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये । जो कुछ भी पर्चे या पैम्फलेट बनते हैं उनको वेस्ट नहीं होना चाहिये, जनता में बटवा देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मनफूलसिंह (जिला-मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, मैं सूचना विभाग के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके साथ साथ माननीय सूचना मंत्री को इस विभाग के विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

जैसा कुछ वर्षों से मालूम पड़ रहा है यह विभाग शिथिल सा हो गया है। इसके कारण तो कुछ और हो सकते हैं लेकिन मेरी बुद्धि में पिछले वर्षों से इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार बढाया गया है या जो वे स्वार्थ में तल्लीन हो गये हैं, उसके कारण यह शिथिलता की दशा है । इस विभाग का उद्देश्य सरकार की नयी नीतियों से जनता को अवगत कराना और जनता की भावनाओं से सरकार को अवगत कराना है । विभाग का उद्देश्य है जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करना, लेकिन विभाग इसके विपरीत चल रहा है । जब पिछली सरकार थी उन दिनों में जितना भ्रष्टाचार इस विभाग ने किया है उसे देख कर आश्चर्य होता है। दो तीन वर्षों से इस विभाग के अधिकारियों ने २ लाख के करीब ऐडवांस लिया हुआ है और बहाना बनाये हुये हैं फिल्म, नुमाइश और प्रदर्शनी का । इसको आज तक विभाग ने उनसे रिकवर नहीं किया है । इस ओर माननीय मंत्री विशेष रूप से ध्यान देंगे । वह दो तीन वर्ष पहले से लिये हुए ऐडवांस को वापस लेंगे । दूसरी बात यह है कि कुछ अधिकारी चार पांच महीने बम्बई में जा कर बैठ जाते हैं और खर्चे का भार इस विभाग पर पड़ता है। एक मामूली गाने के लिये ७-८ हजार रुपया पे कर देते हैं, जब कि दो तीन साल से इस विभाग की फिल्मों का प्रदर्शन विशेष रूप से सीमित हो गया है । केवल कुछ शहरों तक और वह देहात की जनता जो ८० फीसदी के करीब इस प्रदेश में रहती है उसे सरकार के कार्यकलापों अथवा प्रदर्शनियों का कुछ ज्ञान नहीं हो पाता है।

तीसरी बात यह है कि ५वर्ष पहले सहायक निर्देशक ठाकुर प्रसाद सिंह ने कलकत्ते में कोई प्रदर्शनी की थी और उन्होंने आज तक विभाग को २० हजार रुपये का कोई हिसाब नहीं दिया माननीय मंत्री जी को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिये और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस भावना पर आधारित यह विभाग है, वह खत्म हो जाती है ।

चौथी बात यह है कि दो वर्ष पूर्व इस विभाग में टूटे फूटे पुर्जे तथा रेफरिजरेटर आदि का नीलाम हुआ । ६४ हजार रुपये के माल का नीलाम साढे ३ हजार रुपये में हो गया जब कि केवल रेफरिजरेटर की कीमत साढ़े ३ हजार रुपये थी । इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के के लिये भी सख्त कदम उठाना चाहिये ।

५वीं बात यह है कि विभाग के अधिकारी प्रेस मीटिंग का बहाना लेकर होटलों में बड़ी-बड़ी दावतें उड़ाते हैं और साल भर में खर्चा जिसका ५ हजार रुपये होता है और उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता है और इस प्रकार प्रचार के बहाने अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं । इसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छठी बात है २६ जनवरी की झांकियां और प्रदर्शनी। इन पर ४,५ हजार रुपया खर्च होता है लेकिन १०,१२ हजार खर्च दिखाया जाता है और उसका हिसाब आज तक इस विभाग ने नहीं दिया। सरकार इस पर ध्यान देगी तथा सख्त कार्यवाही करेगी और उन भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त सजा देगी जो इस तरह के भ्रष्ट कामों में तल्लीन हैं।

अभी टाइम्स आफ इंडिया तथा नवभारत दो अख्बारों के लिये बड़ा प्रचार तथा हंगामा किया गया। पिछले साल जो सरकार थी उसका व्यवहार भी अखबारों के साथ सौतेला रहा है। मुजफ्फरनगर में देहात का एक अख्बार जिसका नाम भी "देहात" था और जिसके माध्यम से देहात की जनता को जानकारी प्राप्त होती थी उसे विज्ञापनों से महरूम रखा गया क्योंकि वह बी०के०डी० का अखबार था और देहाती जनता के लिये विशेष रूप से था। टाइम्स आफ इंडिया तथा नवभारत अखबार केवल कुछ शहरों तक ही सीमित हैं और उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार न भी किया गया हो और कोई सूचना माननीय सदस्यों को गलत तरीके से मिली हो तो भी उनके बारे में हाउस में बवडंर मचाया जाता है।

मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो स्थानीय पत्र, जिनका संबंध देहात की जनता से है और जो देहात की जनता के लिये सूचना व जान कारी के माध्यम हैं उन अखबारों को विज्ञापन से महरूम न किया जाय। एक माननीय सदस्य ने "आज" अखबार का जिक्र किया। वह विशेष रूप से शहरों तक सीमित है। और पूर्वी इलाकों तक ही सीमित है। उसमें एक विज्ञापन २० तारीख को निकला और यह महसूस किया कि सरकार का सूचना विभाग सर्विस और नौकरियों का विज्ञापन देकर केवल पूर्वी इलाकों तक ही सीमित रहता है जबकि ऐसे अखबारों से देहातों तक उनकी खबर नहीं पहुंचती है, उन तक ये विज्ञापन नहीं भेजे जाते।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आज सरकार के कार्यकलापों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों के विज्ञापन जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके पास ऐसी जानकारी का कोई जरिया नहीं है, इस प्रकार के विज्ञापन देहातों तक देकर उन्हें जानकारी करावें ताकि देहात के शिक्षित बच्चे नौकरी से महरूम न रह सकें और सरकार में अपना प्रतिनिधित्व पूरा कर सकें। इसके साथ ही साथ मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारा यह सूचना विभाग विकास स्थल पर जाकर सरकार की गतिविधि का बोध कराता है, सुचारुरूप से काय करता है और बड़ा अच्छा काम करता है.....

श्री उपाध्यक्ष——

अब आप अपने समय में भी कटौती करें।

श्री मनफूल सिंह——

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि किसान मेले और प्रदर्शनियों में यह विभाग काफी खर्च कर सकता है तो मैं समझता हूं कि देहात तक इनका कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, यह शहरों तक ही सीमित रहता है और देहाती जनता तक उनका प्रचार नहीं हो पाता है। फलस्वरूप देहात की जनता इस प्रचार और प्रदर्शनियों से महरूम रह जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इन प्रदर्शिनियों को देहातों तक ले जांय ताकि इस विभाग की मंशा पूरी हो सके। अंत में मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जितना भी प्रचार देहातों में कर सकें उतना ही अच्छा हो।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष——

ऐसा है कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने सवाल उठाया था और उसमें उन्हें भी समय देना है। आप ५ मिनट बोल लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९४६-४७ में इस प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनी और उनका जजबा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और उन की जनता की तबियत भी पूरी तौर से भरी नहीं थी तो मान्यवर, उस समय यहां की यानी विधान सभा की जो कार्यवाही थी वह जनता तक पहुंच सके इसके लिये आपके विभाग की तरफ से एक योजना बनाई गई कि बाहर भी माइक्रोफोन के जरिये से यहां की खबरें जनता तक पहुंच जाती थीं। किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया ज्यादा से ज्यादा खबर जनता को इसके द्वारा न दे करके इसमें संकोच और सिकुड़न आ रही है।

इन विधान सभा की कार्यवाहियों को बन्द रखा जाता है और जनता तक वे पहुंच नहीं पाती हैं। यहां की कार्यवाहियों के बारे में अखबारों में जो खबरें जाती हैं उनसे केवल उसका सतांश भाग ही जनता के पास जा पाता है। इससे जनता में अब विधान सभा की कार्यवाही के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है और उसका नतीजा यह होता है कि जो कार्यवाही हम यहां पर करते हैं, जो कानून बनाते हैं उसमें हम जनता की रुचि को नहीं जगा पाये हैं। इस माने में आपका यह विभाग असफल ही रहा है। आज अच्छा विधायक वह नहीं माना जाता है जो कि सदन में अच्छे ढंग से हिस्सा लेता है बल्कि वह विधायक अच्छा माना जाता है जो इस तरह का काम करे कि जो किसी को नौकरी दिलावे, किसी को बन्दूक का लाइसेन्स दिलावे, किसी को कोटा या परमिट दिला दे। यही आज एक अच्छ विधायक की परिभाषा रखी गई है। लेकिन अगर सचमुच यहां की कार्यवाही में दिलचस्पी पैदा की होती तो आज वह तारीफ जो अच्छे विधायक की बन गयी है, वह न बनी होती।

मैं चाहता हूं कि जो व्यवस्था पहले थी उसको रेस्टोर किया जाय। इसके अलावा हजरत महल पार्क या अमीनाबाद पार्क में जहां प्रदेश के बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, लोग यहां की कार्यवाही को सुन सकें। उसका एक अच्छा नतीजा होगा कि यहां पर जो अव्यवस्था होती है, उसमें कमी आ जायगी और हम लोगों को जो चुनने वाले हैं, वह देखेंगे कि यहां पर हम लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इस बात को देखते हुए लोग तैयार हो कर आयेंगे और आंकड़ों और तथ्यों को अधिक प्रस्तुत कर सकेंगे। वह तो किया नहीं, किया उल्टे किस प्रकार से इस विभाग को इस्तेमाल किया गया है वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। इस विभाग को ऐसा समझा गया है मानों सरकार में रहने वालों की व्यक्तिगत संपत्ति हो। किसी मिनिस्टर विशेष की कृपा अकृपा के अनुसार सरकार के खजाने का इस्तेमाल किया गया है।

अभी एक बी० के० डी० के हमारे साथी बोल रहे थे, उनसे मैं अर्ज करूंगा कि वे थोड़ा तथ्यों की ओर भी ध्यान दें। टाइम्स आफ इन्डिया और नवभारत टाइम्स का विज्ञापन बन्द किया गया, वह इसलिये नहीं किया गया कि किसी जिला स्तर या देहातों में जो पाक्षिक मासिक या दैनिक अखबार निकलते हैं उनको लाभ हो। उसका कारण क्या है वह मैं, आप की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं जो हम को खबर मिली है उसके अनुसार और मैंने अपनी कोशिश से जो सूचना इकट्ठा की है उसके आधार पर, उसके अनुसार मैं आप के सामने उन तथ्यों को रखना चाहता हूं। उससे यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि किस प्रकार से अखबार व पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाता है। विभिन्न अखबारों में जो एडवर्टिजमेंट यू० पी० सरकार द्वारा दिया गया है वह निम्न प्रकार है:--

पत्र का नाम	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०
टाइम्स आफ इंडिया	३८६	८९१	३,१९३
स्टेट्समैन	६४६	२७८	अप्राप्त

पत्र का नाम	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०
हिन्दुस्तान टाइम्स	२,०११	९४६	४,४२९
नवभारत टाइम्स	१,६२६	३,०५९	६,२२१
इन्डियन ऐक्सप्रेस	..	९६९	३,७३०
नेशनल हेरल्ड	..	२,६७३	५,४१६
हिन्दी हिन्दुस्तान	३,६७४	३,९६९	७,३४५

इसके साथ ही साथ में एक आरोप भी सरकार पर लगाना चाहता हूं वह यह कि इस प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने विधान परिषद् में जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है:-- "सामयिक समीक्षा में बताया गया कि विभिन्न समाचार-पत्रों के बीच स्वीकृत अनुपात से अधिक विज्ञापन इन पत्रों को मिल गये थे।" अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपका यह उत्तर सत्य से परे है और आपने जो कुछ कहा उस के आधार पर मैं गलत बयानी का चार्ज लगाता हूं। यह आप ने किया क्यों? मुख्य मन्त्री जी को बचाने के लिये। यह मेरा स्पष्ट आरोप है।

मैं आप का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद १९ में वाक् स्वातंत्र्य और व्यक्ति स्वातंत्र्य का हक हर व्यक्ति को दिया है। वाणी की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, इसकी उसने गारंटी की है। अब अगर कोई आदमी माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ कुछ कहता है, उनके निरंकुश शासन के खिलाफ कोई समाचार-पत्र निर्भीकता से लिखता है, और इसलिये उसके विज्ञापन को काट दिया जाता है, तो यह कहां तक उचित होगा? माननीय मुख्य मन्त्री और उनके सभी साथियों ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। उन्होंने जिस संविधान की रक्षा की शपथ ली, उसी को वे इसके द्वारा तोड़ रहे हैं और अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। है क्या मान्यवर? मुख्य मन्त्री जी ने १९६७ में एक बल बदला। उसके बाद इस साल के शुरुआत में भी अपनी सुविधा के अनुसार कभी गुप्ता जी की तरफ करवट बदली, कभी कमलापति जी की तरफ करवट बदली। इसी तरह से २४ फरवरी, १९७० को अमीनाबाद पार्क में अधिकतम जोत की सीमा संबंधी कानून के बारे में उनका बयान आता है। उसी तरह से लगान के बारे में उनका बयान आता है। शकर मिलों के अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण के बारे में उनका एक बयान आता है। लेकिन उनमें से हर विषय पर उनका बयान रोज-ब-रोज बदलता जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है---"फ़ैलटी दाई नेम इज वीमन"। इसका बन जायेगा "फ़ैलटी बाई नेम इज चरण सिंह"। चंचला तेरा नाम ही चरण सिंह है।

श्री उपाध्यक्ष---

फ़ैलटी का अर्थ चंचला नहीं है, फ़ैलटी का अर्थ है कमजोरी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उसका ट्रांसलशन आप ठीक कर देंगे, हमारा ज्ञान कम है। तो जो इस तरह का अस्थिर मन है उसके बारे में क्या-क्या अखबारों में छपा? नेशनल हैराल्ड ने कहा है ---"चरण सिंह चार्मिंग शेमियन लाइक चेंजिबिलिटी"। यानी गिरगिट की तरह से उनका रंग बदलना। स्टेट्समैन ने "फ्लेक्सिबिल कांशन्स" के नाम से अग्रिम लेख लिखा। इसी तरह से एक बहुत बड़े पत्रकार हैं मुलगांवकर, उन्होंने लिखा है: "व्हेवर चरणसिंह हैज ए माइन्ड ऐट आल इज डाउटफुल"। उनका अपना मस्तिष्क है या नहीं, इसमें सन्देह है।

श्री उपाध्यक्ष—

माइन्ड का अर्थ इरादा भी होता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपके बारे में नहीं, मुख्य मन्त्री के बारे में कह रहा हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस तरह से दल बदल होगा, जब इस तरह से वायदों को तोड़ा जायगा और जब कोई आदर्श रह ही नहीं जायगा, शुद्ध अवसरवाद चलेगा तो जो भी पत्रकार या समाचार-पत्र इस पर पर्दा डालेगा वह इस देश या प्रदेश की सेवा नहीं करता है बल्कि वह पत्रकार या समाचार-पत्र सेवा करता है जो निर्भीकता से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, उसी की सजा यह मिले कि टाइम्स आफ इण्डिया और नवभारत टाइम्स उसका विज्ञापन बन्द कर दिया गया तो क्या इस देश में वाणी की स्वतंत्रता रह जायगी? इस तरफ में आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? काला साहब की तरह के निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर अगर दबाव डाला जायगा तो कोई मामूली अखबार हिम्मत ही नहीं करेंगे कि मुख्य मंत्री या उनकी नीतियों के खिलाफ कुछ लिखें, क्योंकि मुख्य मन्त्री अच्छी तरह जानते हैं कि टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स का क्या सर्कुलेशन है और ये कितने समृद्धशाली हैं उनको विज्ञापन देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एक विशेष तरह की जहनियत का परिचय दिया। सूचना विभाग में एक सेल कायम की गयी है।

जब हम लोग मंत्रिपरिषद् में थे तब अखबारों में जो बयान हमारे छपते थे उनकी कटिंग सूचना विभाग हम को भेजा करता था लेकिन अब इस सेल का यह काम है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ कौन अखबार क्या लिख रहा है उसकी जानकारी कराई जाय और जब यह उनके पास पहुंचती है तो मुख्य मन्त्री जी पूछते हैं: अच्छा, इस अखबार को कितना माहवार दिया जाता है? ५०० रुपया। अच्छा, ६ हजार रुपया हम इनको सालाना देते हैं फिर भी इस तरह का समाचार निकाल रहे हैं। बन्द करो इसको विज्ञापन देना। यह है वह दिमाग जो यह फैसला लेता है। लेकिन उसके बरखिलाफ वह क्या करते हैं?

मैं पूरा आरोप लगाना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री राष्ट्रीय एकता को तोड़ रहे हैं। वह अखबार जो हिन्दू मुस्लिम अलगाव को बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो मुसलमानों के बीच में शिया और सुन्नियों में फर्क पैदा कर रहे हैं उन अखबारों से मुख्य मन्त्री जी की साठ-गांठ बढ़ रही है। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप के सर पर केन्द्र का निर्देशन है कि जो अखबार साम्प्रदायिक जहर को फैलाते हैं, जो अलगाव को फैलाते हैं, उनको सरकारी विज्ञापन नहीं मिलने चाहिये, लेकिन इस सरकार ने उन अखबारों से साठ-गांठ शुरू की है जो हिन्दू-मुस्लिम अलगाव को ही नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि मुसलमानों के बीच में भी शिया-सुन्नी के फर्क को पैदा कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ जिलों में किन-किन अखबारों को विज्ञापन मिल रहे हैं? उनको मिल रहे हैं जो जिला स्तर पर पाक्षिक और साप्ताहिक निकालते हैं, उनमें १०० में ९९ ऐसे होते हैं जो अनियमित रूप से निकलते हैं। कोई साप्ताहिक है तो वर्ष भर में न निकल करके १०–२० अंक निकल जाते हैं। जो मासिक अथवा पाक्षिक हैं वह भी अनियमित हैं। वह किस वक्त निकलते हैं? चाहे पुलिस कप्तान हो या जिलाधीश हो उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए वह निकाले जाते हैं और आज आपने कायदा बना दिया है कि जिलाधीश और आप का जो पुलिस कप्तान है उसकी सिफारिश पर आप उनको विज्ञापन देंगे। तो आप कहां ले जाना चाहते हैं इस प्रदेश को? मैं आप से जानना चाहता हूं आखिर हम लोग भी जिलों में रहते हैं, कुछ तजुर्बा हो गया है और यह दावे के साथ कह सकते हैं कि ज्यादातर अखबार सच्ची पत्रकारिता न कर के ये सारी चीजें कर रहे हैं।

इसी के साथ मान्यवर, एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, पत्रकार जो है उसकी अपनी एक परम्परा है, एक आदर्श है उसका, एक उसका कर्त्तव्य होता है। सूचना विभाग के ऊपर भी आपने वही आई० सी० एस० कैटेगरी के अधिकारी बैठा दिये जो उस परम्परा को नहीं जानते। जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज बरदाश्त नहीं करते थे कि हमारा कौमी अखबार नेशनल हैराल्ड निकले। तब कैसे हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है—अंग्रेजी शहंशाहियत और मुतलक-उल-इनानी के खिलाफ—उसका इन आई० सी० एस० वालों को पता नहीं हो सकता।

इसके साथ-साथ में आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो कायर खिलाड़ी होता है वही पेट के नीचे वार करता है। उसी तरह से जो सरकार अखबार के विज्ञापन काटती है वह पेट के नीचे वार करती है, यह कायरता की निशानी है। अंग्रेज ने भी यह काम नहीं किया है। खुद नेशनल हैराल्ड की एग्जाम्पिल मौजूद हैं। जब वह अखबार विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ रहा था तो अंग्रेज विदेशियों ने भी फैसला नहीं लिया इस किस्म का। तो यह भी मुख्यमन्त्री जी के कारनामों में एक और इजाफा हो गया है।

एक बस खरीदी गयी थी यूटिलिटी कार। जो शिल्प और कला का महा-विद्यालय है उसकी छात्राओं को उनके घरों से विद्यालय तक लाने के लिये। ५ साल पहले वह खरीदी गयी और लखनऊ शहर में चलाई जाती थी। ५ साल में उसकी हालत इतनी बिगड़ गयी कि आप खुद यह कह रहे हैं—आप के जो ट्रांस्पोर्ट के अधिकारी हैं वह खुद कहते हैं कि यह काम के लायक नहीं रह गयी है, बल्कि रिजेक्ट कराने के लायक हो गयी है। अब एक मिनी बस उसकी जगह खरीदी जा रही है, तो इस तरह से देख लें कि कहीं उसका नाजायज इस्तेमाल तो नहीं किया गया जिससे ५ साल में ही एक नयी गाड़ी खराब कर दी गयी और उसे बिलकुल कंडम करार दिया गया और एक नयी गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ गयी? यह जो बतलाया गया कि उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि नयी गाड़ी पर भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। इस बजट साहित्य का जो ३रा खंड है उसके एक पन्ने पर तो नयी गाड़ी के लिए १,६०० रु० खर्च दिखलाया गया है और दूसरे पन्ने पर बगल में ही पुरानी गाड़ी के लिये १,५०० रु० खर्च दिखलाया गया है। तो कहां बहुत ज्यादा खर्चा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कमीशन वगैरह लेने की बात हो और नये सामान खरीदने में पैसे का नाजायज इस्तेमाल हो रहा हो। इसलिये आप सारी चीजों की पूरी तरह से जांच करें।

अब मैं दूसरी तरफ आप का ध्यान खींचना चाहता हूं। मान्यवर, यहां पर उत्तर प्रदेश में टेलिविजन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। माफ करेंगे अगर मैं कहूं कि फिर उसके लिये मेरठ ही याद आया। माननीय मुख्य मंत्री खफा हो जाते हैं कि हर चीज में मेरठ के लिये ही कहता हूं लेकिन इसमें लिखा हुआ है मेरठ। तो इस नई चीज के लिये भी यह राजधानी लखनऊ छोड़ कर उन को अपना जिला मेरठ ही याद आया, बुलन्दशहर ही याद आया। माफ करेंगे, आप के लिये तो बतलाया जाता है कि आप गन्ना लेकर वहां तक जाया करते थे। अब आप इस बात को नहीं कर रहे हैं। यह चीज मैं जरूर कहूंगा कि यह सूचना विभाग ऐसा विभाग है जिसके जरिये जनता में ऐसा शऊर पैदा हो जाय कि वह यहां की कार्यवाही में दिलचस्पी ले जिससे जो बदशऊर विधायक हैं वे अच्छे विधायक बनने की कोशिश करें। चूंकि इस विभाग में पैसे का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है और विभागीय फंड द्वारा मनमाने ढंग से जनतंत्र और मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विभाग को खर्च के लिये एक पैसा भी न मिले।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैंने भी कटौती का प्रस्ताव दिया था। इसलिये मुझे भी मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वक्त नहीं है, किसी दूसरे मौके पार आप बोल लेंगे। हर दल के लिये हर ग्रांट पर आधा-आधा घंटे का समय देने में मैं असमर्थ हूं। विकल जी और कृष्णानन्द राय जी ने भी कटौती का प्रस्ताव दिया था लेकिन सबको समय देना सम्भव न होगा। श्री डुंगर सिंह बिष्ट के समय में से ही इनको ५ मिनट समय देने की बात थी। तो वे दो एक मिनट बोल लें।

*श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष जी, सन १९६७ में जब चौधरी चरण सिंह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हुये थे तो इस प्रदेश के जितने जनपद थे, उसमें जितने सूचना कार्यालय थे उनको उन्होंने समाप्त कर दिया और जितने सूचना अधिकारी थे उनको नोटिस देकर हटा दिया था। सन् १९७० में पुच्छल तारेकी तरह से जब वे इस प्रदेश के राजनीतिक आकाश में अवतरित हुये थे तो मुझे आशा थी कि बकिया काम जो रहा गया है, जो लखनऊ मे सूचना कार्यालय रह गया है, मुझे विश्वास था कि इस सूचना विभाग को इस बार वे समाप्त करके अपने कार्य को पूरा कर देंगे। लेकिन श्रीमन् ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि माननीय गेंदा सिंह को मंत्रि-मंडल में रखना कुछ विशेष राजनीतिक कारणों से आवश्यक था तो उन्होंने सोचा कि सूचना एक ऐसा निकम्मा विभाग है जिसको समाप्त न करके उसका चार्ज माननीय गेंदा सिंह को दे देंगे और इस तरह से माननीय गेंदा सिंह जी सूचना विभाग के मंत्री हो गये। माननीय जायसवाल जी चाहे जो कुछ कहें लेकिन मैं तो माननीय चौधरी चरण सिंह जी को इस बात के लिये तारीफ करना चाहता हूं श्रीमन्, कि उनका आतंक काफी लखनऊ में और यहा के राजनीतिक वातावरण में है और यहां शेर भी घास चर रहे हैं।

श्रीमन् माननीय गेंदा सिंह जी हमार प्रदेश की महान समस्यायों से सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं और कृषकों की समस्या, गन्ना उत्पादकों की समस्या और पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की समस्याओं के बारे में चाहे वह इधर बैठे रहे हों या उधर बैठे रहे हों, हम उनके विचार सुनते आये हैं। लेकिन माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने उन समस्याओं को बजाय दूर करने के उनको सौंप दिया कि वह कलाकारों के नाच गाने करावें। श्रीमन् मैं माननीय गेंदासिंह के इस बड़प्पन के लिये जरूर बधाई देना चाहता हूं कि मंत्री होने के बाद जब वह अपने जिले गये तो कुछ समाचार पत्र वालों ने उनसे पूछा कि आपको सूचना विभाग क्यों दिया गया तो उन्होंने कह दिया कि आज तक जितने मुख्य मंत्री हुये हैं और उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारें हुई हैं वह सब जनता के हित के लिये स्थापित हुई हैं। चौधरी साहब के पास जनता के हित के लिये बड़े बड़े काम हैं, और कोई काम हैं नहीं, इसलिये यह विभाग मुझे दिया गया है कि मैं प्रचार करूं। अभी तक यह विभाग किसी साधारण व्यक्ति को सौंपा जाता था, लेकिन मुझे यह इसलिये सौंपा गया है कि जिससे इस विभाग का महत्व बढ़ सके।

जहां तक दो समाचार पत्रों के विज्ञापन रोकने का प्रश्न है, श्रीमन्, आप इस बात के साक्षी हैं कि मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या यह सही है कि आपकी सरकार ने हिन्दुस्तान के दो प्रमुख समाचार पत्र जिनका प्रदेश में लाखों का वितरण होता है उनके विज्ञापन को समाप्त कर दिया है, तो माननीय गेंदा सिंह नें कहा कि इसको देखेंगे तब उत्तर देंगे और उत्तर देंगे जब यह प्रश्न उठाया जायेगा, हालांकि वह जानते थे। इसके भी कारण थे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक दिन अपने कार्यालय में सूचना डाइरेक्टर को बुलाया और पुलिस के जो नये आई० जी० बने हैं उनको भी बुलाया, और भी लोग वहां थे, २,३ एम० एल० ए० थे जिससे हमको पता चला कि मुख्य मंत्रीजी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा कि समाचार पत्र उत्तर प्रदेश में हमारे खिलाफ लिखने लगे हैं और तुम लोग इसको नहीं देखते। तो क्या सोचा सूचना अधिकारियों नें ? उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान के प्रमुख समाचार पत्र टाइम्स आफ इन्डिया और नव भारत टाइम्स में एक आध हेडिंग निकली हैं कि चौधरी चरण सिंह किस प्रकार से अपनी घोषित नीतियों से बदल गये, चौधरी चरण सिंह ने पहले किस तरह से गुप्ता जी से समझौता किया और बाद में कमलापति जी के साथ समझौता कर लिया, तो उन्होंने सोचा कि छोटे मोटे अखबार के विज्ञापन को रोका जायगा तो चौधरी साहब उतनी तारीफ नहीं करेंगे जितनी तारीफ बड़े अखबारों के विज्ञापन को रोकने पर करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बड़े अखबार का विज्ञापन बन्द कर दो।

उनकी नीति क्या है। माननीय नारायण दत्त जी तिवारी आपको बता दूं कि हिटलर, मुसोलिनी और टीटो की जो नीति रही है और जिनका उन्होंने हमेशा ही प्रचार किया है उसी प्रकार से यह भी अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। मैं माननीय गेंदा सिंह जी को बता दूं कि उनके राजनीतिक जीवन में जो कलंक लगाया जा रहा है, जिस विभाग के अध्यक्ष हैं उनको यह चाहिए कि इन फासिस्टवादी नीतियों का वह विरोध करें और उन समाचार पत्रों का जिनका विज्ञापन बन्द किया गया है उसको जारी किया जाय और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनको चाहिये कि वे इस्तीफा दे दें।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उसको करीब करीब सभी लोगों ने माना और उसका समर्थन किया है। मैं इस समय हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ बातें और कह दूं। सूचना विभाग के द्वारा हिन्दी की किताबों को जो प्रकाशन हुआ है उसमें जो किताबें १९६८-६९ में लिखी गयीं वे हैं १७० और उसके बाद १ मार्च, १९७० तक केवल १९ किताबें ही लिखी गई हैं। यह धीमी गति हिन्दी के प्रचार की है जिसको वे कर रहे हैं। हिन्दी की धीमी प्रगति का जो काम सूचना विभाग में चल रहा है उससे यह कहा जा सकता है कि हिन्दी की प्रगति इससे सैकड़ों वर्षों में नहीं होगी मैं आपको बता दूं कि जितने मंत्रिगण हैं वे बिल्कुल ही, कतई ही हिन्दी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। मंत्री गण आज भी अपने आदेश अंग्रेजी में लिखते हैं। सूचना मंत्री जी इसको देखें। प्रान्त भर में जो जोनल केन्द्र स्थापित करने की बात मैंने कही थी कि सब डिप्टी डाइरेक्टर्स क्षेत्रीय उप संचालक की तरह नियुक्त किये। सूचना विभाग लखनऊ से विकेन्द्रीय करण करके तब यह काम ठीक से बन पायेगा जाय। इसके लिये पूरी तरह से चेष्टा की जाय। सूचना कार्यालय में २५० कर्मचारी अस्थायी हैं जिनमें से १५० निम्न स्तर के कर्मचारी हैं जिनमें माली हैं, चपरासी हैं, आदि इन कर्मचारियों को स्थायी होना चाहिये। मैंने देखा है कि जो कर्मचारी १०,१ २ साल से काम कर रहे हैं वे भी अस्थायी हैं। उनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये और उनको स्थायी करना चाहिये। अन्त में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस अनुदान पर अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अनन्तराम जी जायसवाल से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, कि सूचना विभाग की डाली काटने मेंऔर सिर्फ उसका तना भर रहने देने में और जो अपजस इस विभाग को है उसके लिये उनके सिर पर भी इसका भार है और इसकी जिम्मेदारी है।

सन् १९६७ में जब सूचना विभाग संकुचित किया गया था उस समय वे भी संविद सरकार के सदस्य थे और इससे प्रतीत होता है कि उनकी इच्छा कैसी है कि सूचना विभाग को इतना व्यापक बनाना चाहिये जिससे सदन के सदस्य भी भयभीत हों। परन्तु भयभीत करवाने वाली बात को मैं नहीं मानूंगा। मैं तो यह चाहूंगा कि इस सदन के सदस्यों को और भी स्वतंत्रता हो ताकि वे और अधिक स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकें।

[श्री गेंदा सिंह]

एक बात कई तरफ से कही गयी कि सूचना विभाग का मुख्यालय पर ही अधिक ध्यान है। श्रीमन्, यह उसी वक्त ऐसा हो गया था कि जिले के कार्यालयों को बन्द किया गया परन्तु मुख्यालय पर जो लोग काम करते थे या जो लोग बचाये जा सकते थे वह रह गये। मैं समझता हूं कि यह भी गनीमत हुई कि इतने लोग बच गये। मेरा कहना यह है कि आज के पहले की सरकार ने भी सोचा था कि जिले की इकाइयों को फिर से जीवित किया जाय और आज भी इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है किसी स्तर पर कि सूचना के कार्य को व्यापक रूप से जनता तक ले जाने के लिये कोई उपाय ढूंढ़ा जाय। श्रीमन्, विभागीय ढंग से उस पर विचार-विनिमय हो रहा है और मैं समझता हूं कि भविष्य में कोई ऐसी चीज होगी जिससे व्यापक रूप इसका बन सकेगा। आज कोई निश्चित रूप से कहना तो सम्भव नहीं है लेकिन उस भावना की कदर की जायगी और एक ऐसी ठोस शक्ल बन सकती है जिससे जनता से अधिक से अधक सम्पर्क सूचना विभाग का हो सके।

श्रीमन्, कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका उत्तर जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम सम्बन्धी जो सूचना एकत्र करनी थी यह सही है कि वह अधूरी है और उसके लिये यत्न करना चाहिये कि कैसे की जाय। एकत्र करने में कठिनाई भी है क्योंकि बहुत जमाना हुआ, सारी याददाश्त लोगों को नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको इकट्ठा करने में सरकार कोताही करेगी। उसके लिये जिला समितियां बनाने या राज्य स्तर पर समिति बनाने का अब भी विचार है और उसको पुनर्जीवत करके फिर से यत्न किया जाय कि सारी सूचनायें एकत्रित हो सके, यह यत्न किया जा रहा है। श्रीमन्, भाई शान्तिप्रपन्न जी ने यह काम मेरे जिम्मे भी किया था। लेकिन वह काम जरा कठिन है और उस काम को मैं भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूँ माननीय सदन से कि पुरानी याददाश्त से लोग काम लें और सूचना एकत्र करके एक ऐसी पुस्तिका बनायी जाय जिससे कि पुराने लोगों की यादगार मौजूद रहे जो आगे आने वाली पीढ़ी भी देख सके।

श्रीमन्, सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक सतर्क रहने की बात भाई डूंगरसिंह जी ने कही। यह बात बिल्कुल ठीक है और इसीलये उस समय भी जबकि ५४ जिलों में से ५१ जिलों के सूचना कार्यालय बन्द कर दिये गये थे, इस बात की आवश्यकता समझी गयी कि उन तीन जिलों में कार्यालय रखे जायं। तीन ही नहीं बल्कि आठ पर्वतीय जिलों में जो कार्य की प्रगति है उसको देखते हुये हम कह सकते हैं कि सारे राज्य से अधिक वहां कार्य किये जा रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि जो भी उनके सुझाव होंगे वह विभाग और शासन उन पर अच्छी तरह से विचार करेगा। लेकिन ऐसी बात होनी चाहिये कि क्या-क्या करने की आवश्यकता है, कौन-कौन सी चीजें करने से प्रभावकारी ढंग से हम जनता तक पहुंच सकेंगे। ऐसे सुझावों की बड़ी आवश्यकता है।

साहित्य गांव तक नहीं पहुंचता न इसके लिये सलाह दी कि गांव सभा के सभापति तक वह पहुंच जाना चाहिये। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो संगठन है इस संगठन को जीवित करना चाहिये और चाहे वह माननीय सदस्य हों अथवा माननीय मन्त्री हो कम से कम उनका इस बात के लिये ध्यान जाना चाहिये कि ब्लाक लेविल पर जो साहित्य जाता है वह साहित्य वहां पहुंच जाता है या नहीं। अगर इस तरह की ताकीद रखी जाय तो वह साहित्य गांव सभापति तक पहुंच सकता है। गांव सभा के सभापति तक पहुंचना ऐसी बात नहीं है कि जो न की जा सके। मैं समझता हूं ब्लाक के स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्बन्ध गांव सभा के सभापति से है तो उनको इस पर विचार करना चाहिये।

फिल्मों के सम्बन्ध में कुछ कहा गया। मनफूलसिंह जी ने कहा कि उसके लिये कई लाख रुपया निकाल दिया गया था वह वसूल नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं उसकी जानकारी होने पर उसकी पूरी छानबीन की जायगी कि ऐसी रकम कौन सी है जिसको लेकर लोगों ने इन्कार किया है। फिल्मों के सम्बन्ध में पिछले वर्ष जब गान्धी शताब्दि मनाई जा रही थी तो उस समय

अच्छी फिल्म बनाई गईं जिसमें जनता की रुचि रही और कोशिश की गई कि गांधी शताब्दि में कुछ ऐसी फिल्म लोगों को दिखाई जाय जिससे लोगों में उपयोगी विचार उत्पन्न हों। उसमें कुछ का नाम बताया जा सकता है। उनमें भागीरथी फिल्म अच्छी थी। इसी प्रकार की और भी फिल्म बनाई गईं। अनन्तराम जी ने यह कहा कि कुछ ऐसे पत्र हैं कि जिनके विचार बड़े संकुचित हैं और वे साम्प्रदायिकता के फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने काम नहीं बताया लेकिन उनके बारे में जानकारी उनसे की जायगी। अच्छा रहा यहां पर उन्होंने नाम नहीं बताया। उनसे पूछकर इसकी पूरी जांच की जायगी कि ऐसे कौन पत्र हैं जो इस तरह से समाचार प्रकाशित करते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

आप लिस्ट देख लीजिये उससे पता चल जायगा।

श्री गेंदा सिंह––

यहां नहीं बताया तो मैं आपके घर पर आकर पूछ लूंगा। हिन्दी समिति के सम्बन्ध में बात हुई। हिन्दी समिति में दो प्रकार का काम होता है। एक तो वह है जो बहुत अच्छे ग्रन्थ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई-लिखाई के लिये प्रकाशित किये जाते हैं और दूसरा ऐसा साहित्य छापा जाता है जो जनता तक पहुंच सके। इन दोनों कामों में यह कोशिश की जाती है कि इन दोनों को उपयोगी बनाया जाय। कुछ हिन्दी एकेडेमी जो भारत सरकार की संस्था है उसने भी इसमें सहायता करना मंजूर किया है। एक तो बड़ा काम इस राज्य सरकार की तरफ से यह हो रहा है कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम से एक हिन्दी भवन का निर्माण हो रहा है। और इस हिन्दी भवन के बनने से हिन्दी समिति के काम में सुविधा मिलेगी और जो अधिक उपयोगी साहित्य समझा जायगा उसको भी निकालने का प्रयत्न होगा। अब तक काफी साहित्य निकल चुका है जिसकी बिक्री हुई है और उससे लोगों को लाभ पहुंचा है।

एक बात बार-बार उठाई गई जिसका उत्तर देना भी मैं आवश्यक समझता हूं। वह बात यह कि विज्ञापन सम्बन्धी नियमों की अवहेलना हुई है। हमारे भाई पंडित हरिनाथ जी ने कहा था कि कोई स्थिर सिद्धांत होने चाहिये और सभी मित्रों ने इस प्रश्न को उठाया है। यह बात सही है कि विज्ञापन ठीक तरह से नहीं हुये, सरकार की ओर से वह किसी पत्र को प्रशंसा करने के लिए तैयार करें या किसी पत्र के विचार रोकने का प्रयत्न हो, इन दोनों कामों के लिए विज्ञापन का उपयोग करना ठीक नहीं है, यह बात ठीक है। इस नियम से शायद यह काम होता रहा है। कुछ पुरानी बातें जरूर सुनने में आती हैं कि कभी-कभी किसी समय में कोई सरकार नाराज हो गई किसी पत्र से तो उसने विज्ञापन का सहारा लिया। मैं सिद्धान्ततः इस बात के विरुद्ध हूं, मैं समझता हूं ऐसा किसी को नहीं करना चाहिये।

नवभारत टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया के सम्बन्ध में मैंने कौंसिल में जो उत्तर दिया जिसका जिक्र यहां जायसवाल जी ने किया, वह उत्तर मैंने यह समझ कर दिया था कि यह बात मैं ठीक ही कह रहा हूं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ बातें थीं जिन की जानकारी मुझे हुई है। इन दोनों पत्रों के कुछ लेख ऐसे थे जिस को सरकार ने पसन्द नहीं किया और उसको नापसन्द करके सरकार ने एक तरीका उसके लिए बातचीत का बनाया, सरकार की ओर से पत्र के मालिकान को पत्र लिखा गया और उन से बातचीत करने का अवसर निकाला गया लेकिन वह अवसर नहीं निकल सका। समीक्षा की बात भी उसी जमाने में की गई और उसके जो अंक माननीय जायसवाल जी ने दिये हैं वह शायद पुराने दिये हैं। उस समीक्षा में यह निकला कि टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स को कुछ अनुपात से अधिक विज्ञापन मिले अन्य पत्रों के मुकाबिले में, तो यह प्रश्न आया कि उसको बराबर

[श्री गेंदा सिंह]

किया जाय लेकिन यह उस वक्त हुआ ..... वक्त पत्र भी नाराज था सरकार के ऊपर और सरकार की भी नाराजगी थी पत्र के ऊपर, यह मैं कबूल करता हूं। उसी वक्त से यह काम हुआ और कोई भी यह मतलब निकाल सकता है .....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह कि मंत्री जी ने एक चीज कही है कि सरकार उनसे नाराज थी, तो वह कृपया स्पष्ट कर दें कि सरकार उनसे क्यों नाराज थी ?

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, यह सूचना मैंने दे दी जिसके लिये यहां बड़ी उत्सुकता थी। ऐसा लगता था कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा भारी जेहाद इस पर हो सकता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं और स्वीकार करने के बाद मैं यह जरूर चाहता हूं कि विज्ञापन सम्बन्धी नियमों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाय और उसके लिये श्रीमन्, मंत्रिमंडल ने एक छोटी-सी कमेटी भी बनाई है जिस कमेटी को यह अख्तियार दिया है कि किस पत्र को किस तरह से किस आधार पर विज्ञापन दिया जाय। उसके सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् को वह सलाह दे और कुछ ही दिनों में मुझे आशा है कि एक ऐसा नियम इस तरह का बनाया जायगा जिससे शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान के लिये फिर आग्रह कर रहा हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आज सूचना मंत्री बड़े उदार हो रहे हैं। इनकी उदार मुद्रा का फायदा उठाने के लिये मैं कह रहा हूं कि हमारी विधान सभा के दरवाजे भी बन्द होते जा रहे हैं मंडप में प्रवेश करने के लिये। उनको भी खुलवा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

यह इनसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

इन्होंने अभी वक्तव्य में कहा कि दो समाचार-पत्रों के विज्ञापन बन्द हुए। यह तसलीम कर लिया—टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत के। लेकिन उन्होंने यह कहा कि हम मालिकों से बात भी कर रहे हैं। जब बातचीत चल रही थी तो पहले इनको बन्द करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, यह प्रश्न तो इतना बड़ा है जिसमें समय लगेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि सरकार का यह इरादा नहीं था कि किसी पत्र को दंडित करके .....

(श्री गंगा प्रसाद के मध्य में खड़े हो कर बोलने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री गेंदा सिंह—

यह यत्न किया है कि बातचीत के द्वारा और आपसी आदान-प्रदान से यह बात की जाय कि अगर कोई अस्वस्थ बात कही जा रही है तो उसको सुधार लिया जाय। यह विषय और विज्ञापन सम्बन्धी जो रुकावट हुई उसका कारण एक और था जिसको माननीय अनन्तराम जायसवाल ने सुना होगा कि सामयिक समीक्षा के अनुपात को दुरुस्त करने के लिये किया गया था। वह इन्सीडेन्स ऐसा हो गया जिससे यह अर्थ लगाया जा सका है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

मेरा यह निवेदन है कि अगर बात करनी थी तो उसके सम्पादक से होनी चाहिए, एडीटर से होनी चाहिये थी, करेस्पांडेन्ट से होनी चाहिये। मालिकान से बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। यह कोई अच्छी नीति नहीं होगी।

श्री गेंदा सिंह—

मैं शान्तिप्रपन्न जी का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मेरी गलती सुधार दी। सही बात यह है कि एडीटर को ही चिट्ठी लिखी गई थी। मालिकान को नहीं लिखी गई थी।

(व्यवधान)

[श्री गंगा प्रसाद (गोंडा) के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। आप बार-बार बगैर बुलाये बोलने लगते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

पहले तो मैं यह सिफारिश करना चाहूंगा कि आप माननीय गंगा प्रसाद जी को भी बोलने का मौका मेरे बाद दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सरकार उनसे नाराज थी। परन्तु उन्होंने दूसरे ढंग से कहा कि लेख खराब लिखे। मैं जानना चाहता था कि क्या नाराजगी लेखों के कारण थी जिससे विज्ञापन बन्द हुए?

श्री गेंदा सिंह—

हां, यह सही है कि उनके लेखों में कुछ बातें सरकार को ऐसी झलकीं कि जो नहीं लिखी जानी चाहिये थीं, वह लिखी गयीं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

वे लेख कौन से थे? किस तारीख के थे?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तफसील का सवाल है, वे कैसे बता सकते हैं ....

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो विज्ञापन संबंधी उप समिति बनी है उसके सदस्य कौन-कौन हैं?

श्री गेंदा सिंह—

वह तो मंत्रिमंडल की एक समिति है, जिसमें संभवतः मैं भी एक सदस्य हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवालों का समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २९,१५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,६७,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४—कारागार

कारागार मंत्री (श्री बिशन लाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५७,८६,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५७,८६,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम ५६ के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और नियम ५१ के अन्तर्गत ११ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहला प्रश्न सर्वश्री सुखपाल पान्डेय व राम करन सिंह का मध्यावधि चुनाव के समय में श्याम देवरा निर्वाचन क्षेत्र (गोरखपुर) के प्रत्याशी श्री बक्शीश अली की हत्या किये जाने तथा उनके हत्यारों की गिरफ्तारी न करने के सम्बन्ध में है, यह तात्कालिक व अविलम्बनीय महत्व का नहीं समझा गया, इसलिए अस्वीकृत हुआ है।

दूसरा स्वीकार हुआ है। यह माननीय सर्वश्री गंगाप्रसाद, रामसिंह, कृष्णानन्द राय महरम सिंह, सुरेन्द्र विक्रम तथा लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने दिया है, जो पिछले वर्ष की भांति गर्मी के मौसम में जिला एटा की कचेहरी का प्रातः काल न लगने के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। इसी के साथ सर्वश्री नेकराम सिंह, सियाराम व सतीशचन्द्र का भी सम्मिलित कर लिया गया है जो इसी प्रकार का है कि प्रदेश के अनेकों जिलों में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष गर्मी के मौसम में कचेहरी का समय प्रातःकाल न करने पर। दोनों को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री रामसागर की सूचना उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में ५,००० रु० जमा करने के बाद भी नलकूप के लिये बिजली का प्राप्त न होना, को अस्वीकार किया गया है।

माननीय उमानाथ सिंह ने जौनपुर जिले के थाना सरपतहा के भूतपूर्व थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अमानुषिक व्यवहार की शिकायतों के संबंध में दिया था, यह अस्वीकार हुआ।

माननीय त्रिवेणी सहाय का कन्हैयालाल इंटर कालेज, कर्नेलगंज (गोंडा) के प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में, अस्वीकृत हुआ है।

लेकिन सर्वश्री हरिवंश सहाय, रामधारी शास्त्री व बांकेलाल की सूचना जिला परिषद्, देवरिया के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के निर्देशन से ५,५०० अध्यापकों की सेवायें समाप्त करने के बारे में जो है, इसको नियम ५१ में स्वीकार किया गया है।

माननीय जगदीश गांधी का स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर का कागज जे० के० पेपर एजेन्सी, लखनऊ द्वारा चोरबाजारी से बेचे जाने के संबंध में प्राप्त सूचना को अस्वीकृत किया गया है।

माननीय रामगोपाल संड का है इलाहाबाद जिले में गत एक सप्ताह में आधा दर्जन डकैतियां, हत्या तथा लूट की घटनाओं के बारे में, उसको स्वीकार नहीं किया गया है।

माननीय श्री हुकुम सिंह परिहार की सूचना जो बैपटिज्म हायर सेकेण्डरी स्कूल (आगरा) द्वारा प्राइवेट को एजूकेशन पब्लिक स्कूल घोषित किये जाने के फलस्वरूप हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के संकट के बारे में था, स्वीकार नहीं किया गया है।

सर्वश्री बंशीधर पान्डेय, सुरेन्द्र विक्रम व रामप्यारे का श्रीमती रामदेई देवी, निवासिनी मौजा भटपुरा (जौनपुर) का २,३०० रु० जिला जौनपुर सरकारी बैंक, मसौली से श्री लक्ष्मीशंकर यादव गवाह द्वारा निकाल कर अपने नाम से खाता खोलने के बारे में भी स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैंने जो नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है, यह सूचना मैं इस सदन में ३ बार दे चुका हूं और तीनों बार अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि आज नहीं कल स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि एक कालेज की समस्या को लेकर पूरे जिले का वातावरण दूषित हो रहा है, किन्तु उसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। वहां पर ३ हजार रुपये का गबन हुआ है, वहां पर अपने लोगों की फर्जी नियुक्तियां की गई हैं और सरकार ने भी उसके ऊपर यह बात स्वीकार की है कि·····

श्री उपाध्यक्ष—

अविलम्बनीय और लोकमहत्व की दृष्टि से मैं उसको आवश्यक नहीं समझता हूं, इसलिये स्वीकार नहीं किया है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

स्वीकार करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कार्यवाही न करने से वहां पर्चे बांटे जा रहे हैं, आन्दोलन हो रहा है, हड़ताल हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको मैं अविलम्बनीय व लोक महत्व का नहीं मानता। अब आप बैठें जो विरोधी दल के सदस्य हैं, करीब ११ में····

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है·····

श्री उपाध्यक्ष—

आपको क्या कहना है? आपका तो मंजूर हो गया है। आपके दो हैं। तो दोनों मंजूर किये जायंगे?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आप सुन लीजिये। राजदेई, पत्नी भैरोदीन उर्फ मकाईलाल, मौजा भटपुरा की, जो हमारे मंत्री जी लक्ष्मीशंकर यादव हैं इनके पिता पुल्ली यादव ने जमानत की थी। उन्होंने रुपया बैंक से निकाल कर ले लिया और जमा नहीं किया। प्रधान मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री चरणसिंह को अनेकों चिट्ठियां लिखीं। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर में लिखा—"आप का पत्र मिला। उसको पढ़ कर मुझे बहुत कष्ट हुआ, परन्तु खेद है मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा"। इसलिए वह बहुत परेशान हैं। उसकी जांच गवर्नमेंट नहीं करवा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप किसी कागज के टुकड़े के आधार पर कह रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा। अगर आप को कहना है तो अपनी जानकारी से कहिये। किसी माननीय सदस्य के बारे में कहते हैं तो आप को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पहले आप आश्वस्त हो जायं तब आप को कहना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

दूसरे के लिये कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरे के बारे में आपकी जानकारी अपूर्ण है। यह आरोप का सवाल है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं अविलम्बनीय महत्व बता रहा था।

श्री त्रिवेणी सहाय—

बड़े महत्व का विषय है·····

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आप पीठासीन हैं, एक स्पीकर उधर व्यवस्था चला रहे हैं। यह देखिए, विधान सभा में दो स्पीकर। यह भी साथ-साथ कार्यवाही चला रहे हैं।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

मैंने एक सूचना दी है। उसे मंत्री जी के पास भेज दें या तारांकित प्रश्न स्वीकार कर लें।

एक सदस्य—

एक जानकारी···

श्री उपाध्यक्ष—

जानकारी का घंटा नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपकी सेवा में कोई कागज लिख कर दिया हो और उसको निबाह न पाये हों, श्रीमन् जी, यह कहें, ऐरेगैरे का कागज नहीं है, अगर ऐसा कहें....

श्री उपाध्यक्ष—

इस कागज का हवाला दिखा कर नियम ५१ का प्रश्न नहीं हो जाता।

श्री रामकुमार शास्त्री—

एक परिपाटी यह है कि जो प्रश्न अस्वीकृत हो जाते हैं उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करते हैं। उसी सम्बन्ध में सुरेन्द्र विक्रम जी आपसे निवेदन कर रहे थे। जरा हम लोगों की मर्यादा का भी ध्यान रखिये, बहुत ज्यादा झिड़की से हम लोगों को भी झटका लग जाया करता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी तरफ से भी कुछ कम झटका नहीं लगता है।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

नियम ५१ के अन्तर्गत मेरी तरफ से तथा सुखपाल पांडेय की तरफ से एक कागज गया हुआ है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक कामरेड ने मिड टर्म पोल में चुनाव का पर्चा दाखिल किया था। विदड्राल के पहले श्री बख्शीश अली का मर्डर हो गया लेकिन सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं मिल सकी कि उसमें क्या कार्यवाही की गयी। कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अविलम्बनीय कुछ नहीं है। हत्या हो गयी जो एक निन्दनीय कार्य है। माननीय सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं। जो विधि की प्रक्रिया है वह चल रही है या नहीं इस बारे में वह सवाल कर सकते हैं।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

सब से बड़ी बात इस सम्बन्ध में यह है कि आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे वहां बड़ा असंतोष है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करिये। सरकार को जवाब देना होगा। यह अविलम्बनीय नहीं है, लोक-महत्व का हो सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—

मैंने बड़ी गौर से आपकी बात सुनी, उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि "अविलम्बनीय नहीं है भले ही लोक-महत्व का हो"। अब कोई कत्ल हो जाय और होने के पहले हम यह कहें कि फलां जगह यह कांड होने वाला है तो आप कहेंगे कि आप पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं लेकिन अगर कांड हो गया तो आप कहते हैं कि वह तो हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप काल्पनिक बात मत करिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

काल्पनिक बात नहीं है। रामकरन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत स्पष्ट है। बख्शीश अली खां गोरखपुर जिले के निर्दलीय प्रत्याशी थे। उनका कत्ल पर्चा दाखिल करने के बाद तथा विद्ड्राल के पूर्व हो गया जिसमें इलेक्शन कमीशन चुनाव को रोक भी नहीं सकता था कानूनन। लोगों को यह शंका आज तक बनी हुई है कि यह हत्या इसी दृष्टि-कोण से हुई कि चुनाव भी हो जाय और यह प्रत्याशी भी जिन्दा न रहे। उनका कथन यह है कि इतने दिन के बावजूद भी उनके घर वालों को यह पता नहीं लग सका कि सरकार की तरफ से जांच के उपरान्त यह भी नतीजा नहीं निकल सका कि मुलजिमों का पता नहीं लग पाया। तो मेरा निवेदन है कि इतना अधिक विलम्ब स्वयं में एक अविलम्बनीय प्रश्न बन जाता है।

यह एक अविलम्बनीय प्रश्न है। इसलिये, अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है, वैसे आपकी आज्ञा सदैव ही शिरोधार्य है और उसका कभी-कभी नुकसान भी होता है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि अगर इस प्रकार के प्रश्न टलते रहेंगे तो श्रीमन्, मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि लोगों के सब्र की सीमा भी टूटती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो माननीय सदस्य ने कहा है यह लगता है कि जनवरी, १९६९ का है। यह घटना जब से घटी थी, आज तक नहीं आई है, पुलिस इसमें सक्षम नहीं है। इसके बारे में प्रश्न किये जा सकते थे और इसमें चर्चा होनी चाहिये थी। हो सकता है किसी ने नाम लिया हो। किन्तु यह विषय लोक महत्व का नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न को काम रोक करके नहीं बल्कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ करके विचार किया जा सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, यह ध्यानाकर्षण का था, कामरोको नहीं था। आप चाहे जो कुछ कह लें। उस शासन से आप जो चाहे कह सकते हैं और वह हो जाता है किन्तु भविष्य के लिये एक नजीर होती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके अपनी व्यवस्था देने के पूर्व सोच लिया करें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप मेरे निर्णय पर कुछ कहने के पहले नियमों को देख लें तो उचित होगा। प्रश्न यह है कि आप इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी पूछ सकते थे या नहीं। बजट की पुलिस की ग्रांट पर आप बोल सकते थे, सामान्य प्रशासन के समय चर्चा कर सकते थे। इसे स्वीकार नहीं किया गया है। मैं इसको लोक महत्व का नहीं समझता हूं।

श्री राम सागर (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राइवेट नलकूप लगाने के लिये उनसे ५-५ सौ रुपये जमा कराये गये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें और मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

वक्तव्य की प्रति पर सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर न होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जो वक्तव्य हमें मिला है उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह मालूम हो कि यह वक्तव्य किसका है ?

श्री उपाध्यक्ष—

चाहे उस पर किसी के हस्ताक्षर न भी हो किन्तु मैं मानता हूं कि जो मंत्री उसे पढ़ेगा उसके दस्तखत उस पर हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, इस सदन में जितने सवालों के जवाब और वक्तव्य माननीय मंत्री जी देते हैं तो नीचे उनके हस्ताक्षर जरूर होते हैं किन्तु इसमें किसी मंत्री के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि चाहे छपा हो या न छपा हो उसमें उनके हस्ताक्षर मान लिये जायें ।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि दस्तखत होने चाहिये या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यदि किसी में दस्तखत नहीं भी हैं और वे खड़े होकर बयान देते हैं तो यह मान लिया जाय कि उनके दस्तखत उस पर हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मान्यवर, यह भविष्य के लिये एक गलत परम्परा होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जिस प्रकार आपके आदेशानुसार किसी वक्तव्य में माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर मान लिये जायेंगे तो अगर रूलिंग पार्टी का कोई सदस्य इस वक्तव्य को पढ दे तो क्या उसे मुख्य मंत्री मान लिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा आप हर चीज के बारे में कह सकते हैं, मैं इसका जवाब नहीं देता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कोई दूसरा सदस्य भी पढ़ लेता है तो वह मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा ?

श्री रामचन्द्र विकल—

मान्यवर, हस्ताक्षर होने चाहिये या नहीं ?

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर श्रीमती इन्द्रावती के गहने, कपड़े की लूट और उनके साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

श्रीमती इनरौता, निवासिनी ग्राम कुनमौर, थाना भैरहवा, नेपाल ने थाना राजघाट, जिला गोरखपुर पर दिनांक २३–५–७० को प्रातः इस आशय की मौखिक सूचना दी कि दिनांक २२–५–७० को रात में १० बजे वे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नौतनवां जाने वाली गाड़ी के इन्तजार में प्लेटफार्म पर अपना थैला जिसमें जेवर व कपड़े थे सिरहाने रख कर सो रही थीं। करीब १२ बजे १० आदमी वहां पहुंचे और एक आदमी उनका झोला लेकर भाग निकला जिस पर उनकी नींद टूटी और वह उन लोगों के पीछे दौड़ीं। थोड़ी दूर पर उक्त आदमियों में से एक आदमी ने उनके मुंह पर मुक्का मारा व कहा कि चलो आगे चल कर सामान दिया जायगा। सामान के लालच में वे उनके पीछे चलीं। थोड़ी दूर और जाकर एक रिक्शा रोककर वादिनी को उस पर बैठा कर वे, अलवापुर चमरौटी हरिजन मन्दिर के पास ले गये और वहां उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर तथा चाकू दिखा कर दसों आदमियों ने उनके साथ बलात्कार किया और बाद में उन व्यक्तियों ने उनके चांदी के कुछ गहने उतार लिये और उन्हें कुछ आगे ले जाकर वहीं छोड़ कर भाग गये। होश में आने पर वादिनी उसी रास्ते से जिस से अभियुक्त उसे ले गये थे लौटी और धन्वंतरी बाबा नामक व्यक्ति के घर गई। अभियुक्त जब वादिनी को धन्वंतरी बाबा के घर के सामने ले जा रहे थे तो बाबा ने जो जाग रहे थे एक अभियुक्त जिसका नाम कन्हई है को पहचाना। वादिनी भी उसे देख कर पहचान सकती है।

यह रिपोर्ट थाना राजघाट पर धारा ३९५/३७६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अंकित हुई। इसमें नामांकित कन्हई नामक अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना की जांच के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

यह कहने का कोई आधार नहीं प्रतीत होता कि इस प्रदेश में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था शिथिल होती जा रही है अथवा सरकार की इस ओर कोई असावधानी है, अथवा जनता में भय और आतंक छा रहा है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

जिन १० व्यक्तियों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया उसमें से केवल एक व्यक्ति को ही पकड़ा गया है और शेष ९ व्यक्ति कौन-कौन थे और उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

एफ० आई० आर० में एक व्यक्ति की नामजद रिपोर्ट थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी का नाम नहीं था। अभी जांच हो रही है। किसी प्रकार की कोताही जांच में नहीं की जा रही है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

माननीय मंत्री जी के बयान से यह मालूम होता है कि स्टेशन पर काफी भाग-दौड़ हुई, तो क्या मंत्री जी ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि उस समय जी० आर० पी० कहां थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, यह जो मैंने पढ़ा, जो रिपोर्ट लिखायी गयी है, यह उसके अनुसार है। अभी जांच हो रही है इसलिये इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर तक भाग-दौड़ हुई।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि रेलवे पुलिस वाले और सुरक्षा बल वाले गुन्डों से मिले रहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सरकार को ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

रिपोर्ट में एक व्यक्ति का नाम लिखाया गया था, केवल उसी की गिरफ्तारी हुई लेकिन दूसरे ६ व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या इसी को माननीय मंत्री जी अपनी पुलिस की सक्रियता कहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया कि कोई कोताही नहीं हो रही है, जांच हो रही है, किसी को छोड़ने की बात नहीं है ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अभी माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय जायसवाल जी के पूरक प्रश्न में बताया कि वक्तव्य में वही बातें बतायी गयी हैं जो एफ० आई० आर० में दर्ज की गयी हैं । जहां तक हम समझते हैं वक्तव्य की इसलिये मांग की जाती है कि उसके सम्बन्ध में सारी बातों का पता लगायें । जब यह सवाल आया तो क्या मुख्य मंत्री जी ने यह पता लगाया कि उस समय रेलवे पुलिस कहां पर थी और जब उस औरत को वे लोग लिये जा रहे थे तो उसने क्यों नहीं दखल दिया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अभी तक जो स्थिति है वह वक्तव्य में दी गयी है । क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मैंने तो एक निश्चित सवाल पूछा कि जिस समय वह औरत ले जायी गयी उस समय रेलवे पुलिस कहां थी और अगर उसने दखल नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

(इस समय ५ बज कर ३० मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसकी गिरफ्तारी कब हुई और उससे अन्य अभियुक्तों के सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गयी या नहीं और अगर की गयी तो उसने क्या बताया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो व्यक्ति कन्हई गिरफ्तार हुआ है वह घटना वाले दिन ही गिरफ्तार हुआ । २२/२३ की घटना है और २३ को दिन में वह गिरफ्तार हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उससे पूछताछ की गयी अभियुक्तों के बारे में ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उसने किसी का नाम नहीं लिया ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो मुल्जिम गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ की गयी या नहीं और अगर की गयी तो उसने क्या बयान दिया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह तो नहीं बताया जा सकता कि उसने क्या बयान दिया है । उसके खिलाफ जांच हो रही है ।

श्री दीपनारायण मणि—

यह बड़ा स्पष्ट है कि गोरखपुर की रेलवे सुरक्षा पुलिस निष्क्रिय है । तो क्या कृपा करके उत्तर प्रदेश की पुलिस से या खुफिया पुलिस से इसकी जांच करा कर पता लगायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस घटना की जांच राजघाट के थानाध्यक्ष कर रहे हैं । रेलवे पुलिस नहीं कर रही है ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

अभी मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि यह घटना २२ तारीख की है और जब उनसे ज्यादा प्रश्न किये गये तो उन्होंने कहा कि हम तो उस महिला के बयान पढ़ रहे हैं और अभी जांच हो रही है । १७ दिन हो गये हैं इस घटना को हुये और १० व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया है । तो मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछूंगा कि क्या वह इसको जल्दी करने के लिये आदेश देंगे और क्या इसकी जांच करने के लिये वह सी० आई० डी० को तैनात करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि इस में जांच होने में कोई देर नहीं हो रही है । फिर भी हम आदेश देंगे कि इसकी जांच शीघ्र से शीघ्र पूरी की जाय ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अभियोग लगाया गया कि दस व्यक्तियों ने बलात्कार किया है । तो क्या उस महिला की कोई डाक्टरी परीक्षा कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो डाक्टरी करायी गयी थी उससे पाया गया कि उसके किसी गुप्तांग पर कोई चोट नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस घटना के तथ्यों से यह विदित नहीं होता कि स्टेशन पर उस पर्टिकुलर समय पर सुरक्षा की व्यवस्था थी, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि बिलकुल अभाव था जिसके कारण यह घटना संभव हुई ? अगर ऐसी चीज है तो उस जी०आर०पी० के थानेदार के खिलाफ और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इन सारी बातों की जांच हो रही है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

जो मुख्य मंत्री जी ने जनरल उत्तर दिया है उस पर कैसे कोई सवाल किये जायं ? यह आपको चाहिये था कि इस उत्तर पर मुख्य मंत्री जी को कहते कि यह जनरल उत्तर है, ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिये। पूरे प्रदेश में बलात्कार के ३ महीने के केस उठाकर देख लिये जायं, वह बहुत ज्यादा हैं। हत्या और डकैती के ज्यादा हैं, तो इस प्रकार आंख में धूल झोंकने की बात मुख्य मंत्री जी करते हैं, इसलिये उनको उत्तर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

वह दे नहीं सकेंगे।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इस घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे और साथ ही वहां के जी० आर० पी० दरोगा और कर्मचारी जो उस समय ड्यूटी में थे उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

किसी को अगर दोषी पाया जायगा तो उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जायगी, किन्तु सी० आई० डी० से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

एक आदमी गिरफ्तार हो चुका है तो क्या उसके द्वारा और आदमियों के नामों का पता लगा है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दिया कि उसने नाम किसी का नहीं लिया।

श्री अभिमन्युप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

विरोधी पक्ष का कहना है कि पुलिस फोर्स निष्क्रिय है और सरकार कहती है कि सक्रिय है, तो क्या मुख्य मंत्री जी पुलिस की सक्रियता के पुष्टिकरण में यह बताने की कृपा करेंगे कि तफतीश किस स्टेज पर है, अब तक कितने गवाहों के बयानात हुए और जो लोग पकड़े नहीं गये उनके घरों पर ८७–८८ में कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अभी तक कोई दूसरे व्यक्ति प्रकाश में नहीं आये हैं, इसलिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

इतनी बड़ी घटना के संबंध में जिसमें १०–१० आदमियों ने बलात्कार किया, ओपिनली और खुले आम इतना बड़ा जुर्म हुआ, सरकार कहती है कि जांच हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जिनकी ड्यूटी थी उन अधिकारियों और पुलिस के कर्मचारियों को आपने मुअत्तल किया या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जो भी जांच हो रही है और जो भी कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और कोई रियायत नहीं की जायेगी।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

एक हरिजन अबला के साथ इस तरह से १० व्यक्तियों ने व्यभिचार किया और वह भी स्टेशन से घसीट कर के ले गये, इससे बड़ा कांड व्यभिचार का और नहीं हो सकता है। और अभी तक उस संबंध में केवल एक आदमी जिसके नाम नामजद रिपोर्ट है, उसके अतिरिक्त और कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए जबकि मुख्य मंत्री जी बता चुके हैं कि सी० आई० डी० जांच नहीं होगी, क्या मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायेंगे, और जिम्मेदार लोगों को चाहे वह स्टेशन मास्टर हो या सुरक्षा दल पुलिस, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य का समुचित रूप से पालन नहीं किया, इसको माइंड में रख कर वह मैजिस्टीरियल जांच करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, जब जांच हो रही है और उससे हम सन्तुष्ट हैं कि जांच में किसी के साथ रियायत न की जाय तो सी० आई० डी० से इनक्वायरी कराने या मैजिस्टीरियल इनक्वायरी कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री इस बात को महसूस नहीं करते कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म बहुत बिजी प्लेटफार्म है और १० से १२ बजे के बीच में कई गाड़ियां आती-जाती हैं, तो ऐसी जगह पर रेलवे सुरक्षा पुलिस के कर्मचारी जो कि प्लेटफार्म पर आन ड्यूटी थे, और जब उसको इस तरह से काफी दूर दौड़ा कर वे लोग उसे ले गये जैसा कि मुख्य मंत्री के वक्तव्य से भी जाहिर है, ऐसी स्थिति में उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बात सोच रहे हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

श्रीमन्, जो वक्तव्य दिया गया है और जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कुछ भ्रम है। उप मंत्री जी ने अपना जो वक्तव्य दिया है उसमें वही रिपोर्ट पढ़ कर सुनायी है और उस रिपोर्ट को उप मंत्री का बयान मान कर प्रश्न किया जा रहा है। इसमें ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब इनको बोलने में हया नाम की कोई चीज ही नहीं है, न शर्म रह गयी है, न हया है और न जागरूकता है, फिर अब कौन-सा विशेषण इनके लिये इस्तेमाल किया जाय। एक महिला का १० आदमियों ने शील भंग किया सार्वजनिक रेलवे स्टेशन पर, तो क्या साधारण आदमी की समझ के लिये यह काफी नहीं है और घटना से जाहिर है कि पुलिस बिलकुल सो रही थी और इस पर आप कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

इस सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो वक्तव्य दिया गया है और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें कुछ भ्रम है। तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो वक्तव्य मंत्रिगण देते हैं सरकार की तरफ से उनको इक्तवाई रिपोर्ट मानें या माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मानें ?

श्री अध्यक्ष—

रावत जी ने गलत बात कही। जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया उसमें वक्तव्य है और उस औरत का बयान भी है, दोनों चीजें उसमें हैं। न खाली वक्तव्य है और न खाली रिपोर्ट है।

(व्यवधान)

श्री जगनप्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं यह कह रहा था कि वक्तव्य में जो यह कहा गया है कि यह रिपोर्ट हुई, तो वक्तव्य में भी रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ कर सुनाया, वह भी वक्तव्य का एक अंश है, नहीं माना जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

जो वक्तव्य में लिखा हुआ है, आपको इन तथ्यों का ज्ञान है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं उनका जवाब दे रहा हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

माननीय मंत्री जी कम से कम एक बार वक्तव्य को पढ़ तो लेते।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने पढ़ लिया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उसमें यह कहीं नहीं है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने वक्तव्य को पढ़ लिया है और उसी के आधार पर कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें।

१० व्यक्तियों ने उस औरत का शील भंग किया, इसको आप महत्व का समझते हैं या नहीं ? और जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि १७ दिन की देर हो गयी तो यह समझते हैं कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी होगी तो उसमें देरी होगी, तो इतनी देर होने के बाद आप यह आवश्यक नहीं समझते कि इसमें सी० आई० डी० द्वारा इन्क्वायरी करायी जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं अपनी पूरी बात नहीं कह पाया और बीच में ही · · · ·

श्री अध्यक्ष—

मैंने प्रश्न स्पष्ट कर दिया है, अब आप उसका जवाब दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, यह उप मंत्री जी का बयान है या मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेंट है, जब उनको इसकी जानकारी तक नहीं है और यह उनका स्टेटमेंट नहीं है तो फिर वे कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है, उसके मुताबिक वे जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

चूंकि माननीय मुख्य मंत्री आज हैं नहीं, मालूम नहीं किन कारणों से । ऐसी दशा में मेरा निवेदन है और आपसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न को जब माननीय मुख्य मंत्री सदन में मौजूद हों तभी उठाया जाय इसलिये आज इसको दूसरे दिन के लिये पोस्टपोन कर दीजिये । जहां तक रावत जी का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री जी कई दफा इस बात को कह चुके हैं कि दूसरा कोई योग्य आदमी उनकी योग्यता के अनुसार है ही नहीं जिसको वे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकें तो फिर बिना वजह वे क्यों परेशानी लेते हैं ? यह है ब्यू मुख्य मंत्री जी का · · · ·

श्री अध्यक्ष---

आप पहले उत्तर दीजिए ।

श्री जगनप्रसाद रावत---

एक बात मैं निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो जायसवाल जी कहते हैं वह सब अपने स्तर से कहते हैं और उनका स्तर जैसा है उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता . . . .

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, रेलवे स्टेशन पर शील भंग की जाय और कोई कार्यवाही न हो, तो उनको शर्म नहीं मालूम होती ।

श्री जगनप्रसाद रावत---

बेशर्म आदमी दुनिया को बेशर्म समझता है और भला आदमी दुनिया को भला समझता है ।

श्री अध्यक्ष---

(श्री रावत की ओर संकेत करते हुए) क्या आप जवाब नहीं दे सकते ?

(व्यवधान)

श्री जगनप्रसाद रावत---

मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप शान्ति से जवाब दें ।

श्री जगनप्रसाद रावत---

मैं शान्ति से जवाब देता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

(विरोधी पक्ष को सम्बोधित करके) मैंने आपकी ओर से प्रश्न कर दिया है । उसका क्या जवाब देते हैं सुन लें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, जो मंत्री जी ने शब्द कहे हैं, क्या वे उचित हैं ? उनको वह वापस लें ।

(व्यवधान)

मंत्री जी की हैसियत में और मेरी हैसियत में फर्क है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री रावत को संबोधित कर) यह सही बात है कि आपको नाराज नहीं होना चाहिये था। मैंने प्रश्न किया आपको उसका उत्तर देना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो मुख्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है...

श्री अध्यक्ष—

मैं यह चीज नहीं सुनना चाहता। आप मुख्य मंत्री की वकालत न करें। आप कृपा कर बैठें। बात यह है कि मैंने समझा कि आप भी मंत्री हैं, ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है इसलिए आप उत्तर देना चाहते हैं तो मैंने प्रश्न कर दिया। तो आप उत्तर दें, वकालत न करें उनकी तरफ से। प्रश्न मैंने किया था कि वह पूछ रहे थे कि क्या इतने महत्व के प्रश्न होने की वजह से और इसमें देर होने की वजह से सी० आई० डी० इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं? दूसरा प्रश्न था कि इतना महत्व होने के बाद भी जिन्होंने कार्यवाही नहीं की क्या उनको सजा देने के लिये तैयार हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, यह २२, २३ मई की घटना है और इसमें जांच हो रही है, लेकिन जांच के दौरान में या कोई माननीय सदस्य को विशेष जानकारी हो .....

श्री अध्यक्ष—

आप जवाब दें।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बताइये क्या कहते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं बतला रहा हूं, (व्यवधान) मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप यह कह सकते हैं कि जरूरत मैं नहीं समझता हूं सी० आई० डी० जांच की।

श्री जगनप्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पूरी बात तो कहूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आपके सजेस्ट करने पर भी यह जवाब नहीं दे सकते इतने योग्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कहिये । अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप बैठिये ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

आप जो कह रहे हैं वह भी सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

यह गोरखपुर सिटी का मामला है तो मैंने कई बार निवेदन किया कि कुछ मुझसे भी जानकारी ले लें लेकिन आपने इधर ध्यान नहीं दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि डाक्टरी जांच से पता चला कि गुप्तांगों में चोट नहीं थी और यह होश में आने पर उसी रास्ते से लौटी और धनवन्तरि बाबा के घर की तरफ से लौटी । मान्यवर, यह पुलिस का षड़यंत्र है और कन्हई से कोई रंजिश थी जिससे उसको फंसाया गया और बाकी को छोड़ा गया । नौतनवां रात १० बजे ट्रेन जाती है तो वह क्यों नहीं गई ? इसमें कोई षड़यंत्र है तो बगैर किसी विलम्ब के इसको सी०आई०डी० के सुपुर्द करें और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई करनी नहीं चाहिये । इसमें जी०आर०पी० का सरासर हाथ है क्योंकि प्लेटफार्म पर कम से कम चार, पांच सौ व्यक्ति हमेशा रहते हैं, चार और पांच प्लेटफार्म पर बहुत-सी ट्रेनें आती जाती रहती हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री रामलाल भाई—

इस तरह से सरे आम प्लेटफार्म से भगाकर ले गये रोती चिल्लाती हुई स्टेशन से अलवापुर । किसी ने नहीं देखा और रिक्शे पर १० आदमी गये । कितने आदमी रिक्शे पर बैठ सकते हैं ? इससे साफ मालूम होता है कि इसमें षड़यंत्र है । तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको सी०आई०डी० के सुपुर्द करेंगे या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी पूरी तरह से जांच हो रही है और कोई कोताही नहीं हो रही है, इसलिये सी०आई०डी० की जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी यह पता लगावेंगे कि इस घटना में जी० आर० पी० का हाथ तो नहीं था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस समय कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जी०आर०पी० का हाथ था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह तो जवाब देने के बजाय सफाई दे रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इस तरह का मथुरा जिले के डाकू जरन सिंह का मामला था ।

ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के समय उत्तर देने के लिये मुख्य मंत्री जी को यहां पर उपस्थित रहना चाहिये जो बहुत आवश्यक है । यह ठीक है कि मुख्य मंत्री जी किसी दूसरे

मंत्री को अधिकार दे सकते हैं । मेरा सुझाव यह है कि इस प्रश्न को उस समय तक टाल देना चाहिये जब तक वह स्वयं यहां न आयें । आपने स्वयं इस प्रश्न की महत्ता को स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को पोस्टपोन करता हूं । मुझे भी ऐसा आभास होता है कि यदि मुख्य मंत्री जी होते तो संभव था कि वह कह देते कि सी०आई०डी० की इन्क्वायरी करवा ली जाय । मुझे ऐसा लगता है कि यह उत्तर देने के लिये सक्षम नहीं मालूम होते हैं । इसलिये मैं इसको पोस्टपोन करता हूं ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, आप हम लोगों के हितों की रक्षा करने वाले हैं । कोई प्रश्न करता है दफा ५१ में और जो कमियां हैं उसकी जांच करवा कर पूरे विवरण के साथ मंत्री महोदय उसको यहां पर रखें । केवल अधिकारी की रिपोर्ट को ही जान लेना है तो उसको तो हम लोग स्वयं जिले में जाकर जान सकते हैं । मान्यवर, यही एक त्रुटि रही है । अधिकारियों ने तथ्यों को दबाकर भेजा तो उससे संतोष नहीं होगा । मान्यवर, दफा ५१ में जब कोई नोटिस देता है तो अधिकारी की रिपोर्ट को ही आधार न मानकर बल्कि स्पेशल ढंग से जानकारी करवाने के बाद, पूरी तैयारी करने के बाद ही यहां पर वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

दफा ५१ में जब कहते हैं तो उस वक्त तो जवाब मिल नहीं सकता है बल्कि उसको ८,१० दिन लगते हैं । उनको अब मौका है और पूरी जानकारी उनको हासिल कर लेनी चाहिये और इसका भी अन्दाजा लगा लेना चाहिये कि इस संबंध में कौन-कौन से प्रश्न सम्भावित हैं । ये सभी इमेजिनेशन की बातें हैं, वे सभी सोच लेनी चाहिये ।

श्री गोविन्द सिंह--

मान्यवर, जैसा कि आपको भी महसूस हुआ है कि इस मंत्रिमंडल के सर्वेसर्वा मुख्य मंत्री जी ही हैं और उनको जवाब के समय उपस्थित रहना चाहिये और यही कारण है कि आपको इस प्रश्न को दूसरे दिन के लिये स्थगित करना पड़ा । इस कारण ऐसे प्रश्नों के समय मुख्य मंत्री जी को स्वयं उपस्थित रहना चाहिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

श्रीमन्, यह जो वक्तव्य था उसके सारे उत्तर मैंने दिये हैं । यह नहीं कहा जा सकता है कि मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं सारे उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

थाना गजरौला, अमरोहा, जिला मुरादाबाद के इन्चार्ज द्वारा ३ व्यक्तियों को पकड़ कर ले जाने और गोली मार देने के सम्बन्ध में नियम ४६ के अन्तर्गत चर्चा

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा शुरू करूं एक व्यवस्था चाहता हूं । अभी माननीय उपमंत्री जी ने कहा कि जितने भी सवाल किये गये उन सब का मैंने उत्तर दिया है । उत्तर दिया या नहीं, इसके ऊपर आपकी रूलिंग हो गयी । आपने स्वयं कहा कि इस सवाल के जवाब उचित नहीं मिले और यह सक्षम नहीं हैं उत्तर देने में और इसलिये आपने उसे पोस्टपोन कर दिया । तो श्रीमन्, आपकी इस रूलिंग के बाद क्या कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य इस बात को कहने का अधिकारी है कि मैंने सब चीजों का जवाब दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो सवाल उठाया है क्या आप अपने उस प्रश्न को नहीं लेना चाहते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न भी उतना ही गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी यही समझता हूं क्योंकि आपने दो-तीन बार सुनाया भी है और मैंने खास तौर से उसके लिये तारीख रखी है । वह भी बहुत महत्व का है । मैं समझता हूं कि उसको भी पोस्टपोन करना ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं तो यह चाहता हूं कि आज मैं उसको पुट-अप कर देता ताकि माननीय सदन को सारे वाकयात मालूम हो जाते और उसके बाद आप उसको मुल्तवी कर दें जवाब के लिये तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इससे उनको वक्त भी मिल जायेगा । आपकी जो जानकारी हो वह आप दे दीजिये । आज उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी ।

श्री रियासत हुसैन—.

श्रीमन्, मुझे खेद है कि आज ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के वक्त मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं । श्रीमन्, दफा ४९ के अन्दर चर्चा करने का मेरा आधार माननीय मुख्य मंत्री जी का वह बयान है जो उन्होंने अपोजीशन की कुर्सी पर बैठ कर अपने भाषण में कहा था, जब मुरादाबाद जिले की ऐसी ही एक घटना का सवाल यहां आया था जिसमें अपने डिफेंस में लोगों ने तीन बदमाशों को मार दिया था । उसके बाद जब गुप्ता जी की सरकार ने कुछ नहीं किया था उस समय चरण सिंह जी न कहा था कि यह रूल आफ ला है, रूल आफ जंगल नहीं है, इसलिये जो नीचे के अधिकारी आपको भेज देते हैं उसी पर आप क्यों यकीन कर लेते हैं ? श्रीमन्, इस आधार पर मैंने दफा ४९ में यह दिया था ।

यह प्रश्न भी बड़ा गम्भीर है और पुलिस के जुल्म और ज्यादती की एक मिसाल है कि किस तरह से पुलिस वालों ने दिन के तीन बजे तीन नौजवान आदमियों को जिनकी उम्र बीस से पच्चीस साल तक थी, घेर कर पकड़ा और मारकर, बेहोश होकर पांच फर्लांग दूर गांव में ले गये और रात के नौ बजे एक को जामुन के पेड़ से, एक को शीशम के पेड़ से और एक को आम के पेड़ से लटका कर गोली से मार दिया और जीप घुमा कर षड़यंत्र करके एक एनकाउन्टर की शक्ल में पेश कर दिया और जुल्म को छिपाने की कोशिश की ।

अब मैं घटना के संबंध में बताता हूं । एक छोटा सा गांव है शिकरिया जो मुरादाबाद और बिजनौर की सरहद पर है । तीन नौजवान जीशान और नन्हें जो वहीं के रहने वाले थे और सिद्दीकी नाम का नौजवान अपने साढ़ के यहां उस दौरान में आया था जो जिला बिजनौर का रहने वाला था । एक छोटा-सा कस्बा है निशान सआदत । वहां एक पुराने जमींदार की कुछ जमीन थी । वहां के सैयद लोगों से उन लोगों न जमीन खरीदी । नन्हें व जीशान और दूसरे लोग उस जमीन को जोतते थे बटाई में । यह जमीन उनके कब्जे में थी । वहां पर एक झगड़ा खड़ा हो गया उन सैयद लोगों और उन लोगों से जिन लोगों ने उस जमीन को खरीदा था । ये लोग जो जोतते थे उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहते थे । इन लोगों ने, जिन लोगों ने उस जमीन को खरीदा था पुलिस में अपने तरीके पर उन लोगों के खिलाफ झूठी सच्ची रपट लिखानी शुरू की । ९५३ दफा में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई । इनको

मुलजिम बनाने की कोशिश की गई। ३९५ में मुकदमा इनके खिलाफ मंजूर करके इन दोनों नौजवानों को बदमाश तसदीक कर दिया। उसके बाद मुकदमे बाजी चलती रही।

आज भी उनके ऊपर ४,५ मुकदमे कायम थे लेकिन आज तक उनको किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुई। वह हमेशा छूट जाते थे। वे लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक इनको सफे हस्ती से मिटाया नहीं जायगा तो जमीन पर कब्जा नहीं मिल सकता है। इस तरीके से ५ मई के ३ बजे दिन में उस गांव के थाना गजरौला और थाना अमरोहा जिला मुरादाबाद और थाना नूरपुर व थाना चान्दपुर, जिला बिजनौर इन चार थाने के थानेदारों ने ४०,५० पुलिस वालों को लेकर उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया। उन लोगों ने गांव में अन्दर घुस कर तीन आदमियों को पकड़ लिया। जब गांव में उन खरीदने वालों के पास यह सूचना भेजी कि हमने गांव में इन लोगों को पकड़ लिया है अब तुम क्या चाहते हो तो वे आये। उन लोगों से उन्होंने पकड़े जाने पर कहा कि ऐ हमारे दुश्मनों! तुम यह न समझो कि हम पकड़े गये हैं, लौटकर जब आयेंगे तो तुमको मजा जरूर चखायेंगे। इसलिये ७।। बजे तक उनको पकड़ने के बाद उसी गांव में मस्जिद के बराबर में आम के पेड़ के नीचे बिठाया। उनको ७।। बजे शाम तक बिठाया। ४।। घंटे के अन्दर उनसे ५ हजार रुपये पर सौदा तब हुआ। ५ हजार पर वे राजी हो गये और कहा कि हम दे देंगे लेकिन ये लौट कर नहीं आने चाहिये।

७।। बजे शाम को, जो वहां पर एक नहर बन रही है अफजलगढ़ में जिसमें बहुत से मजदूर काम करते हैं उन लोगों ने उनको वहां देखा। रामगंगा परियोजना के अन्दर जो नहर बन रही है फरीदपुर में वहां से ५ फर्लांग की दूरी पर एक बगिया है ४,५ बीघे की उस बगिया में ननुआ और उसकी बीबी आम की फसल को लेकर उसकी रखवाली कर रहे थे। वे एक झोपड़ी के अन्दर रहते थे, उनके सामने मारा पीटा। वे तीनों मारने-पीटने के बाद बेहोश हो गये। नन्हे को जामुन के पेड़ से बांधा, सिद्दीकी को नीम के पेड़ से बांधा और जीशान को शीशम के पेड़ से बांधा। इसके बाद गांव के लोग और उनके रिश्तेदार सब वहां पर बैठे रहे लेकिन किसी को भी उनके पास तक नहीं जाने दिया गया। इस तरह से बांधने के बाद ८।। बजे उन लोगों के गोली मार दी गई। रात भर उनकी लाश पड़ी रही। पुलिस वाले टेलिफोन करते रहे कि अब क्या किया जाय। इसके बाद उन्होंने एन्काउन्टर की बात बनाई कि ऐसा कर दिया जाय कि एन्काउन्टर में ३ डकैत मारे गये। इस तरह से ऊपर से नीचे तक रिपोर्ट चली।

उसके बाद सिद्दीक के बाप हमीद को जब यह पता चला कि उसका लड़का भी साथ गया है तो वह पुलिस वालों से मिलने गया। वह तीनों थानों में देखने के लिये गया, चान्दपुर थाने में गया, गजरौले थाने में गया, नूरपुर के थाने में गया लेकिन किसी थाने में उसको वह नहीं मिला। वह सारी रात भागता फिरता रहा। जब उस को कहीं भी अपने लड़के का पता नहीं मिला तो सुबह मुरादाबाद जाकर उसने तार भेजा। उसने तार साढ़े ग्यारह बजे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को भेजा वह मैं आप को सुनाता हूं। उसकी अथोराइज्ड नकल मेरे पास मौजूद है। एक यह तार पहला है जिस में लिखा है कि :

"Yesterday at three afternoon Police arrested my son Siddiq from Sikaria thana, Amroha his Sadus house and two others Jeesan and Nanney from that village. None available at Police Stations Amroha, Gajraula or Chandpur. Intervene."

यह टेलीग्राम साढ़े ११ बजे दिन को ६ तारीख को दिया गया और उसके बाद जब दूसरी सूचना पहुंची कि उनको गोली मार दी गई तो दूसरा टेलीग्राम इस्माइल के लड़के मुश्तकीम

[श्री रियासत हुसैन]

ने दिया चीफ मिनिस्टर, लखनऊ को, इंसपेक्टर जनरल पुलिस को, डी० आई० जी०, बरेली को और प्राइम मिनिस्टर को। उसकी इबारत यह है कि:

"Police arrested my son Jeeshan Sadiq s/o Haneef, Nanhey, son of Chhotey from village Shikaria Yesterday three P. M. and murdered them at the instance of enemies immediate action requested."

इसके साथ ही उन्होंने कलक्टर साहब के यहां मुरादाबाद में यह भी एक और दरख्वास्त दी और उसकी भी अथराइज्ड नकल मेरे पास है। उसके बाद जिलाधीश मुरादाबाद ने मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के लिये एस० डी० ओ०, अमरोहा को मौके पर भेजा। जब वह वहां गये तो वहां बड़ा पुलिस आतंक फैला हुआ था और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई बाहर आकर बयान दे, लोग डरे हुये थे और उसके बाद एस० डी० एम० साहब वैसे ही वापस आ गये। उसके बाद फिर एक दरख्वास्त इस्माइल ने कलक्टर और एस० पी० के यहां दी कि चूंकि आतंक छाया हुआ है और लोगों को खतरा है इसलिये बयान देने कोई नहीं आया है। इस पर जिलाधीश, मुरादाबाद ने भी समझा कि जरूर कुछ फोर्ज्ड मामला मालूम होता है और कुछ गोलमाल जरूर है, और जो डी० एम०, मुरादाबाद, कटारा साहब थे उन्होंने कहा कि इन्क्वायरी के लिये और समय दिया जाय, मुमकिन है कि कुछ समय बीतने के बाद लोगों का डर खत्म हो जाय और यह बयान दे दें।

इस तरह से २ महीने तक यह इन्क्वायरी डिले की गई क्योंकि वहां पुलिस का बराबर आतंक छाया हुआ था और लोगों को खतरा था कि अगर गवाही देने जायंगे तो उसका नतीजा बुरा होगा। उस के बाद २ माह के बाद वह रिपोर्ट एस० डी० एम०, अमरोहा ने दे दी। उसके बाद उस दिन सवाल के उत्तर में जो बातें पैदा हुईं कि जब मर्डर हो गया तो उनके पंचायतनामे के ऊपर किसी भी घर के आदमी की गवाही नहीं कराई गई जबकि घर के सब आदमी वहां बैठे थे और पोस्ट मार्टम के लिये कोई सीलमोहर नहीं हुई। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हो चुका तो उनके घर वालों और वाल्दैन ने ८० रुपये पर किराये का ठेला किया कि उनको लाशें मिल जायं ताकि वह बाकायदा उन को ठीक से दफना सकें। लेकिन वह उन को नहीं दी गईं और फर्जी ३ कब्रें उस गांव में बनवा दी गईं, उन में लाशें नहीं दफनाई गई बल्कि सिर्फ कफन व तख्ते रख कर कब्रें बना दी गईं, वह कब्रें वहां मौजूद हैं लेकिन वह लाशें उनमें नहीं हैं। वह लाशें कहां दफनाई गईं यह कहानी बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है।

मुरादाबाद शहर में कचहरी के सामने एक कब्रिस्तान का झगड़ा चल रहा है और उस कब्रिस्तान की वहां पी० ए० सी० हिफाजत कर रही है। वहां जो तकियेदार रहता था उसको वहां से हटाया गया और चूंकि वहां पर लोगों को कब्रिस्तान साबित करने के लिये लाशों की जरूरत थी इस वास्ते वहां ले जाकर यह ३ लाशें दफनाई गईं। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को उन के वाल्दैन को न देकर मुरादाबाद भेजा गया और लाशों को इस तरह से बेचा गया और मुरादाबाद की कचहरी के सामने के कब्रिस्तान के सामने दफन किया गया जहां से वहां के तकियेदार को हटाया गया है यह दिखाने के लिये कि यह भी कब्रिस्तान है.....

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आप से व्यवस्था चाहूंगा कि जिस केस में मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो चुकी है और उस को जुडिशियल कोर्ट भी मंजूर कर चुका है तो क्या इस मामले में जुडीशियल कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां चर्चा हो सकती है?

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई फैसला इसमें हुआ है?

श्री नौनिहाल सिंह---

इस केस में जुडीशियल कोर्ट भी पुलिस की थ्योरी को मंजूर कर चुका है तो क्या जुडीशियल कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी क्या सदन में चर्चा हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

अगर वह इस वक्त सब-जूडिस नहीं है तो हो सकती है।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि पिछली दफा जब सवाल आया १४ तारीख को असेम्बली में तो आप को ध्यान होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रश्न किया था कि क्या पोस्टमार्टम के अन्दर गोली के अलावा और भी चोट के निशानात हैं या नहीं लेकिन माननीय मंत्री ने उसको छिपाया। हकीकत यह है कि चोट के निशान हैं जिससे साफ जाहिर है कि वह एनकाउन्टर दूर से नहीं हुआ बल्कि उन को पकड़ा गया और मारा गया। आज यह बतलाया गया कि दोपहर को सूचना मिली। वहां से ग्यारह मील के फासले पर जगह है। दस बजे के करीब आदमी इकट्ठे हो गये होंगे.....

श्री अध्यक्ष---

सक्षेप में कहिये।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, पांच फर्लांग पश्चिम एक तरफ सिकरिया गांव है और एक फर्लांग का फासला उस गांव का फरीदपुर से है जहां उन को पेड़ में लटका कर मारा गया। जैसा कि माननीय मंत्री ने जवाब दिया था कि छः डाकू इकट्ठे हुए। दस-बारह पुलिस के आदमी छः बजे वहां पहुंच गये। तो तीन घंटे एनकाउन्टर का इन्तजार होता रहा। यानी नौ बजे एनकाउन्टर हुआ। यह बात असम्भव मालूम होती है। १२-१३ सिपाही तस्लीम किये हैं कि एनकाउन्टर हुआ। किसी सिपाही के चोट नहीं। ३ डाकू गैरहाजिर बताये लेकिन तीन को मार दिया। चौथे डाकू को कोई जिन्दा नहीं पकड़ सका। किसी के चोट नहीं लगी। हकीकत यह थी कि चौथा कोई था ही नहीं। पंचनामे के ऊपर किसी वारिस के दस्तखत नहीं हैं। श्रीमन्, कहीं कोई कैमिकल एक्जामिनेशन नहीं है। इस आधार पर मैं यह कहता हूं कि पुलिस के कोई चोट नहीं आई है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता और आदरणीय सदन से मैं यह चाहता हूं कि चौधरी चरणसिंह ने जो भाषण अपोजीशन की सीट से दिया है कि यह रूल आफ ला है, यह रूल आफ जंगल नहीं है, तो जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। एक-एक सैशन कोर्ट का जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज इस पर जूडिशियल इन्क्वायरी करे तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यही प्रार्थना मेरी सरकार से है।

श्री अध्यक्ष---

यह नोट कर लिया गया। इसकी कापी मुख्य मन्त्री को दे दी जायेगी, फिर उसके बाद कुछ रोज बाद इसको लिया जायगा। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
९ जून, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर)

तालिका

आगरा, कानपुर तथा इलाहाबाद मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध क्रमशः सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा, लाला लाजपतराय एवं सम्बन्धित अस्पताल, कानपुर तथा स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में शय्याओं की संख्या और डाक्टरों का विवरण इस प्रकार है :

(१) सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा

(क) शैयाओं की संख्या ..	.. .. ..	७२६
(ख) डाक्टरों का विवरण ..	१—प्रोफेसर	१९
	२—प्रोफेसर (पार्ट टाइम) ..	२
	३—रीडर	२२
	४—लैक्चरर	४४
	५—रेजिडेन्ट आफिसर ..	२२
	६—हाउस आफिसर ..	५८
	७—रजिस्ट्रार	६
	८—डिमान्स्ट्रेटर	३२

(२) लाला लाजपतराय एवं सम्बन्धित अस्पताल, कानपुर

(क) शैय्याओं की संख्या ..	.. .. ..	१,२३०
(ख) डाक्टरों का विवरणः	१—प्रोफेसर	२२
	२—प्रोफेसर (पार्ट टाइम) ..	१
	३—रीडर	२७
	४—लेक्चरर	६४
	५—रेजिडेन्ट आफिसर ..	४६
	६—हाउस आफिसर ..	७३
	७—रजिस्ट्रार	७
	८—डिमान्स्ट्रेटर	४५

(३) स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद

(क) शैय्याओं की संख्या ..	.. .. ..	४२८
(ख) डाक्टरों का विवरणः	१—प्रोफेसर	११
	२—प्रोफेसर (पार्ट टाइम) ..	१
	३—प्रोफेसर (आनरेरी) ..	१
	४—रीडर	१४
	५—लेक्चरर	२८
	६—लेक्चरर (आनरेरी) ..	१
	७—रेजिडेन्ट आफिसर ..	१०
	८—हाउस आफिसर ..	३६
	९—रजिस्ट्रार	५
	१०—डिमान्स्ट्रेटर	१५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३६ पर)

सूची

ग्राम सेवकों के विषय में गोविन्द सहाय कमेटी की संस्तुतियां

१—ग्राम सेवक तथा पंचायत मंत्री के पदों का विलीनवीकरण कर दिया जाय। प्रारम्भिक वेतन-क्रम ५०—८० होना चाहिए, तत्पश्चात् प्रशिक्षण देने के उपरान्त, जो उसमें सफल हों, उन्हें ७५— १२० के वेतन-क्रम में रखा जाय।

२—एक ग्राम सेवक के पास दस गांवों के बजाय पांच गावों का कार्य होना चाहिये।

३—ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण में कृषि इंजीनियरिंग, पौध संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा समाज शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस प्रकार रखा जाय जिससे कि सैद्धान्तिक, व्यावहारिक ज्ञान एवं ग्राम कार्य पर आवश्यक ध्यान दिया जा सके।

४—ग्राम सेवकों के पदों के चुनाव के लिये हाई स्कूल तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध न लगाकर उसे कुछ शिथिल करने की आवश्यकता है। अतः जिन अभ्यर्थियों का संबंध ग्राम्य एवं भूमि से हो और जो दत्त चित्त से गांवों में कार्य करना चाहते हों उनका उक्त पद पर चयन होना चाहिये।

५—ग्रामीणों तक ग्राम सेवक की पहुंच एक दाता की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी तथा मित्र की तरह होनी चाहिये।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९ पर)

तालिका

मेडिकल कालेज का नाम	सुरक्षित स्थानों की संख्या				
	लड़कियों के लिए	ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए	पहाड़ी क्षेत्र के छात्रों के लिए	उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए	अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए
कानपुर ..	३७	२८	६	६	६
आगरा ..	२४	१८	४	४	४
लखनऊ ..	३५	२८	५	५	५
मेरठ ..	२०	१५	३	३	३
झांसी ..	१०	८	२	२	२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४२ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	स्थान का नाम	क्रम-संख्या	स्थान का नाम
१	नवाबगंज (इलाहाबाद)	१४	गाजियाबाद
२	फतेहपुर	१५	सिकन्दरपुर
३	जौनपुर	१६	ऋषिकेश
४	लखनऊ, बाराबंकी	१७	अरौल
५	देवरिया	१८	मैनपुरी
६	बस्ती	१९	एटा
७	गोंडा	२०	जालौन
८	सुल्तानपुर	२१	फैजाबाद
९	हरदोई	२२	प्रतापगढ़
१०	बदायूं	२३	वाराणसी
११	हाथरस	२४	हल्द्वानी
१२	खुर्जा	२५	आजमगढ़।
१३	हापुड़		

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४५ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	जिला का नाम	क्रम-संख्या	जिला का नाम
१	देहरादून	२४	फर्रुखाबाद
२	सहारनपुर	२५	झांसी
३	मुजफ्फरनगर	२६	जालौन
४	मेरठ	२७	हमीरपुर
५	बुलन्दशहर	२८	बांदा
६	आगरा	२९	जौनपुर
७	मथुरा	३०	मिर्जापुर
८	मैनपुरी	३१	गाजीपुर
९	एटा	३२	बलिया
१०	अलीगढ़	३३	गोरखपुर
११	बरेली	३४	बस्ती
१२	बिजनौर	३५	देवरिया
१३	बदायूं	३६	फैजाबाद
१४	पीलीभीत	३७	गोंडा
१५	शाहजहांपुर	३८	बहराइच
१६	मुरादाबाद	३९	बाराबंकी
१७	रामपुर	४०	प्रतापगढ़
१८	नैनीताल	४१	लखनऊ
१९	गढ़वाल	४२	हरदोई
२०	इलाहाबाद	४३	लखीमपुर-खीरी
२१	फतेहपुर	४४	उन्नाव
२२	कानपुर	४५	रायबरेली
२३	इटावा	४६	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४८ पर)

मार्च, १९७० (२३-२-७०से२२-३-७०) में आई हुई विभिन्न मिलों से चीनी के निर्धारित थोक भाव :

स्थान का नाम	शकर का ग्रेड	थोक भाव प्रति कुंटल
१—पीलीभीत	डी/३०	१५९-३७
२—रामपुर	सी/३०	१६२-३०
३—तुलसीपुर	सी/३०	१६३-७४
४—मुडरवा	डी/३०	१६७-८४
५—बहेड़ी	डी/३०	१६४-५१
६—मंझोला	डी/३०	१५९-३६

अप्रैल, १९७० (२३-३-७०से२२-४-७०) में आई हुई विभिन्न मिलों से चीनी के निर्धारित थोक भाव :

१—बैतालपुर	डी/२९	१६६-७८
२—तदेव	सी/२९	१६८-७४
३—घुघली	डी/३०	१६४-३९
४—तदेव	डी/३०	१६५-२३
५—विसवां	ई/३०	१६४-६०
६—तदेव	ई/२९	१६६-१६
७—तदेव	ई/२८	१६५-०९
८—कप्तानगंज	सी/३०	१६३-०२
९—तदेव	सी/३०	१६३-७४
१०—पडरौना	डी/२९	१६६-३१
११—अमरोहा	ई/२८	१५९-२२
१२—तुलसीपुर	सी/३०	१६३-७४
१३—पिपराइच	डी/२९	१६६-७८
१४—मुडरवा	डी/३०	१६७-८४

जिला पूर्ति अधिकारी,
कानपुर ।

अमर उजाला

तालिका

स्थान का नाम	एलाटमेंट अवधि	मिल का नाम	शकर की ग्रेड	मिल प्राइस	भाड़ा	चुंगी	प्रशासनिक व्यय	थोक विक्रेता का लाभांश	थोक बिक्री दर प्रति कुन्तल	आयात का साधन	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
फतेहपुर	२३–१–७० से २२–२–७० तक	दि अवध शुगर मिल, हरगांव, सीतापुर	डी २९	१५३.७५	२.५५	२.५५	०.६७	२.०१	१६१.३१	रेल	
बिन्दकी	,,	,,	,,	,,	२.६९	०.७०	,,	,,	१५९.८२	,,	
	,,	,,	,,	,,	*२.११	*०.८१	,,	,,	१५९.३५	,,	*चुंगी में ०–११ पैसे बिन्दकी रोड रे० स्टे० से बिंदकी का भाड़ा शामिल है।
जहानाबाद	,,	,,	,,	,,	२.९४	—	,,	,,	१५९.३७	,	
खागा ..	,,	,,	,,	,,	२.५१	०.०६	,,	,,	१५९.२०	,,	
बिसुनपुर ..	,,	,,	,,	,,	*२.५१	*०.३१	,,	,,	१५९.२५	,,	*चुंगी में २८ पैसा रेल भाड़ा शामिल है।
फतेहपुर ..	२३–२–७० से २२–३–७० तक	,,	इ० २९	१४९.७१	३.२५	२.५५	,,	,,	१५८.१९	सड़क	

अनावृत्त विधान सभा

फतेहपुर	..	२३–२–६० स २२–३–६० तक	दि अवध शुगर मिल, हरगांव, सीतापुर।	सी० २९	१५१.५९	३.२५	२.५५	०.६७	२.०१	१६०.०७	सड़क	
फतेहपुर	..	,,	,,	इ० ३०	१५०.७१	,,	,,	,,	,,	१५९.१९		
बिन्दकी	..	,,	,,	,,	,,	३.१०	०.७०	,,	,,	१५७.१९	,,	
बिन्दकी	..	,,	,	सी० २९	१५१.५९	,,	,,	,,	,,	१५८.०७	,,	
बिन्दकी	..	,,	,,	सी० ३०	१५२.८४*	२.११	*०.८१	,,	,,	१५८.४४	रेल	*चुंगी में ११ पैसा भाड़ा शामिल है।
		,,	,,	इ० ३०	१५०.७१	*२.२५	*०.८१	,,	,,	१५६.४५	,,	,,
जहानाबाद	..	,,	,,	सी० २९	१५१.५९	३.३५	,,	,,	,,	१५७.६२	सड़क	
,,		,,	,,	सी० ३०	१५२.८४	२.४७	,,	,,	,,	१५७.९९	रेल	
खागा	..	,,	,,	इ० ३०	१५०.७१	४.००	,,	,,	,,	१५७.३९	सड़क	
,,		,,	,,	बी० २९	१५०.३४	४.००	,,	,,	,,	१५७.०२	,,	
,,		,,	,,	सी० २९	१५१.५९	४.००	०.०३	,,	,,	१५८.३०	,,	
,,		,,	,,	इ० २९	१४९.७१	३.३६	,,	,,	,,	१५५.७५	रेल	
,,		,,	,,	सी० ३०	१५२.८४	,,	,,	,,	,,	१५८.८८	,,	
बिशुनुपुर	..	,,	,,	डी० २९	१५०.३४	४.२५	०.०२	,,	,,	१५७.२९	सड़क	

यह दर आयुक्त' खाद्य तथा रसद के इस जन पद के दौरे के समय दिनांक १२–१०–१९६९ के निर्देशानुसार निर्धारित किये गये हैं। इसके बाद थोक शकर विक्रेताओं को यह नये दर समझाते हुये सारी स्थिति बता दी गयी थी जिससे वह स्वयं भी संतुष्ट थे।

स्वर्ण दास वायला,
जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६३ पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची:—

१—खण्ड १ के अन्त में अर्द्ध विराम (कामा) के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया गया है।

२—खण्ड २ के उप खंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "निकाशा" के स्थान पर शब्द "निकाला" रख दिया गया है।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६३ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में किया गया आनुषंगिक संशोधनः—

१—खण्ड १ के पार्श्व-शीर्षक में शब्द "संक्षिप्त नाम" के स्थान पर शब्द "संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ" रख दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६३ पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची:—

१—खण्ड २ की प्रथम पंक्ति में शब्द "१९७०" के स्थान पर "१९१०" रख दिया गया है।

२—खण्ड ६ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ६२ की पंक्ति ७ में शब्द "सकता" के स्थान पर शब्द "सकती" कर दिया गया है।

३—खण्ड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ६८ की पंक्ति २ में शब्द 'के' और 'किन्हीं' के बीच अर्द्ध विराम (कामा) का चिह्न रख दिया गया है।

४—खण्ड ११ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ६९—क (१) की पंक्ति ७ में शब्द 'परिवर्तत' के स्थान पर शब्द 'परिवर्जन' रख दिया गया है।

५—खण्ड ११ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ६९—ख के उपान्त में शब्द संख्या और चिह्न "अधिनियम संख्या ४५,१८६०" रख दिये गये हैं और खण्ड ११ में प्रस्तावित धाराओं के अन्त में चिह्न रख दिया गया है।

६—खण्ड १३ की प्रथम पंक्ति में "७१—क" के स्थान पर "७१" रख दिया गया है तथा उपान्त की संख्या ७१—क को उक्त प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में रख दिया गया है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६७ एल० ए०—१९७१—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा